

**सोमवार, 19 सितम्बर 2011 को 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700071 में
सम्पन्न 104वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी
के सदस्यों के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अभिभाषण**

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की अंशधारकों की 104वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर निदेशक मण्डल, प्रबंधन एवं नेशनल के कार्मिकों की ओर से आप सदस्यों का स्वागत करते हुए तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

व्यापक आर्थिक वातावरण:

वर्ष 2007-09 में आये विश्व आर्थिक संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था असाधारण रूप से निकल कर बाहर आयी। मजबूत घरेलू माँग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त विश्व वित्तीय संकट का सामना करने में सफल हुई। कृषि उत्पादन, निर्माण गतिविधि एवं वित्तीय सेवाओं में सुधार के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010-11 में 8.5% का सुधार हुआ जो वर्ष 2009-10 में 7.2% था। मुद्रास्फीति खाद्य पदार्थों के कारण वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान उच्चस्तर पर बनी रही।


मौद्रिक व्यवस्था पिछले तीन वर्षों के दौरान, जिसे आर्थिक दबाव के समय के रूप में माना गया, भारतीय अर्थ व्यवस्था ने दो महत्वपूर्ण संकट का सामना किया: (क) वर्ष 2007-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण विश्व वृद्धि व वित्त एवं व्यापार की विफलता तथा (ब) वर्ष 2008-09 में कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि। वर्ष 2009-10 में समुचित मानसून न होने के कारण सूखा तथा वर्ष 2010-11 के दौरान बिलम्ब से हुई बरसात ने शीतकालीन फसलों को प्रभावित किया। अनवरत उच्च मुद्रास्फीति तथा औद्योगिक विकास की गति में आई कमी के बावजूद भी समग्र वृद्धि प्रभावशाली रही। इसके लिए भारत सरकार द्वारा की गई

मानिट्रिंग एवं सिस्टम में सुधार के लिए धन्यवाद। सामाजिक सुरक्षा के लिए किये गये तमाम उपायों ने इस संकट से निपटने में सहयोग किया। औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि 2.7% से 16.6% तक प्रदर्शित हुई। निर्माण क्षेत्रों में कैपिटल गुड्स सेगमेंट ने वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही में 3.5% की वृद्धि दर्ज की जो अंतिम वित्तीय वर्ष की चतुर्थ तिमाही में 45.7% हो गई। कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे काटन, टेक्सटाइल्स, चमड़ा, खाद्य उत्पादों में सुधार होने के साथ औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा जीडीपीआई का 57.2% है। उच्च वृद्धि सेवा संवर्ग में वित्तीय, बीमा ट्रॉसपोर्ट संप्रेषण एवं व्यवसाय सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2005-06 से संकट के वर्षों में भी सेवा क्षेत्र ने 10% की वृद्धि बनाये रखा। जनवरी 2011 के वर्ल्ड एकोनामिक आउटलुक के अनुसार 2010 में विश्व अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ी। ऐसे समय में जब प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि एवं बेरोजगार के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा था उसी समय जापान में हुए भूकम्प, सुनामी एवं न्यूक्लीयर क्राइसिस ने विश्व अर्थव्यवस्था को और भी प्रभावित किया। बचत एवं निवेश के वर्तमान आँकड़ों के आधार पर पिछले पाँच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि दर के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में 9% की दर से वृद्धि की संभावना है।

भारतीय साधारण बीमा व्यवसाय परिदृश्य:

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर भारतीय साधारण बीमा उद्योग ने प्रीमियम आय में 23% की वृद्धि दर्ज की। बीमा उद्योग में कार्यरत 24 कम्पनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष



Chairman's communiqué to the Members of National Insurance Company Limited at the 104th Annual General Meeting held on Monday, 19th September 2011 at 3, Middleton Street, Kolkata -700 071

On behalf of the Board of Directors, Management and Staff of National Insurance Company Limited I am very happy to welcome you to the 104th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company and pleased to place before you the Company's Annual Report and Financial Statements for the year ended 31st March, 2011.

Macro-Economic Environment

The Indian Economy has emerged with remarkable rapidity from the slowdown caused by the global financial crisis of 2007-09. Indian Economy rebounded robustly from the global financial crisis in large part because of strong domestic demand. Economic growth as measured by the Gross Domestic Product, improved to 8.5% in 2010-11 from 7.2% in 2009-10 due to better farm output, construction activity and financial services performance. Inflation which remained at an elevated level for a larger part of the fiscal 2010-11, largely driven by food items, a sequenced and gradual withdrawal of the monetary accommodation helped to contain inflationary pressure.

During the past three years, identified as the period of economic stresses, the Indian Economy withstood two shocks in rapid succession with resilience and strength : (a) a collapse in world growth, finances & trade with onset of the global financial crisis in 2007-09; and (b) domestically following a year of negative growth in agriculture and allied sectors in 2008-09, erratic monsoons resulted in a severe drought in 2009-10 and unseasonal late rains affecting the winter season crops in 2010-11. In spite of continued high inflation and temporary slowdown in industrial growth the dynamism in overall growth is evident. Thanks to closer monitoring and systems improvements by the Government, a series of social protection

measures have considerably strengthened the ability to withstand the shocks. The growth in industrial sector exhibited buoyancy with growth varying widely in the range of 2.7% to 16.6%. Within manufacturing sectors, the capital goods segment has been the main driver of growth. It has shown some volatility as it registered a growth of 3.5 % in the first quarter of 2009-10, surged up to 45.7% during the fourth quarter of the last financial year. Post recovery, industrial output growth has been largely driven by a few sectors such as automotive sector along with a revival in cotton, textiles, leather, food products and metal products.

In Indian Economy, the service sector shares 57.2% in the GDP. High growth service categories include financing, insurance, transport, communication and business services. Since 2005-06 the service sector maintained 10% growth rate even during the crisis years.

The global economy was estimated to have grown rapidly in 2010 by 5% according to January 2011 World Economic Outlook. Whilst the advanced economies are encountering inflationary pressures arising out of high commodity prices and high level of unemployment, the consequential impact of triple disasters in Japan i.e. earthquake, tsunami & nuclear crisis also looms large on the global economy.

Considering the growth rate of Indian Economy for the last five consecutive years, supported by the latest data on savings & investments, the Country is expected to grow by 9% in the current fiscal 2011-12.

Indian General Insurance Business Scenario

India's non-life General Insurance industry witnessed a growth of 23% in premium income for

में कुल ₹425.66 बिलियन प्रीमियम व्यवसाय किया जो वर्ष 2009-10 में ₹346.27 बिलियन था। सार्वजनिक क्षेत्र की चारों बीमा कम्पनियों द्वारा सम्मिलित रूप से ₹250 बिलियन तथा प्राइवेट जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ₹175.66 बिलियन का प्रीमियम व्यवसाय किया गया।

भारतीय स्वास्थ्य बीमा मार्केट में व्यवसाय की संभावनाओं में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 35% के मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है।

हमारे देश में साधारण बीमा क्षेत्र की व्यवसाय पर पकड़ जीडीपीआई का 0.65% है जो काफी कम है। बीमा व्यवसाय पर धीमी गति से पकड़ ने बीमा उद्योग को बढ़ने एवं समृद्ध करने में सहायक हुआ। हाल की विश्व आर्थिक अनिश्चितता के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रही। मध्यमवर्ग के विकास के साथ स्वस्थ आर्थिक वृद्धि, नये उत्पादों का विकास, मशीनरी का समुचित वितरण तथा प्रभावशाली ग्राहक सेवा के माध्यम से आगामी वर्षों में साधारण बीमा व्यवसाय में विकास की संभावनाओं में और अधिक वृद्धि होगी।

वित्तीय एवं प्रचालन निष्पादन:

आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में उच्च व्यवसाय वृद्धि दर्ज किया। समीक्षावर्ष के दौरान हमारी कम्पनी का वैश्विक सकल प्रीमियम ₹6245.17 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹4645.97 करोड़ था, इस प्रकार प्रीमियम में कुल 34.42% की बढ़ोत्तरी रही। वर्ष 2010-11 में कम्पनी का शुद्ध प्रीमियम ₹5389.71 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष 2009-10 में ₹3977.65 करोड़ था तथा वर्तमान वर्ष में रिटेंशन 86.30% रहा जो पिछले वर्ष 85.62% था।

शुद्ध अर्जित प्रीमियम पर कुल शुद्ध उपगत दावा पिछले वित्तीय वर्ष में 85.02% से बढ़कर 97.05% हो गया ऐसा आईआरडीए के आदेश दिनांक 12 मार्च 2011 के द्वारा मोटर टीपी पूल के लिए अतिरिक्त प्राविजनिंग करने के कारण हुआ। अग्नि एवं मेरिन पोर्टफोलियो में आधिक्य क्रमशः ₹157.23 करोड़ एवं ₹17.47 करोड़ रहा। विविध पोर्टफोलियो का बीमालेखन निष्पादन लगातार हानि दर्शाता रहा जो

बढ़कर ₹445.60 करोड़ हो गया जबकि यह पिछले वर्ष ₹66.57 करोड़ था।

31 मार्च 2011 तक भारत में कुल निवेश ₹8386.66 करोड़ रहा जबकि 31 मार्च 2010 को यह निवेश ₹6365.40 करोड़ ही था। निवेश आय जो पिछले वर्ष 2009-10 में ₹1348.43 करोड़ थी बढ़कर ₹1819.68 करोड़ हो गई।

कम्पनी ने वर्ष 2010-11 में कर पूर्व कुल शब्द लाभ ₹75.40 करोड़ अर्जित किया।

शोधन क्षमता: कम्पनी की शोधन क्षमता 31 मार्च 2011 को 1.34 थी जो वांछित मार्जिन 1.30 से अधिक है।

क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्तीय शक्ति रेटिंग के लिए कम्पनी को एए/स्टेबल रेटिंग दी गई जिससे पालिसी धारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की सर्वोच्च वित्तीय समर्थता प्रदर्शित होती है।

पुनर्बीमा:

हैती एवं चिलीन की सम्मिलित भूकम्प की घटनाओं के साथ साथ अन्य घटनाओं जैसे फरवरी में मेडेंडरा पुर्तगाल में बाढ़ एवं भूस्खलन, अमेरिका के विभिन्न राज्यों में भूकम्प, जून माह में यूरोप में बाढ़ की घटनाएं, आस्ट्रेलिया में बाढ़ इत्यादि ने समस्त हानि आधिक्य प्रीमियम आधार ने पुनर्बीमा उद्योग को तबाह कर दिया। वर्ष 2010 में भयंकर हानियों के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का प्रचालन रिइश्योरेन्स मार्केट में पूँजी की अधिकता होने के कारण दरों में गिरावट आई। तथापि अधिकतम पुनर्बीमाकर्ताओं ने गिरते हुए प्रीमियम एवं बढ़ती हुई हानि औसत को देखते हुए आनुपातिक आवरण लिखने में उत्सुकता नहीं दिखाई। पुनर्बीमाकर्ताओं पर लाभ का दबाव होने के कारण उनका ध्यान विशेष रूप से हानि आधिक्य कार्यक्रम पर रहा जो एक स्वस्थ बैलेंसशीट के कारण स्थाई बना रहा। वर्ष 2010-11 के लिए हमारी आनुपातिक ट्रीटी की नवीकरण स्लिप को समाप्ति सीमाके साथ अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में छोड़ा गया। विविध ट्रीटी के अलावा रिटेल एवं एसएमई में देश में बीमाकीसंभावनाओं के कारण बढ़ोत्तरी हुई। सभी सरप्लस

the fiscal ended on 31st March 2011. The industry consisting of 24 players earned a total premium of ₹425.66 billion in the last fiscal against ₹346.27 billion in 2009-10. All the four state owned non-life insurers have jointly collected a total premium amount of ₹250 billion, while the private general insurance companies made a collection of ₹175.66 billion during the financial year 2010-11.

Indian Health Insurance Market has emerged as a lucrative growth avenue for both the existing as well as new entrants. The health insurance premium is growing at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of around 35%.

In our Country, the penetration of mainstream insurance in General Insurance is 0.65% of GDP which is still quite low. A low penetration rate is actually perceived as a golden opportunity for the industry to grow and prosper. India's insurance market proved to be resilient throughout the recent global economic uncertainties. The strong economic growth with a growing middle class, innovative product development, efficient risk management, a sound distribution machinery and effective client servicing are the critical factors that will fuel development of non-life insurance business in India in the ensuing years.

Financial and Operational Performances

Your Company witnessed another year of high business growth in the fiscal 2010-11. During the year under review Global Gross Direct Premium of our Company was ₹6245.17 crore as against ₹4645.97 crore in the previous year, thereby recording an overall increase of 34.42% of premium income. The net premium income of the Company was ₹5389.71 crore in 2010-11 as against ₹3977.65 crore in 2009-10 with a retention ratio of 86.30% current year against previous year's ratio of 85.62%.

Overall Net Incurred Claim on Net Earned Premium had gone up to 97.05% in the last fiscal from 85.05% in 2009-10 mainly due to Additional Provisioning towards Motor TP Pool as per IRDA's Order dated 12th March 2011. Fire & Marine portfolios have

resulted in a surplus of ₹157.23 crore and ₹17.47 crore respectively. Underwriting performance of Miscellaneous portfolios continued to show losses and rose to ₹445.60 crore in 2010-11 as against ₹66.57 crore in the previous year.

Total investment in India stands at ₹8386.66 crore as on 31st March 2011 as against ₹6365.40 crore as on 31st March 2010. Investment income (inclusive of Profit on Sale / Redemption) has increased to ₹1819.68 crore in 2010-11 from ₹1348.43 crore in 2009-10.

The Company earned a Net Profit of ₹75.40 crore Before Tax in 2010-11.

Solvency Margin : The Solvency Margin of the Company was 1.34 as on 31st March 2011 which is well above the required margin at 1.30.

The Company continued to enjoy "AAA/STABLE" rating by CRISIL which indicates the highest financial strength of the Company to meet the obligation of policyholders at any point of time.

Reinsurance

Losses from Haiti and Chilean earthquakes coupled with other incidents like floods and landslides in Madeira, Portugal in February, storms in several US states, severe floods in central Europe in June and widespread flooding in Australia were sufficient to erode the entire catastrophe excess of loss premium base of the reinsurance industry. Though the markets that suffered catastrophe losses in 2010 witnessed prices increase, the underlying trend elsewhere was one of rate reductions driven due to excess capital in the reinsurance market. However, majority of the traditional reinsurers showed an antipathy to writing Proportional covers in view of falling premium and increased loss ratios. As there was pressure on reinsurers to improve profitability, concentration was on Excess of Loss program which continued to be stable because of the effects of healthier balance sheets.

The renewal slips of our Proportional Treaties for 2010-11 were floated in the international market with expiring limits except for miscellaneous treaty which was increased to tap the potential growth in retail

ट्रीटीज की कमीशन सीमा को अवसान सीमा तक रखा गया। पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा को-इन्श्योरेन्स क्लाज, डोमेस्टिक फैकल्टेटिव पर नियंत्रण, निम्नतम पीएमएल, सेसन सीमा इत्यादि पर शर्तें लगाये जाने के बावजूद हम अपने आनुपातिक ट्रीटीज का अपनी स्लिप शर्तों के आधार पर नवीकरण करने में सफल हुए।

भारतीय मार्केट विभिन्न कारणों जैसे साधारण बीमाकर्ताओं का बढ़ना, रेगुलेटरी परिवर्तन, बीमा विधान में समय समय पर हो रहे संशोधन तथा ग्राहक व्यवहार के कारण लगातार परिवर्तनशील रहा। हम इन परिवर्तनों के परिपेक्ष्य में अपनी रणनीति को विकसित कर रहे हैं ताकि अपने मूल लक्ष्य लाभप्रदता को हासिल कर सकें।

हमारे गैर आनुपातिक कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा वांछित बीमालेखन सम्बन्धी अधिक सूचनाएं, माइक्रो डाटा तथा पोर्टफोलियो विवरण प्रदान करने हेतु दबाव बढ़ता जा रहा है। हम इसे बीमित राशि एवं जोखिम प्रोफाइल देकर बड़े स्तर पर पूरा करने में सफल हुए हैं। हमने दो नये आवरण एविएशन हानि आधिक्य एवं दायित्व आधिक्य हानि तैयार किये हैं। अपने विदेशी रिट्री प्रोग्राम में अतिरिक्त वृद्धि करने के बावजूद एवं दो अतिरिक्त आवरण क्रय करने के उपरान्त XL की कीमत vis a vis में केवल आंशिक बढ़ोत्तरी हुई। अन्य हानि आधिक्य आवरण को अवसान आवरण सीमा पर नवीकरण किया गया। हमें यह बताते हुए हर्ष है कि सुरक्षित कीमतें एवं शर्तें एक्सपोजर्स एवं हानि अनुभव के समान हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान हम कुछ प्रमुख एकाउन्ट्स को वापस पाने में सफल हुए हैं तथा रिइन्श्योरेन्स मार्केट से फैकल्टेटिव रिइन्श्योरेन्स दरों एवं शर्तों पर कुछ नये बड़े एकाउन्ट्स को सुरक्षित रखने में सफल हुए हैं।

पुनर्बीमा संरक्षण की दरों को सुव्यवस्थित रखने के परिणामस्वरूप हमारा कम्पनी में शुद्ध प्रतिधारित प्रीमियम वर्ष 2010-11 में 86.30% हो गया जो वर्ष 2009-10 में 85.62% था।

रणनीतिक गठबंधन:

कम्पनी ने मारुति, हीरो होण्डा, टाटा मोटर्स, होंडा सील,

निसान, मैग्मा एवं बैकाशोरेन्स के साथ रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से 31 मार्च 2011 तक ₹1438 करोड़ का व्यवसाय किया जो 31 मार्च 2010 को 1104 करोड़ था। इस व्यवसाय में पिछले वर्ष 4.12% की वृद्धि दर रही जो वित्तीय वर्ष में बढ़कर 30.25% हो गई। वर्ष 2010-11 में कम्पनी के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय का कुल अंश 23.50% रहा।

12.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए बैकाशोरेन्स व्यवसाय ने वर्ष 2010-11 में ₹259.86 करोड़ का व्यवसाय किया जो पिछले वित्तीय वर्ष में 231.78 करोड़ था। चार महत्वपूर्ण बैंक, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर तथा स्टेट बैंक आफ मैसूर ने बैकाशोरेन्स व्यवसाय में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

वर्ष 2010-11 के दौरान रणनीतिक गठबंधन प्रबंधन विभाग द्वारा अनेक नये कार्य प्रारंभ किये गये:

- कम्पनी ने अन्य वाहन निर्माता कम्पनी, निसान से टाई अप किया। टाटा मोटर्स के साथ टाई अप की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में 6 नेटमार व्यवसाय हब्स की जगह 16 नेटमार व्यवसाय हबों में ढांचागत परिवर्तन करते हुए उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया।
- कम्पनी ने नेटमार व्यवसाय के दावा निस्तारण सम्बन्धी समय सीमा एवं उपगत दावा अनुपात में अपेक्षित सुधार का प्रयास करना।
- नेटमार व्यवसाय के ओ डी उपगत दावा अनुपात में सुधार हुआ जो वर्ष 2009-10 में 91% से घटकर वित्तीय वर्ष 2010-11 में 68% हो गया। सम्पूर्ण उपगत दावा में सुधार हुआ जो वर्ष 2009-10 में 83% से घटकर वर्ष 2010-11 में 67% हो गया।
- नेटमार व्यवसाय में दावा निस्तारण समय सीमा में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। 31 मार्च 2011 तक दावा दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात दो सप्ताह में 85% दावा का निस्तारण किया गया।

and SME due to insurance penetration in the Country. The commission levels of all the surplus treaties were maintained at expiring levels. However, despite reinsurers trying to impose stringent conditions like co-insurance clause, restrictions on domestic facultative, minimum PML, cession limits etc, we have after hard and insistent negotiations been able to renew our Proportional treaties on our slip terms.

Indian market is undergoing constant changes influenced by various factors such as opening up of more non-life insurers, regulatory changes, impending amendments to the insurance legislation, and consumer behavior. We are constantly adapting to these changing external environments and developing strategies keeping the basic objective of profitability.

As regards our non-proportional program (Net Account excess of loss program), reinsurers' requirement for enhanced underwriting information continued to escalate. We have been largely able to mitigate this by being able to provide sum insured exposures and risk profiles. We have also been able to structure and put in place two new covers i.e. Aviation excess of loss and Liability excess of loss after exploring the reinsurance market for good leads. Despite procuring additional capacity in our Foreign Inward Retro program and buying two additional covers, the XL cost vis-à-vis GNPI increased only marginally. The other excess of loss covers were renewed on expiring cover limits. We are pleased to report that the secured prices and conditions commensurate with the exposures and loss experience.

During 2010-11, we have won back some of the major accounts and also secured new mega/large accounts by being able to obtain competitive Facultative reinsurance rates and terms from the reinsurance market.

Consequent to arranging suitable reinsurance protection at optimum rates, our Net retained premium within the Company has gone up to 86.30% in 2010-11 from 85.62% in 2009-10.

Strategic Alliances

As on 31st March 2011, the total premium from the

strategic alliances with Maruti, Hero Honda, Tata Motors, Honda Siel, Nissan, MAGMA and Bancassurance business was ₹1438 crore as against ₹1104 crore as on 31st March 2010, registering a growth rate of 30.25% as against a growth of 4.12% during the previous financial year. The contribution of strategic alliance business to the total GDPI of the Company in the Financial Year 2010-11 is 23.50%.

The Bancassurance business growing at a rate of 12.11% has generated a premium of ₹259.86 crore during the year 2010-11 as against ₹231.78 crore during the previous financial year. The four major banks which contributed to most of the bancassurance business are Bank of India, Bank of Baroda, State Bank of Bikaner & Jaipur and State Bank of Mysore.

During the year 2010-11, the Strategic Alliances Management department has undertaken several new initiatives which include:

- Company has tied-up with yet another high profile automobile manufacturer, Nissan Motors. Another tie-up with Tata Motors (Commercial Vehicles Business Unit) is in advance stage of finalization.
- Strengthening of the structural changes related to NATMAR business, by taking the number of NATMAR Business Hubs to 16 in all as compared to 6 during the previous financial year.
- Company continued with its Claims Management efforts in NATMAR business, improving the Turnaround Time and Incurred Claims Ratio.
- Own Damage Incurred Claims Ratio of NATMAR business has improved from over 91% during the year 2009-10 to 68% during the current Financial Year. The overall Incurred Claims Ratio has improved from 83% during the year 2009-10 to 67% during the year 2010-11.
- Turnaround Time for claim settlement in NATMAR business has improved considerably. As on 31st March 2011, 85% claims are settled within two weeks from the receipt of claims documents.

तथापि विनियामक के नये प्रावधानों का रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय पर असर स्वाभाविक है।

स्वास्थ्य बीमा प्रबंधन:

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में 47% की दर से ₹1582 करोड़ का प्रभावशाली व्यवसाय किया है जो पिछले वर्ष ₹1078 करोड़ था।

स्वास्थ्य दावा सम्बन्धी अधिकतर सेवाएं तृतीय पक्ष प्रशासक (टी पी ए) द्वारा दी जा रही हैं। टी पी ए के निष्पादन पर नियंत्रण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में उन्हें उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) एवं दावा निस्तारण का लक्ष्य प्रदान किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में हेल्थ सेल सम्बन्धी कार्यप्रणाली प्रारंभ की गई। उच्च दावा अनुपात वाले टीपीए के निष्पादन की समीक्षा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर की गई। उन समूह टेलरमेड पालिसियों, जिनमें (आईसीआर) उपगत दावा अनुपात 90% से अधिक पाया गया, की मध्यावधि में प्रतिकूल दावा अनुभव की समीक्षा की गई। हेल्थ पोर्टफोलियो की लागत पर नियंत्रण एवं प्रबंधन में सुधार के दृष्टिकोण से मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, एवं बंगलूर में प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क (पीपीएन) प्रणाली प्रारंभ की गई।

आपकी कम्पनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में बीपीएल संवर्ग के आठ राज्यों में 14.11 मिलियन व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अन्तर्गत आवरित करते हुए ₹80.53 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया।

प्रचार:

प्रचार विभाग ने वर्ष 2010-11 के दौरान एनआईसी ब्रैंड को इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, आउटडोर इवेंट के माध्यम से प्रचारित करने का सफल प्रयास किया।

आपकी कम्पनी की सुव्यवस्थित प्रचार गतिविधि ने एनआईसी को ब्रैंड के रूप में विकसित करने में पूरा सहयोग किया।

निगमित कार्पोरेट सामाजिक दायित्व:

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत नेशनल इन्श्योरेन्स ने एनजीओ, आर्फनेज, स्पेशल स्कूल, रोटरी क्लब, टाइगर संरक्षण प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर प्रमोशन एवं स्पोर्टिंग गतिविधियों

को स्पांसर किया। महत्वपूर्ण शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में सेमिनार एवं कार्यशालाओं को स्पांसर करके नवयुवकों में ब्रैंड एनआईसी को प्रचारित करने का प्रयास किया गया।

बिजनेस प्रासेस रि-इंजीनियरिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी:

सेवा क्षेत्र के किसी उद्योग के विकास में आई टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आपकी कम्पनी के लिए एचसीएल(टी) एवं ईबीएओ इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर सोल्यूशन के तहत एप्लीकेशन तैयार किये जा रहे हैं। कोर इन्श्योरेन्स, सीआरएम, एमडीएम, आईडीएम, पोर्टल, एचआरएमएस, वित्तीय दस्तावेज, डीडब्ल्यूबीआई इत्यादि स्वतंत्र रूप से एप्लीकेशन का विकास कर रहे हैं। एचसीएल ने 107 उत्पादों को पूरा कर लिया है जो टेस्टिंग स्टेज पर हैं।

यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट का कार्य किया जा रहा है। डिफेक्ट फिक्सिंग साइकिल्स पर निगरानी रखी जा रही है तथा रिग्रेसन टेस्ट किये जा रहे हैं। पीडब्ल्यूसी द्वारा निष्पादन एवं लोड टेस्ट किये जा रहे हैं तथा एचसीएल (टी) द्वारा उत्पादन वातावरण को अंतिमरूप दिया जा रहा है।

एचआरएमएस के प्रथम माड्यूल के रूप में समस्त कर्मचारियों से उनके व्यक्तिगत विवरण, जाब प्रोफाइल के आधार पर एचआर डाटा संकलित किया गया है। सेन्ट्रलाइज्ड पे रोल लागू किया जायेगा। चेन्नई एवं क.क्षे.का.-1 में केन्द्रीकृत पेरोल चालू किया गया।

उल्ताडांगा, कोलकाता में वीएसएनएल के साइट पर प्राइमरी डाटा सेंटर का कार्य प्रारंभ हो गया है। इंटरनेट, एमपीएलएस कनक्टिविटी कर दी गई है। सिक्कूरिटी, मेल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्वर प्राइमरी डाटा सेंटर से चल रहे हैं। डिजास्टर रिकवरी सेंटर बंगलूर में हार्डवेयर की आपूर्ति कर दी गई है तथा इंस्टालेशन कार्य पूरा हो गया है।

आन लाइन शिकायत निवारण माड्यूल तैयार कर लिया गया है। शिकायतों का जवाब देने तथा उनकी वस्तुस्थिति बताने के लिए सभी अधिकारियों को इंटरनेट के माध्यम से इस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। ग्राहक अपनी शिकायतों की जानकारी आन लाइन प्राप्त कर सकते हैं।

However, the new regulatory provisions relating to strategic alliances are likely to have impact on the business.

Health Insurance Management

Your Company has grown at an impressive rate of 47% in health insurance during 2010-11 to achieve a business figure of ₹1582 crore from ₹1078 crore in the previous year.

The servicing of Health claims are being largely made through Third Party Administrators. In order to strengthen the control over the performance of TPAs, target for ICR and claims disposal have been fixed for them for the fiscal 2010-11, Health Cell in the Regional Offices were activated. Steps were taken to review the performance of TPAs under the Regional Offices having high claim ratio. The group tailor made policies with ICR exceeding 90% were reviewed in mid-term and measures were decided to check the adverse claim ratio. The concept of Preferred Provider Network (PPN) was introduced in Mumbai, Chennai, Delhi and Bengaluru to control costs and improve management of health portfolio.

Your Company booked a premium of ₹80.53 crore from Rashtriya Swastha Bima Yojana (RSBY) during the last fiscal covering 14.11 million persons in eight states of the Country under the BPL category.

Publicity

The publicity plan for 2010-11 provided maximum visibility of brand NIC through structured media plan which included electronic, print, outdoor events to ensure extensive reach of the advertising message.

Your Company's well structured publicity activities contributed to making NIC a visible and vibrant brand.

Corporate Social Responsibility

As a part of Corporate Social Responsibility National Insurance collaborated with NGOs, Orphanages, Special Schools, Rotary Clubs, Tiger Conservation Projects, Health Care Promotion and

Sporting activities by way of sponsorship of such events. Brand NIC also made inroads into the psyche of young & educated generation through sponsorship of seminars and workshops conducted in eminent educational & professional institutions.

Business Process Re-engineering and Information Technology

The role of IT in service sector is very crucial for all round development of the industry.

HCL(T) and eBao are developing applications under Enterprise Architecture Solutions for your Company. Tracks such as Core Insurance, CRM, MDM, IDM, Portal, HRMS, Financial Documentum, DWBI etc. are independently developing the applications. HCL has already completed 107 products and the same are in testing stage.

User Acceptance Tests have been carried out. Defects fixing cycles are being monitored and regression testing is being conducted. Performance and Load tests are being carried out by PwC and the production environment is fine tuned by HCL(T).

HR data on various parameters such as personal information, job profile etc. have been collected from all the employees as the first module of HRMS implementation, Centralized payroll would be implemented. Live run for centralized payroll has commenced under Chennai RO and Calcutta ROI.

The Primary Data Centre at VSNL site at Ultadanga, Kolkata has become operational. The internet, MPLS connectivity has been set up. Security, mail and Infrastructure Management Servers are already running from Primary Data Centre. At the Disaster Recovery Centre in Bengaluru, hardware delivery and installation have been completed.

Online Grievance Redressal Module has been set up. All offices are connected to this application through intranet for posting the replies and status of grievances. Customers can track the status of their grievances online.

वर्ष के दौरान कोलकाता में डाटा सेंटर ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। डाटा सेंटर से अब व्यवसाय केन्द्रों एवं बीमालेखन अनुमोदन, टाई अप दावा निस्तारण, दावा हब, वेब आधारित पालिसी जारी करना इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। डाटा के त्रिस्तरीय प्रतिध्वनियों को पूरा करने के लिए डाटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर एवं नियर सेंटर पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं।

पैरलल रन मई 2011 से प्रारंभ हो गये हैं। पैरलल रन के पश्चात जुलाई 2011 से लाइव रोलआउट प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है। वर्कफ्लों के साथ समन्वित ईजी एप्लीकेशन को रोल्डआउट प्रस्तावित है जो 107 उत्पादों की कार्य पद्धति पर आधारित है। शेष 103 उत्पादों को दिसम्बर 2011 से रोल्डआउट किया जाना प्रस्तावित है।

फंड डिप्लायमेंट के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन, बैंक कलेक्सन एवं डिस्बर्समेंट पैन इंडिया के लिए सेन्ट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे कार्य पर भी हमारा विशेष ध्यान होगा।

मानव संसाधन विकास:

आपकी कम्पनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में पहली बार सर्वोच्च वृद्धि एवं अभिवृद्धि हासिल किया है। कर्मचारियों के प्रत्येक मामले में प्रभावी सम्प्रेषण चैनल एवं श्रेष्ठ एचआर प्रक्रिया ने पारदर्शिता के उद्देश्य से कर्मचारियों के मनोबल को कुछ उच्च उत्पादकता के सापेक्ष में सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

एनआइसियन शब्द कर्मचारियों के मन में टीम भावना का संचार करने में पूर्णतः प्रभावी रहा। कम्पनी के आंतरिक ग्राहक के रूप में कर्मचारियों की सुविधा तथा आंतरिक शिकायत निवारण हेतु नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी कर्मचारी शिकायत निवारण फोरम के नाम से एक फोरम का गठन किया गया जिसके द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों को एक

निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक कर्मचारी अपनी शिकायत के निवारण हेतु सर्वोच्च अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

एनसीआईएल नरेन्द्रपुर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण के अतिरिक्त अधिकारियों को उनके तकनीकी, प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय कौशल के विकास के लिए बाहर के विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया।

आपकी कम्पनी के लिए वर्ष 2011 व्यवसाय में सुधार का वर्ष रहा इसके अतिरिक्त विभिन्न हानि वाली शाखाओं में हानि को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किये गये। आपकी कम्पनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की जो पिछले लगातार दो वर्षों से अधिक रही तथा यह उम्मीद की जाती है कि आपकी कम्पनी वर्ष 2011-12 में भी इस वृद्धि को बरकरार रखते हुये बीमा मार्केट में एक नई उचाईयों पर पहुंचने में कामयाब होगी।

हमेशा की तरह मुझे अपने साथी कार्मिकों पर पूरा विश्वास है कि वे नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मैं अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों एवं स्टेक होल्डर्स को हममें विश्वास बनाये रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कम्पनी के निदेशक मंडल, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के महालेखाकार तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा दी गई सलाह एवं दिशा निर्देश के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

एक बार पुनः मैं अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों, अभिकर्ताओं, ब्रोकर्स एवं व्यवसाय सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ तथा उनकी आशाओं के अनुरूप वचनबद्धता सुनिश्चित करता हूँ। हम वर्ष 2011 एवं आगे भी उनकी सेवा में सहर्ष तत्पर रहने के प्रति कृत संकल्प हैं।

नान्त श्रीरमचंद्रप्रसाद

(एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

The main Data Centre has become operational in Kolkata during the year. The Data Centre is now hosting the applications for Business Centres, UW Approvals, Tie-up claims settlement, Claims Hub, Web-based Policy issuance etc. Data Centre, Disaster Recovery Centre and Near Centre are now fully operational to enable three-way replication of data.

Parallel run has been commenced from May 2011. After parallel run, live rollout is proposed to commence from July 2011. It is proposed to rollout the integrated EASI application with workflow based functionalities for 107 products. The remaining 103 products are proposed to be rolled out from December 2011.

Also on the anvil are web based applications for funds deployment, application for roll out centralized cash management service for bank collections and disbursements pan India.

Human Resource Development

Your Company had recorded an all time high growth and accretion in PSU Segment which the industry had witnessed for the first time. Effective communication channels, best HR Practices coupled with an objective and transparent approach in all employee related matters have played a key role improving the employee morale leading to a high productivity.

'NICian' the word coined by the Company to forge bondage and camaraderie amongst the employees had a deep impact on molding the employee into a compact team. In recognition of the principle of employee as an internal customer, your company had also launched an internal grievance redressal

forum titled as "National Insurance Company Employees' Grievance Redressal Forum" (NICEGRF) to provide for a Structured System for redressal of employees grievance within a definite time frame. The said system enables an aggrieved employee to approach the highest authority in the company to seek redressal of his grievance.

Apart from imparting in-house training at NCIL, Narendrapur and RTCs, officers were nominated for different out side training institutes to develop their technical, administrative and managerial skills.




While 2010-11 was a year of improvement in the insurance business of your Company, it also saw adoption of various measures in certain loss giving branches. Your Company was able to close the last fiscal with a modest profit for two consecutive years and it is expected that your Company will climb new heights in insurance market maintaining continuity in real growth in 2011-12 also.




As ever, I have utmost confidence in our colleagues to handle the new challenges professionally. I put on record my thanks to our valued customers and stakeholders for their abiding trust in us. I thank the esteemed Board of Directors of the Company, Insurance Regulatory & Development Authority, Ministry of Finance, Government of India, Comptroller and Auditor General of India and Statutory Auditors for their crucial advice and guidance.

Once again my sincere thanks to our valued customers, agents, brokers and business partners for their continued support and we reaffirm our commitments to live up to their expectation. We look forward to being of continued service throughout 2011 and beyond.



(N. S. R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director





सदस्यों को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन :

निदेशकगण को एतद्द्वारा अपना 104वाँ वार्षिक प्रतिवेदन और उसके साथ 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण पेश करते हुए हर्ष है :

वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2011 तक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण		अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - भारत में	CY	570.79	304.57	5345.36	6220.72
	PY	426.52	238.97	3959.68	4625.17
	CY	33.82	27.45	34.99	34.50
	PY	8.37	19.02	7.44	8.07
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - भारत के बाहर	CY	6.46	3.07	14.92	24.45
	PY	6.48	3.78	10.54	20.80
	CY	-0.31	-18.78	41.56	17.55
	PY	15.51	14.20	49.93	30.41
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - कुल	CY	577.25	307.64	5360.28	6245.17
	PY	433.00	242.75	3970.22	4645.97
	CY	33.31	26.73	35.01	34.42
	PY	8.47	18.94	7.52	8.15
स्वीकृत रि-इंश्योरेन्स प्रीमियम - भारत में	CY	108.14	19.23	557.21	684.58
	PY	81.11	11.04	443.22	535.37
	CY	0.04	0	0.01	0.05
	PY	0.05	0	0.02	0.07
	CY	108.18	19.23	557.22	684.63
	PY	81.16	11.04	443.24	535.44
अर्पित रि-इंश्योरेन्स प्रीमियम - भारत में	CY	205.51	157.70	1169.63	1532.84
	PY	133.44	120.74	943.73	1197.91
	CY	3.10	0	4.15	7.25
	PY	3.91	0	1.94	5.85
	CY	208.61	157.70	1173.78	1540.09
	PY	137.35	120.74	945.67	1203.76
शुद्ध प्रीमियम - भारत में	CY	473.42	166.10	4732.94	5372.46
	PY	374.19	129.27	3459.17	3962.63
	CY	26.52	28.49	36.82	35.58
	PY	13.84	4.42	8.40	8.76
	CY	82.94	54.54	88.54	86.36
	PY	87.73	54.09	87.36	85.68

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE MEMBERS

Your Directors takes immense pleasure in submitting their 104th Annual Report and the Audited Statement of Accounts for the financial year ended 31st March 2011.

FINANCIAL RESULTS

SUMMARISED FINANCIAL RESULTS AS ON 31ST MARCH 2011

(₹ in crore)

Particulars		Fire	Marine	Misc	Total
Gross Direct Premium Income - India	CY	570.79	304.57	5345.36	6220.72
	PY	426.52	238.97	3959.68	4625.17
(% Growth)	CY	33.82	27.45	34.99	34.50
	PY	8.37	19.02	7.44	8.07
Gross Direct Premium Income - Outside India	CY	6.46	3.07	14.92	24.45
	PY	6.48	3.78	10.54	20.80
(% Growth)	CY	-0.31	-18.78	41.56	17.55
	PY	15.51	14.20	49.93	30.41
Gross Direct Premium Income - Total	CY	577.25	307.64	5360.28	6245.17
	PY	433.00	242.75	3970.22	4645.97
(% Growth)	CY	33.31	26.73	35.01	34.42
	PY	8.47	18.94	7.52	8.15
Reinsurance Premium Accepted - India	CY	108.14	19.23	557.21	684.58
	PY	81.11	11.04	443.22	535.37
Outside India	CY	0.04	0	0.01	0.05
	PY	0.05	0	0.02	0.07
Total	CY	108.18	19.23	557.22	684.63
	PY	81.16	11.04	443.24	535.44
Reinsurance Premium Ceded - India	CY	205.51	157.70	1169.63	1532.84
	PY	133.44	120.74	943.73	1197.91
Outside India	CY	3.10	0	4.15	7.25
	PY	3.91	0	1.94	5.85
Total	CY	208.61	157.70	1173.78	1540.09
	PY	137.35	120.74	945.67	1203.76
Net Premium - India	CY	473.42	166.10	4732.94	5372.46
	PY	374.19	129.27	3459.17	3962.63
(% Growth)	CY	26.52	28.49	36.82	35.58
	PY	13.84	4.42	8.40	8.76
(% to Gross Premium)	CY	82.94	54.54	88.54	86.36
	PY	87.73	54.09	87.36	85.68

शुद्ध प्रीमियम	भारत के बाहर	CY	3.40	3.07	10.78	17.25
		PY	2.62	3.78	8.62	15.02
	(% वृद्धि)	CY	29.77	-18.78	25.06	14.85
		PY	122.03	14.20	55.60	49.75
	(सकल प्रीमियम का %)	CY	52.63	100.00	72.25	70.55
		PY	40.43	100.00	81.78	72.21
कुल शुद्ध प्रीमियम		CY	476.82	169.17	4743.72	5389.71
		PY	376.81	133.05	3467.79	3977.65
	(% वृद्धि)	CY	26.54	27.15	36.79	35.50
		PY	14.22	4.67	8.48	8.87
	(सकल प्रीमियम का %)	CY	82.60	54.99	88.50	86.30
		PY	87.02	54.81	87.35	85.62
आरक्षित असमाप्त जोखिम में वृद्धि/कमी	(शुद्ध प्रीमियम का %)	CY	50.00	26.84	548.92	625.76
		PY	23.46	2.82	135.58	161.86
		CY	10.49	15.87	11.57	11.61
		PY	6.23	2.12	3.91	4.07
अर्जित प्रीमियम		CY	426.82	142.33	4194.80	4763.95
		PY	353.35	130.23	3332.21	3815.79
शुद्ध उपगत दावा	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	241.76	112.66	4268.85	4623.27
		PY	202.88	47.52	2994.97	3245.37
		CY	56.64	79.15	101.77	97.05
		PY	57.42	36.49	89.88	85.05
शुद्ध कमीशन	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	14.21	11.90	229.33	255.44
		PY	12.20	10.96	208.25	231.41
		CY	3.33	8.36	5.47	5.36
		PY	3.45	8.42	6.25	6.06
प्रबन्धन व्यय	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	144.24	51.54	1406.53	1602.31
		PY	121.83	45.04	1132.71	1299.58
		CY	33.79	36.21	33.53	33.63
		PY	34.48	34.58	33.99	34.06
अन्य आय (-)/जावक (+)		C/Y	1.06	0.61	1.66	3.33
		P/Y	1.33	0.82	5.96	8.11
बीमा लेखन परिणाम	(अर्जित प्रीमियम का %)	CY	25.55	-34.38	-1711.57	-1720.40
		PY	15.11	25.89	-1009.68	-968.68
		CY	5.99	-24.16	-40.80	-36.11
		PY	4.28	19.88	-30.30	-25.39
निवेश आय - पालिसीधारक		CY	131.68	51.85	1265.97	1449.50
		PY	101.35	45.12	943.11	1089.58
पालिसीधारक खाता (आधिक्य)		CY	157.23	17.47	-445.60	-270.90
		PY	116.46	71.01	-66.57	120.90
निवेश आय - शेयर होल्डर्स		CY				370.63
		PY				258.85

Net Premium	Outside India	CY	3.40	3.07	10.78	17.25
		PY	2.62	3.78	8.62	15.02
	(% Growth)	CY	29.77	-18.78	25.06	14.85
		PY	122.03	14.20	55.60	49.75
	(% to Gross Premium)	CY	52.63	100.00	72.25	70.55
		PY	40.43	100.00	81.78	72.21
Total Net Premium		CY	476.82	169.17	4743.72	5389.71
		PY	376.81	133.05	3467.79	3977.65
	(% Growth)	CY	26.54	27.15	36.79	35.50
		PY	14.22	4.67	8.48	8.87
	(% to Gross Premium)	CY	82.60	54.99	88.50	86.30
		PY	87.02	54.81	87.35	85.62
Addition/Reduction in Un-expired Risk Reserve		CY	50.00	26.84	548.92	625.76
		PY	23.46	2.82	135.58	161.86
	(% to Net Premium)	CY	10.49	15.87	11.57	11.61
		PY	6.23	2.12	3.91	4.07
Earned Premium		CY	426.82	142.33	4194.80	4763.95
		PY	353.35	130.23	3332.21	3815.79
Incurred Claims Net		CY	241.76	112.66	4268.85	4623.27
		PY	202.88	47.52	2994.97	3245.37
	(% to Earned Premium)	CY	56.64	79.15	101.77	97.05
		PY	57.42	36.49	89.88	85.05
Commission Net		CY	14.21	11.90	229.33	255.44
		PY	12.20	10.96	208.25	231.41
	(% to Earned Premium)	CY	3.33	8.36	5.47	5.36
		PY	3.45	8.42	6.25	6.06
Expenses of Management		CY	144.24	51.54	1406.53	1602.31
		PY	121.83	45.04	1132.71	1299.58
	(% to Earned Premium)	CY	33.79	36.21	33.53	33.63
		PY	34.48	34.58	33.99	34.06
Other Income(-)/Outgo(+)		C/Y	1.06	0.61	1.66	3.33
		P/Y	1.33	0.82	5.96	8.11
Underwriting Results		CY	25.55	-34.38	-1711.57	-1720.40
		PY	15.11	25.89	-1009.68	-968.68
	(% to Earned Premium)	CY	5.99	-24.16	-40.80	-36.11
		PY	4.28	19.88	-30.30	-25.39
Investment Income - Policyholders		CY	131.68	51.85	1265.97	1449.50
		PY	101.35	45.12	943.11	1089.58
Revenue Policyholders' Account (Surplus)		CY	157.23	17.47	-445.60	-270.90
		PY	116.46	71.01	-66.57	120.90
Investment Income - Shareholders		CY				370.63
		PY				258.85

कुल निवेश आय	CY PY				1820.13 1348.43
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	CY PY				22.53 113.00
जावक घटाकर अन्य आय	CY PY				-1.80 1.84
कर पूर्व लाभ	CY PY				75.40 268.59
कर हेतु प्रावधान	CY PY				0.75 48.70
कर पश्चात लाभ	CY PY				74.65 219.89
प्रस्तावित लाभांश	CY PY				0 43.98
लाभांश संवितरण कर	CY PY				0 7.47
पूर्व वर्षों का समायोजित कर	CY PY				0.24 4.97
सामान्य आरक्षित में स्थानान्तरित	CY PY				74.89 173.41

पूँजी तथा निधियाँ

(₹ करोड़ में)				
विवरण	2010-11		2009-10	
शेयरधारकों का कोष :				
प्रदत्त पूँजी	100.00		100.00	
सामान्य आरक्षित (आरक्षित आस्थगित कर सहित)	<u>1481.46</u>	<u>1581.46</u>	<u>1481.46</u>	<u>1581.46</u>
पालिसीधारकों का कोष:				
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित	2622.71		1996.95	
वर्ष के अन्त में बकाया दावों के लिए प्राक्कलित देयता	<u>5068.53</u>	<u>7691.24</u>	<u>4187.95</u>	<u>6184.90</u>
		<u>9272.70</u>		<u>7766.36</u>

विगत वर्ष में ₹431.37 की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान ₹1506.34 करोड़ कुल निधियों की अभिवृद्धि रही । कम्पनी की कुल सम्पत्तियों ₹19365.22 करोड़ रही जो वर्ष 2009-10 में ₹18000.47 करोड़ थी ।

Total Investment Income	CY				1820.13
	PY				1348.43
Provision for Doubtful Debts	CY				22.53
	PY				113.00
Other Income less outgo	CY				-1.80
	PY				1.84
Profit Before Tax	CY				75.40
	PY				268.59
Provision for Tax	CY				0.75
	PY				48.70
Profit After Tax	CY				74.65
	PY				219.89
Proposed Dividend	CY				0
	PY				43.98
Dividend Distribution Tax	CY				0
	PY				7.47
Tax Adjustment for earlier years	CY				0.24
	PY				4.97
Transfer to General Reserve/Contingency Reserve	CY				74.89
	PY				173.41

CAPITAL & FUNDS

(₹ in crore)

Particulars	2010-11		2009-10	
Shareholders' Fund :				
Paid-up Share Capital	100.00		100.00	
General Reserve (including Deferred Tax Reserve)	1481.46	1581.46	1481.46	1581.46
Policyholders' Fund :				
Reserve for Unexpired Risks	2622.71		1996.95	
Estimated Liability for Outstanding Claims at the end of the year	5068.53	7691.24	4187.95	6184.90
		9272.70		7766.36

The accretion in total funds in 2010-11 has been ₹1506.34 crore as against ₹431.37 crore in the previous year. The total assets of the Company amounted to ₹19365.22 crore as against ₹18000.47 crore in 2009-10.



शुद्ध उपगत दावा:

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में शुद्ध उपगत दावा बढ़कर 97.05% हो गया जो वर्ष 2009-10 में 85.05% था तथा कुल प्रतिधारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में आंशिक वृद्धि के परिणामस्वरूप 86.30% हुआ जो पिछले वर्ष 85.62% था।

प्रबंधन व्यय :

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40(सी) के प्रावधानों के अनुसार, व्यय की अनुमत सीमा, बीमालेखन व्यवसाय के अनुपात पर आधारित, तथा आवश्यक समायोजन के पश्चात, प्रबंधन व्यय ₹1228.97 करोड़ रहा जो वर्ष 2009-10 में ₹913.14 करोड़ था। उपरोक्त अनुमत सीमा एवं आवश्यक समायोजन के पश्चात भारत में व्यवसाय प्रचालन पर व्यय ₹1597.64 करोड़ रहा। कम्पनी प्रबंधन व्यय को बीमा अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमा में लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

कंपनी ने वर्तमान वर्ष में कर पूर्व शुद्ध लाभ ₹75.40 करोड़ दर्ज किया जो पिछले वर्ष में कर पूर्व शुद्ध लाभ ₹268.59 करोड़ था।

अग्नि एवं मरीन पोर्टफोलियों में आधिक्य के रूप में क्रमशः ₹157.23 करोड़ एवं ₹17.47 करोड़ का लाभ रहा। विविध बीमा पोर्टफोलियो के बीमालेखन निष्पादन में ₹445.60 करोड़ की हानि हुई।

लाभांश:

बोर्ड ₹74.65 करोड़ के प्रफिट पर लाभांश की अनुशंसा नहीं कर रहा है क्योंकि यह आईआरडीए के दिशानिर्देश दिनांक 2 फरवरी 2011 के अनुसार, वितरण हेतु उपलब्ध नहीं है।

शोधन क्षमता की अपेक्षाओं का अनुपालन:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की सम्पत्ति देयता तथा शोधन क्षमता) विनियम, 2000 द्वारा निर्धारित विधि से 31 मार्च 2011 से परिकलित कंपनी शोधन क्षमता 1.34 है।

क्रिसिल रेटिंग:

क्रिसिल रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्तीय शक्ति रेटिंग के लिए कम्पनी को एएए/स्टेबल रेटिंग प्रदान की गई है जिससे पालिसीधारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने की सर्वाधिक वित्तीय शक्ति प्रदर्शित होती है।

दान, मनोरंजन, विदेश दौरा व प्रचार:

दान, मनोरंजन और अधिकारियों द्वारा विदेश दौरे, प्रचार और विज्ञापन पर वर्ष के दौरान खर्च का विवरण निम्नवत है:

(₹ में)

विवरण	2010-11	2009-10
दान	शून्य	शून्य
मनोरंजन	9,30,034	18,38,886
विदेश दौरा	24,53,448	11,03,055
प्रचार एवं विज्ञापन	8,04,89,858	10,00,95,361

विदेशी विनिमय आय तथा व्यय:

विदेशी मुद्रा में कुल आय तथा व्यय क्रमशः ₹43.70 करोड़ और ₹17.33 करोड़ था। आय में आवक पुनर्बीमा स्वीकृति जावक पुनर्बीमा अर्पण पर दावा वसूली तथा निधियों एवं निवेशों की आवक जमा शामिल है, जबकि व्यय में जावक पुनर्बीमा अर्पण आवक पुनर्बीमा स्वीकृति पर दावा निष्पादन आदि शामिल है।

निवेश:

31 मार्च, 2011 को भारत में कुल निवेश ₹8386.66 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष 31 मार्च, 2010 को ₹6365.40 करोड़ था। इसमें से समाजोन्मुख क्षेत्रों, जिसमें शामिल हैं केन्द्रीय व राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, सरकारी गारंटीयुक्त बंध-पत्र, ढाचागत बंध-पत्र, आवास और अग्नि शमन उपकरणों के लिए हुडको और विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों में 31 मार्च, 2011 को ₹4324.06 करोड़ का निवेश हुआ जो पिछले वर्ष 31 मार्च, 2010 को 3188.26 करोड़ था।

निवेश आय (वित्तीय/विमोचन पर लाभ सहित) विगत वर्ष में ₹1348.45 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹1819.68 करोड़ हुई। इस प्रकार निवेश लाभ-पिछले वर्ष में 22.24% से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 24.66% हो गया।

कम्पनी ने वर्तमान वर्ष में निवेश कोष में ₹2021.26 करोड़ अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹611.06 करोड़ थी। कम्पनी ने सेकेंडरी मार्केट में सक्रिय प्रचालन जारी रखा और कम्पनी की प्रतिभूतियों की बिक्री से अर्जित लाभ पिछले वर्ष के ₹789.83 करोड़ के बदले ₹1148.72 करोड़ हुआ।

NET INCURRED CLAIMS:

The overall Net Incurred Claim on earned premium has gone up to 97.05% in 2010-11 from 85.05% in 2009-10 with marginal increase in Net Retention from 85.62% in the last fiscal to 86.30% in the current fiscal.

EXPENSES OF MANAGEMENT:

As per the provision of Section 40C of the Insurance Act, 1938, the permissible limit of expenses being a ratio of the business underwritten, after due adjustment, was ₹1228.96 crore as against ₹913.14 crore in 2009-10. As against the allowable limit as aforesaid, the actual expenses incurred on business operations in India, after due adjustment, amounted to ₹1597.64 crore. The Company has been making determined efforts to curtail the expenses and to bring it within the permissible limit as per Insurance Act.

The Company has recorded a Net Profit Before Tax of ₹75.40 crore in the current year as against Net Profit Before Tax of ₹268.59 crore in the previous year.

Fire and Marine portfolio has shown to be profitable resulting in a surplus of ₹157.23 crore and ₹17.47 crore respectively. The underwriting performance of miscellaneous portfolio continues to show losses of ₹445.60 crore.

DIVIDEND :

The Board is not recommending dividend on the profit made of ₹74.65 crore as the same is not available for distribution as per the guidelines of IRDA dated 2nd February 2011.

COMPLIANCE OF SOLVENCY MARGIN REQUIREMENTS :

The Company has the solvency margin of 1.34 as at 31st March 2011, calculated as per the method prescribed under IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000.

CRISIL RATING :

The Company continues to enjoy the “AAA/STABLE” rating by CRISIL, which reflects the highest financial strength to meet the policyholders’ obligations.

DONATIONS, ENTERTAINMENT, FOREIGN TOURS & PUBLICITY :

The expenses incurred on donations, entertainment, foreign tours and publicity & advertisement are furnished herein below :

(in ₹)

Particulars	2010-11	2009-10
Donations	Nil	Nil
Entertainment	9,30,034	18,38,886
Foreign Tours	24,53,448	11,03,055
Publicity & Advertisement	8,04,89,858	10,00,95,361

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO :

The income and outgo in foreign exchange aggregated to ₹43.70 crore and ₹17.33 crore respectively. The income was on account of inward reinsurance acceptances, claims recovery on outward reinsurance cessions, inward remittances of funds and investments, while outgo was due to outward reinsurance cessions, claim settlement on inward reinsurance acceptances.

INVESTMENT :

The total Investment in India stands at ₹8386.66 crore as on 31st March 2011 as against ₹6365.40 crore as on 31st March 2010. Out of this, investment in socially oriented sectors which include Central and State Government Securities, Government Guaranteed Bonds, Infrastructure Bonds, Loans to HUDCO and various State Governments for Housing and Fire Fighting Equipments amounts to ₹4324.06 crore as on 31st March 2011 as against ₹3188.26 crore as on 31st March 2010.

Investment Income (inclusive of profit on sale/redemption) has increased to ₹1819.68 crore in 2010-11 from ₹1348.45 crore in the previous year. The corresponding yield on Investment for 2010-11 is 24.66% as against 22.24% in the previous year.

The Company has generated an accretion of Investment Fund to the tune of ₹2021.26 crore in the current year as against ₹611.06 crore in the previous year. The Company continued to operate actively in the Secondary Market and the profit earned on the sale of securities of the Company has been ₹1148.72 crore as against last year figure of ₹789.83 crore.

ऋण तथा ऋणपत्र के वर्गीकरण और निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थानों पर लागू प्रावधान से सम्बंधित आईआरडीए के नियमों का कंपनी ने पालन किया। सकल निष्क्रिय सम्पत्ति के लिए प्रावधान 2010-11 में घटकर ₹5.49 करोड़ हुआ और निष्क्रिय सम्पत्ति का शुद्ध प्रतिशत घटकर वर्तमान वर्ष में 0.94% रहा जो पिछले वर्ष 1.20% था। कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान निष्क्रिय सम्पत्ति से ₹4.08 करोड़ की प्रतिपूर्ति की।

वर्ष के दौरान अपलिखित निवेश ₹0.46 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष ₹1.68 करोड़ था।

31 मार्च, 2011 को भारत में इक्विटी निवेश का कुल बही मूल्य ₹2216.43 करोड़ था। इस बही मूल्य के बदले 31 मार्च, 2010 को इन इक्विटी निवेशों का बाजार मूल्य ₹10357.20 करोड़ रहा जिससे इसके बाजार मूल्य में 467.29% का संवर्धन हुआ।

पुनर्बीमा:

पुनर्बीमा उद्योग के लिए वर्ष 2010 का प्रथमार्ध बहुत ही प्रतिकूल साबित हुआ। हैती, चिलियन भूकम्पों के साथ चीन में हुई भूकम्प की घटना ने पुनर्बीमाकर्ताओं के लाभ को काफी प्रभावित किया। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप जीवन की क्षति कम हुई परन्तु म्यूनिच री के अनुसार चिली भूकम्प अब तक का दूसरा सबसे महंगा भूकम्प रहा जिसके कारण लगभग 8 बिलियन डालर की हानि दर्ज की गई। इन हानियों के अतिरिक्त अन्य घटनाओं जैसे फरवरी में मेडेंडरा में बाढ़ एवं भूस्खलन, अमेरिका के विभिन्न राज्यों में भूकम्प, जून माह में यूरोप में बाढ़ की घटनाएं, आस्ट्रेलिया में बाढ़ इत्यादि ने समस्त हानि आधिक्य प्रीमियम आधार को तबाह कर दिया। इन तबाहियों से विश्व बीमा उद्योग पर लगभग 36 बिलियन डालर की अतिरिक्त लागत आई जो पिछले वर्ष से 34% अधिक रही। पहले छः महीने में विशाल बीमित हानि के बावजूद अमेरिका में आये तूफान से भूस्खलन/भूधसन न होने के कारण हानि में कुछ कमी आई तथापि हानि से हुई तबाही के कारण मार्केट में कीमतें वर्ष 2010 में बढ़ीं। अन्य स्थानों पर इस प्रकार का प्रचलन रिइन्श्योरेंस मार्केट में पूँजी की अधिकता होने के कारण दरों में कमी आई। गे कारपेंटर वर्ल्ड रेट आन लाइन(आर ओ एल) के अनुसार वैश्विक तबाही के कारण पुनर्बीमा की दरों में नवीकरण के

समय वर्ष 2010 के दौरान औसत 6 प्रतिशत की कमी आई। तथापि अधिकतम पुनर्बीमाकर्ताओं ने गिरते हुए प्रीमियम एवं बढ़ते हुए हानि औसत को देखते हुए आनुपातिक आवरण लिखने में उत्सुकता नहीं दिखाई। पुनर्बीमाकर्ताओं पर लाभ का दबाव होने के कारण उनका ध्यान विशेषरूप से हानि आधिक्य कार्यक्रम पर रहा जो एक स्वस्थ बैलेंसशीट के कारण स्थाई बना रहा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि, बढ़ते उदारीकरण एवं निवेश नियमों में शिथिलता ने भारतीय एवं विदेशी बीमाकर्ताओं को बल प्रदान किया। आशानुरूप कीमतों पर से नियंत्रण हटने तथा डिटैरिफिंग के कारण प्रीमियम दरों में लगातार कमी आई लेकिन सम्पत्ति एवं इंजीनियरिंग बीमा की दरों में स्थिरता बनाये रखने की आवश्यकता बीमाकर्ताओं द्वारा महसूस की गई जिससे कीमतों में प्रतियोगिता बरकरार रही। कीमतों में कटौती वापस होने के परिणामस्वरूप अग्नि एवं इंजीनियरिंग समूह के बीमा में अप्रैल-सितम्बर 2010 के दौरान सुधार हुआ। तथा भविष्य में सीएजीआर (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर) में उच्च निष्पादन की संभावना बढ़ी।

वर्ष 2010-11 के लिए हमारी आनुपातिक ट्रीटी की नवीकरण स्लिप को समाप्ति सीमा के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में छोड़ा गया। विविध ट्रीटी के अलावा रिटेल एवं एसएमई में देश में बीमा की संभावनाओं के कारण बढ़ोत्तरी हुई। सभी सरप्लस ट्रीटीज की कमीशन सीमा को अवसान सीमा तक रखा गया। घटी हुई मूल दर तथा छोटी एवं मध्यम श्रेणी की कई हानियों के कारण आनुपातिक ट्रीटी एक महत्वपूर्ण बिन्दु हो गया है जबकि कुछ ट्रीटीज ने पुनर्बीमाकर्ताओं के नकारात्मक बैलेंस को प्रदर्शित किया है। पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा को-इन्श्योरेंस क्लाज, डोमेस्टिक फैकल्टेटिव पर नियंत्रण, निम्नतम पीएमएल, सेसन सीमा इत्यादि पर शर्तें लगाये जाने के बावजूद हम अपने आनुपातिक ट्रीटीज का अपनी स्लिप शर्तों के आधार पर नवीकरण करने में सफल हुए।

हमारे गैर आनुपातिक कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा वांछित बीमालेखन सम्बन्धी अधिक सूचनाएं, माइक्रो डाटा तथा पोर्टफोलियो विवरण प्रदान करने हेतु दबाव बढ़ता जा रहा है। हम इसे बीमित राशि एवं जोखिम प्रोफाइल देकर बड़े स्तर पर पूरा करने में सफल हुए हैं। हमने दो नये आवरण एविएशन हानि आधिक्य एवं दायित्व आधिक्य हानि तैयार किये हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ते क्रिया कलापों एवं वैश्वीकरण

The Company has followed the IRDA Norms relating to classification of Loans and Debentures and provision for Non-Performing Assets (NPA) as applicable to the Financial Institutions. The total provision for NPA has decreased by ₹5.49 crore in 2010-11 and the net NPA percentage has come down to 0.94% in the current year as compared to 1.20% in previous year. The Company has recovered ₹4.08 crore from NPA during the year 2010-11.

Investment written off/down during the year was ₹0.46 crore as against the last year figure of ₹1.68 crore.

The aggregate book value in Equity Investment in India as at 31st March 2011 amount to ₹2216.43 crore. As against the book value, the market value of these Equity Shares stood at ₹10357.20 crore as on 31st March 2011, showing an appreciation of 467.29%.

REINSURANCE :

The year 2010 proved to be a difficult year for the reinsurance industry after it suffered one of the most costly first halves on record. Spiraling cost from the Haiti and Chilean earthquake along with storms in China severely hit the reinsurers' margin. Despite the lower loss of life, Munich Re reported that the Chile quake was the second most expensive earthquake on record, with insured losses of around \$8 billion due to high insurance penetration levels. These losses coupled with other incidents like floods and landslides in Madeira in February, storms in several US states, severe floods in central Europe in June and widespread flooding in Australia, were sufficient to erode the entire catastrophe excess of loss premium base. The total cost from these catastrophe on the global insurance industry stands at an estimated \$36 billion, an increase of 34% over the previous year. Despite huge insured losses in the first six months, further losses were arrested due to an unexpectedly benign US hurricane season with no land-falling events. Although markets that suffered catastrophe losses in 2010, saw prices increase, the underlying trend elsewhere was one of rate reductions driven due to excess capital in the reinsurance market. According to the Guy Carpenter World Rate on Line (ROL) Index, global catastrophe reinsurance rates fell by 6 percent on an average through the 2010 renewal season. However, majority of the traditional

reinsurers showed an antipathy to writing Proportional covers in view of falling premium and increased loss ratios. As there was pressure on reinsurers to improve profitability concentration was on Excess of loss programme which continued to be stable because of the effects of healthier balance sheets.

The Indian economy with its robust growth, along with ongoing liberalization, easing of investment rules provided impetus for both domestic and foreign insurers. Expectedly, price decontrol consequent to detariffing led to steady fall in premium rates, but lately there has been appreciation amongst the insurers about the need to stabilize rates in Property and Engineering insurance which has witnessed stiff pricing competition. With price discounts on the retreat, the growth rate for the Fire and Engineering portfolio improved to 16.8% during April-September 2010 and is expected to perform at a higher Compounded Annual Growth Rate (CAGR) in the future. Globally, and in India, Market Aggregate Exposures are increasing steadily and this impacted reinsurance pricing.

The renewal slips of our Proportional Treaties for 2010-11 were floated in the international market with expiring limits except for miscellaneous treaty which was increased to tap the potential growth in retail and SME due to insurance penetration in the country. The commission levels of all the surplus treaties were maintained at expiring levels. With depressed original rates as well as number of small to medium-sized losses, proportional treaty renewals were a major concern as some of the treaties showed negative balance to reinsurers. However, despite reinsurers trying to impose stringent conditions like co-insurance clause, restrictions on domestic facultative, minimum PML, cession limits etc, we have after hard and insistent negotiations able to renew our Proportional treaties on our slip terms.

With respect to our non-proportional programme (Net Account excess of loss programme), reinsurers requirement for enhanced underwriting information continued to escalate with greater pressure being applied for providing micro data and portfolio analysis. We have been able to mitigate this to a larger extent by being able to provide sum insured exposures and risk profiles. We have also

के कारण इन आवरणों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इन पुनर्बीमा आवरणों के द्वारा हम अपने एविएशन एवं दायित्व बीमा के पोर्टफोलियों में सीधे वृद्धि करने में सफल होंगे। अपने विदेशी रिट्रो प्रोग्राम में अतिरिक्त वृद्धि करने के बावजूद एवं दो अतिरिक्त आवरण क्रय करने के उपरान्त XL की कीमत vis a vis में केवल आंशिक बढ़ोत्तरी हुई। अन्य हानि आधिक्य आवरण को अवसान आवरण सीमा पर नवीकरण किया गया। हमें यह बताते हुए हर्ष है कि सुरक्षित कीमतें एवं शर्तें एक्सपोजर्स एवं हानि अनुभव के समान हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान हम कुछ प्रमुख एकाउन्ट्स को वापस पाने में सफल हुए हैं तथा रिइन्श्योरेन्स मार्केट से फैकल्टेटिव रिइन्श्योरेन्स दरों एवं शर्तों पर कुछ नये बड़े एकाउन्ट्स को सुरक्षित रखने में सफल हुए हैं।

स्वयं को वैश्विक बीमा बाजार से परिचित कराने तथा अपने शुद्ध बीमा आय को इससे जोड़ने के लिए हमने बहुत से विदेशी इन्वर्ड व्यवसाय का बीमा किया है। हमारे पास अभी एक विशाल पोर्टफोलियो है जिसे हम आगामी वर्षों में और बढ़ाना चाहेंगे। अतः हमने वर्ष 2010-11 में अपने विदेशी इन्वर्ड रिट्रो कवर के लिए पुनर्बीमा आवरण की सीमा में विस्तार किया है जिससे हमें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्र की ट्रीटीज को अंडरराइट करने का अवसर प्राप्त होगा तथा पोर्टफोलियो संतुलित रहेगा।

पुनर्बीमा संरक्षण की दरें को सुव्यवस्थित रखने के परिणामस्वरूप हमारा कम्पनी में शुद्ध प्रतिधारित प्रीमियम वर्ष 2010-11 में 86.30% हो गया जो वर्ष 2009-10 में 85.62% था।

मोटर टीपी दावा:

जिप्सा गवर्निंग बोर्ड ने ट्रिब्यूनल स्तर पर एमएसीटी के केसों की अधिकता को देखते हुए सदस्य कम्पनियों की एक कामन कांसिलिएटरी मेकनिज्म तैयार करने का निर्णय लिया ताकि लंबित केसों का समझौते के माध्यम से शीघ्र निपटारा किया जा सके। इस प्रकार का प्रथम केन्द्र उड़ीसा राज्य के कटक में हमारी कम्पनी के प्रशासनिक नियंत्रण में कामन मेकनिज्म फार काम्प्रोमाईज सेटलमेंट ऑफ मोटर टी पी केसेज (सीएमसीएसटीपीसी) के नाम से प्रारम्भ किया गया। सीएमसीएसटीपीसी का पहले पायलट प्रोजेक्ट का कटक सेंटर पर उद्घाटन माननीय न्यायामूर्ति श्री बी पी दास, कार्यपालक अध्यक्ष, उड़ीसा उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति एवं न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 26 मार्च 2011 को माननीय न्यायामूर्ति श्री एस महापात्रा, अध्यक्ष, उड़ीसा उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति एवं न्यायाधीश उड़ीसा उच्च न्यायालय व हमारे अध्यक्ष-सह प्रबन्ध निदेशक श्री एन एस आर चन्द्रप्रसाद तथा जिप्सा एवं सदस्य कम्पनियों के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। जिप्सा की चार सदस्य कम्पनियों के द्वारा 106 एमएसीटी केसों का ₹88.70 लाख समझौता के माध्यम से निस्तारण किया गया। तब से यह केन्द्र संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहा है।

वर्ष 2010-11 में मोटर टीपी दावा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जिसके अन्तर्गत केसों की समीक्षा, निस्तारण एवं पुराने केसों की भौतिक जाँच पर बल दिया गया। टीपी उपगत दावा अनुपात, उपगत किन्तु सूचित नहीं के बिना, इस वर्ष 103% रहा तथा दावा निस्तारण अनुपात 28.96% रहा।

31 मार्च 2011 को बकाया एमएसीटी वाद मामलों का समयवार विश्लेषण

(₹ हजार में)

कब से लंबित	संख्या	राशि
30 दिन से कम	2685	681142
3 माह या कम किन्तु 30 दिन से अधिक	5971	1111284
6 माह या कम किन्तु 3 माह से अधिक	6322	1048052
1 वर्ष या कम किन्तु 6 माह से अधिक	13237	2289046
3 वर्ष या कम किन्तु 1 वर्ष से अधिक	56807	6623968
5 वर्ष या कम किन्तु 3 वर्ष से अधिक	48352	4952636
5 वर्ष से अधिक	55327	7340990
योग	188701	24047118

been able to structure and put in place two new covers i.e. Aviation excess of loss and Liability excess of loss after exploring the reinsurance market for good leads. There was a crucial need for these covers due to increased activity in these sectors due to resurgence of globalization. With these reinsurance covers in place we are confident of increasing our direct portfolio both in aviation and liability. Despite procuring additional capacity in our Foreign Inward Retro programme and buying two additional covers, the XL cost vis a vis GNPI increased only marginally. The other excess of loss covers were renewed on expiring cover limits. We are pleased to report that the secured prices and conditions commensurate with the exposures and loss experience.

During 2010-11, we have been able to win back some of the major accounts and also secure new mega/large accounts by being able to obtain competitive Facultative reinsurance rates and terms from the reinsurance market.

In order to make ourselves aware of global insurance practices and also to augment our net premium income we intend to write more foreign inward insurance business in a structured way. We have now a sizeable inward portfolio and propose to increase this portfolio in the ensuing years. Hence, we have increased the reinsurance cover limit for our foreign inward retro cover in 2010-11, which would enable us to underwrite a wider range of treaties from various regions and have a balanced portfolio.

Consequent to arranging suitable reinsurance protection at optimum rates, our Net retained

premium within the Company has gone from 85.62% in 2009-10 to 86.30% in 2010-11.

MOTOR TP CLAIMS :

The Governing Board of GIPSA had deliberated over issue of huge pendency of MACT cases at the Tribunal level and had decided to set up a Common Conciliatory Mechanism for the Member Companies at selected centres on Pilot basis for speedy compromise settlement of cases. The first such centre under the scheme named as "Common Mechanism for Compromise Settlement of Motor TP Cases (CMCSTPC)" was launched at Cuttack in the state of Orissa under the administrative control of our Company. The first Pilot project of CMCSTPC at Cuttack centre was inaugurated by hon'ble Shri Justice B. P. Das, Executive Chairman, Orissa State Legal Services Authority and Judge, Orissa High Court on 26th March 2011 in the presence of Hon'ble Shri Justice L. Mohapatra, Chairman, Orissa High Court Legal Services Committee & Judge, Orissa High Court, our CMD Shri N. S. R. Chandraprasad and other senior executives from GIPSA & its member companies. 106 MACT cases of the four member companies of GIPSA were compromised for settlement for a sum of ₹88.70 lakh. The centre has since been functioning satisfactorily.

The management of Motor TP Claims continued to remain focus area in the year 2010-11 with emphasis on review, settlement and physical verification of old cases. TP incurred claim ratio, without IBNR, is 103% this year with claim disposal ratio at 28.96%.

Age-wise analysis of Outstanding Suit (MACT only) cases as at 31st March 2011

(Amount ₹ in '000)

Period of pendency	Nos.	Amount
Cases pending less than 30 days	2685	681142
Cases pending for over 30 days up to 3 months	5971	1111284
Cases pending over 3 months up to 6 months	6322	1048052
Cases pending over 6 months up to 1 year	13237	2289046
Cases pending over 1 year up to 3 years	56807	6623968
Cases pending over 3 years up to 5 years	48352	4952636
Cases pending for more than 5 years	55327	7340990
Total	188701	24047118

वर्ष 2011-12 के दौरान केसों के निस्तारण को विभिन्न समझौता मंचों के माध्यम से निस्तारित करने को प्राथमिता दी जायेगी तथा एमएसीटी केसों को प्रचालन कार्यालय स्तर पर देख रहे अधिकारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए एवं विशेष इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण केन्द्र एनसीआईएल में आयोजन किया जायेगा।

स्वास्थ्य बीमा प्रबंधन:

वर्ष के दौरान स्वास्थ्य बीमा विभाग प्रधान कार्यालय के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य रहे:

1. तेजी से बढ़ रहे बीमा व्यवसाय क्षेत्र का नेतृत्व करना।
2. हेल्थ पोर्टफोलियो के प्रबंधन में सुधार तथा हानि को कम करने के उपाय।

उक्त उद्देश्यों के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि इस पोर्टफोलियो के लिए वार्षिक एवं दीर्घ अवधि दोनों प्रकार की योजनाएं तैयार की जाएं।

वार्षिक योजना: उद्देश्य:

वार्षिक योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा मार्केट में वृद्धि के साथ साथ उपगत हानियों को कम करने का उपाय करना।

दीर्घ अवधि योजना-उद्देश्य:

एक निश्चित उद्देश्य के अन्तर्गत कम्पनी में एक स्वतंत्र हेल्थ वर्टिकल कानिर्माण करना तथा एक स्वस्थ हेल्थ पोर्टफोलियो बनाने को प्राथमिकता देना।

स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियां:

वार्षिक योजना में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा बीमालेखन एवं दावा प्रबंधन दोनों स्तर पर कार्रवाई की गई।

वृद्धि लक्ष्य:

स्वास्थ्य बीमा मार्केट सीएजीआर के 35% कीदर से बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा तेजी से उभर रहे स्वास्थ्य व्यवसाय जैसे आरएसबीवाई के परिपेक्ष्य में स्वास्थ्य पोर्टफोलियो का लक्ष्य पिछले अनुभवों एवं उद्योग के स्तर से अधिक का निर्धारित किया गया। वर्ष के दौरान व्यवसाय में लगभग 47% की वृद्धि हुई जिससे ₹1582 करोड़ प्रीमियम प्राप्त हुआ जो पिछले वर्ष ₹1078 करोड़ था।

बीमालेखन नियंत्रण:

बीमालेखन सम्बन्धी निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया:

- कम्पनी की बीमालेखन पालिसी के अनुसरण में बीमालेखन दिशानिर्देशिका तैयार करना
- अनुभव पर आधारित समूह/टेलर्ड पालिसियों की दरों को प्रोत्साहित करना।

दावा प्रबंधन:

स्वास्थ्य बीमा के सम्बन्ध में दावा प्रशासन एवं प्रबंधन कार्यों के लिए टीपीए की मदद ली गई। वर्ष के दौरान टीपीए को दावा निस्तारण, उपगत हानि, ग्राहक सेवा एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में कम्पनी की अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराया गया। टीपीए के लिए उपगत दावा अनुपात, दावा निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। एनसीआईएल में कम्पनी में सूचीबद्ध सभी टीपीए की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें टीपीए को हमारे प्रमुख उद्देश्यों की जानकारी दी गई। टीपीए को दिये गये दिशानिर्देश के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में हेल्थ सेल की स्थापना निम्न कार्यों हेतु की गई: टीपीए पर प्रभावी नियंत्रण, मानिट्रिंग, निष्पादन की मासिक समीक्षा, उच्च उपगत दावा अनुपात समीक्षा, कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उपाय, अस्पताल विजिट इत्यादि।

स्वास्थ्य विभाग ने मुक्षेका-2, दिक्षेका-1, दिक्षेका-2, कोच्ची क्षेका, बंगलूर क्षेका एवं इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय में उच्च दावा अनुपात के कारण टीपीए की समीक्षा की। वर्ष के दौरान समूह/टेलर्ड पालिसियों के अन्तर्गत 90% से अधिक उपगत दावा अनुपात की समीक्षा के दौरान इसके कारणों पर विचार किया गया तथा मध्य अवधि में इस प्रतिकूल अनुपात को सुधारने का निश्चय किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के मण्डल/शाखा प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें उन्हें इस पोर्टफोलियो के लिए प्रबंधन की अपेक्षाओं से अवगत कराया गया।

स्वास्थ्य पोर्टफोलियो की लागत नियंत्रण एवं उचित प्रबंधन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की चारों कम्पनियों द्वारा मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, बंगलूर में जुलाई 2010 से प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क विचारधारा को लागू किया गया। इस सिस्टम के तहत 42 सामान्य प्रक्रियाओं को रखा गया है तथा प्रोसीजर के आधार पर पीपी नेटवर्क में प्रोवाइडर के द्वारा अनुमत दरें दी गई हैं जिससे जावक में 5% से 10% की कमी हो सकती है।

During the year 2011-12, high priority will be accorded for higher disposal rate of settlement of cases through various alternative conciliatory forums and enhancing skill & efficiency of all the officers dealing with tribunal cases at the operating offices by undertaking a special in-house training programme at our corporate training centre NCIL.

HEALTH INSURANCE MANAGEMENT

The Health Insurance department at Head Office had two primary objectives during the year:

1. How to be a lead player in the fastest growing insurance segment.
2. How to streamline the management of the health portfolio and bring down the loss ratio.

In the pursuit of these objectives, it was decided to have both annual and long term plan for the portfolio.

Annual Plan- objectives:

The Annual plan objectives include among others to grow, keeping an eye on the growth in the health insurance market and work towards reduction in incurred losses by multi-pronged methods.

Long term Plan- objectives:

The long term goal is to carve out an independent health vertical within the Company with clear cut goals and priorities to build up a strong and self sustainable health portfolio.

Activities of Health department:

The department initiated both underwriting and claims management initiatives to achieve the annual plan set.

Growth targets:

The health insurance market has been growing at a CAGR of around 35%. Keeping this in mind and the fast emerging new health business segments like RSBY, the target for the health portfolio was set above the industry standards & past trends. The business grew at an impressive rate of around 47% during the year to reach a premium of ₹1582 crores from ₹1078 crores in the previous year.

Underwriting control:

The underwriting initiatives were mainly directed:

- To have well documented underwriting guidelines in consonance with the underwriting policy of the Company.
- Encouraging merit rating of group/tailored policies based on experience.

Claims Management:

As the claim administration and management functions in health has been outsourced to the TPAs, we clearly conveyed our expectations to the TPAs during the year in respect of claims disposal, incurred loss, customer services and other important areas. Targets for ICR, claims disposal were fixed for the TPAs for the year. An all India TPA meeting of all empanelled TPAs was organized at NCIL to convey the corporate objectives to the TPAs. In addition to the guidelines to TPAs, health cells in the ROs were activated to take steps to strengthen TPA control, monitoring, monthly review of performance, high ICR claim review and initiation of remedial measures, hospital visits, etc.

The health department also initiated steps to carry out review exercise of TPAs in high claim ratio Regional Offices like MBRO-2, DRO-1, DRO-2, KRO, BRO and IRO during the year. The group/tailored policies with ICR above 90% were reviewed during the currency of the policies to find out the reasons for high ICR and midterm measures decided for correcting the adverse ratio. During such exercise, meetings with the DO/BO in charge of the ROs were also held to convey the corporate expectations in the management of the portfolio.

For cost containment and better management of health portfolio in the cities of Mumbai, Chennai, Delhi and Bengaluru, the Preferred Provider (PP) Network concept was introduced from July 2010 by the four Public Sector General Insurance Companies. Under this system, 42 common procedures have been identified and procedure wise rates are agreed by providers in the PP Network that may lead to reduction in outgo by 5% to 10%.

पिछले वर्ष की तरह प्रतिकूल अनुभव एवं प्रीमियम में कटौती होने के बावजूद समूह/टेलर्ड पालिसियों का प्रीमियम लगातार ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक बना रहा।

वर्ष के दौरान किये गये विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप सकल उपगत दावा अनुपात 90% रहा जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से बेहतर था।

ग्राहक सेवा:

स्वास्थ्य विभाग का लगातार यह प्रयास रहा कि ग्राहक संबंध प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी शिकायतों का निवारण किया जाय। वर्ष के दौरान पालिसी जारी करने में हुए बिलंब, दावा निरस्तीकरण एवं आरटीआई सम्बन्धी सूचनाओं से सम्बन्धित 300 से अधिक शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई।

स्वास्थ्य बीमा आवरण :

वर्ष के दौरान 14.24 लाख पालिसियां जारी की गई जिसमें 37,18,045 व्यक्तियों को आवरित किया गया। उक्त के अतिरिक्त 17551 समूह/टेलर्ड पालिसियां जारी की गई। आरएसबीवाई योजना 8 राज्यों में लागू की गई जिसमें 14.11 मिलियन व्यक्तियों को आवरित किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पालिसी:

कम्पनी ने आठ राज्यों आसाम, मिजोरम, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा लागू किया। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के संवर्ग के 14.11 मिलियन व्यक्तियों को आवरित किया गया।

डि-टैरिफिंग:

वर्ष 2010-11 के दौरान कम्पनी ने सम्पत्ति बीमा के मद में ₹800 करोड़ का प्रीमियम व्यवसाय किया जो एक मील के पत्थर के समान है। इस व्यवसाय का संतुलन बरकरार रखने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये।

सम्पत्ति बीमा मार्केट लगातार काफी अनुकूल रहा जिसमें हमारा निष्पादन स्तरीय रहा।

हमने अग्नि एवं इंजीनियरिंग बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति की है। अग्नि में वर्ष 2010-11 के दौरान सकल प्रत्यक्ष

प्रीमियम ₹570.78 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष 2009-10 के दौरान ₹427 करोड़ था। इसमें 33% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्तमान नवीकरणों को बरकरार रखने पर बल दिया गया तथा नये व्यवसाय के चयन में सतर्कता बरती गई। कुछ विशेष संवर्ग के जोखिमों के लिए जैसे काटन का अग्नि बीमा, गिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने, कच्चा कपास एवं प्लास्टिक सामान बनाने वाली इकाइयों के उत्तम बीमा लेखन हेतु एक विशेष प्रकार की बीमालेखन दिशानिर्देशिका तैयार की गई है। इंजीनियरिंग में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम ₹246.28 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष 2009-10 में 187 करोड़ था। इस प्रकार इस व्यवसाय में 32% की वृद्धि दर रही।

हमारा हानि अनुपात समुचित रहा। अग्नि व्यवसाय में उपगत दावा अनुपात लगभग 53% रहा। इंजीनियरिंग में यह 57% था।

इस क्षेत्र में हम नये एड आन कवर /क्लाज लाने के लिए बीमा नियामक से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं जिससे ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सके।

विदेश व्यवसाय:

कम्पनी का प्रचालन केवल नेपाल में हो रहा है।

नेपाल:

हमारी कम्पनी का नेपाल में प्रचालन 7 कार्यालयों के माध्यम से होता है जिसमें नियंत्रक कार्यालय एवं तीन शाखा कार्यालय काठमांडू में स्थित हैं तथा अन्य तीन बीरगंज, विराटनगर एवं नेपालगंज में स्थित हैं। दो एक्सटेंसन सेंटर बीरगंज शाखा के अन्तर्गत जनकपुर एवं हेटौडा में स्थित हैं। पूर्व वर्षों की तरह नेपाल कार्यालय ने संतोषजनक वृद्धि दर्शाई है।

हांगकांग:

हांगकांग शाखा में 18 फरवरी 2002 से नया व्यवसाय स्वीकार करना बन्द कर दिया गया है तथापि न्यू इंडिया द्वारा वर्तमान पालिसी एवं दावा सम्बन्धी सेवाएं दी जा रही हैं।

The co-ordination in group/tailored policies with premium of and above ₹1 crore continued like the previous year to encourage information sharing on group policies with adverse experience and discourage undercutting of premium.

Because of the many initiatives taken during the year, the ICR on gross basis has been 90% and better than that of our PSU peers.

Customer Services:

It has been the endeavour of the health department to supplement the efforts of the CRM department to receive and resolve customer grievances relating to health insurance. More than 300 grievances were received in the department during the year encompassing issues from issuance of policies to delay, repudiation of claims and RTI queries.

Coverage under Health Insurance:

During the year, 14.24 lacs retail health policies were issued covering 37,18,045 persons. In addition, 17551 group/tailored policies were issued. In RSBY scheme implemented by the Company in 8 states 14.11 million persons were covered.

Rashtriya Swasthya Bima Policy:

The Company implemented Rashtriya Swasthya Bima in eight states of Assam, Mizoram, Tripura, Maharashtra, Haryana, Karnataka, Bihar and West Bengal and covered 14.11 million persons of BPL category. The Company booked a premium of ₹80.53 crores from RSBY during the year.

DETARIFFING

During the year 2010-11, our Company has crossed a total of ₹800 crores towards property insurance premium which is a significant milestone. We tried to balance prudence and aggression.

The property insurance market continued to remain soft and our performance has been good.

We have grown in both fire and engineering business segment. In Fire, the gross direct premium

during 2010-11 is about ₹570.78 crores over ₹427 crores in 2009-10 which signifies a growth of 33%. The emphasis has been to retain our existing renewals and be selectively aggressive in case of new business depending on the quality of business on offer. For certain categories of risks like fire insurance of cotton, ginning and pressing factories, raw kapas and plastic goods manufacturing units underwriting guidelines have been put into place for better management of underwriting. In engineering the gross direct premium is about ₹246.28 crores over ₹187 crores in 2009-10 thus translating into a growth rate of 32%.

Our loss ratio has been reasonable. The incurred claim ratio to direct fire premium is about 53%. In the engineering class of business, the incurred claim ratio of the Company to direct engineering premium is about 57%.

We are also in the process of filing new add-on covers/clauses with the Regulator for approval, which will help us to meet the requirements of the clients better.

FOREIGN BUSINESS

The Company has operations in Nepal only.

NEPAL

Our Nepal Operation is conducted through 7 offices of which the Controlling Office and 3 Branch Offices are located in Kathmandu - the other 3 are located in Birganj, Biratnagar and Nepalganj respectively. Two Extension Centres are located at Janakpur and Hetauda under Birgunj Branch. As in earlier years, Nepal Office has shown satisfactory growth even in the past fiscal.

HONG KONG

Hong Kong branch stopped accepting new business since 18th February 2002. The run-off operations are being handled by 'New India' who continue to service existing policy and claims.

वित्तीय वर्ष 2010-11 में विदेश प्रचालन का कार्यकारी परिणाम:

विदेश शाखा परिणाम:

(₹. करोड़ में)

विवरण	नेपाल		हांगकांग		योग	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	24.46	20.81	0.00	0.00	24.46	20.81
शुद्ध प्रीमियम	17.26	15.04	0.00	0.00	17.26	15.04
शुद्ध उपगत दावा	15.19	5.71	1.00	-3.68	16.19	2.03
शुद्ध कमीशन	0.56	0.32	0.00	0.00	0.56	0.32
प्रबन्धन खर्च	3.17	2.63	0.28	0.32	3.45	2.95
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में कमी/वृद्धि	1.11	2.43	0.00	0.08	1.11	2.51
निवेश तथा अन्य आय	4.78	2.78	0.24	0.29	5.02	3.07
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	-0.61	-0.43	-0.38	-4.29	-0.99	-4.72
शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	1.40	6.30	-1.42	-0.72	-0.02	5.58

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय:

वर्ष 2010-11 के दौरान ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	भारत में लिखित कुल सकल प्रीमियम ₹ लाख में	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित पालिसियां (संख्या)	ग्रामीण क्षेत्रों में बीमित सकल प्रीमियम ₹ लाख में	कुल जीडी पीआई से ग्रामीण व्यवसाय का% (4/2x100)	क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हाँ/नहीं)	सामाजिक क्षेत्र में संरक्षित जीवन की संख्या	क्या सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य पूरे हुए (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	6220.72	2630184	527.88	8.5%	हाँ	3279401	हाँ

संगठनात्मक व्यवस्था:

31 मार्च, 2011 तक क्षेत्रीय कार्यालयों, मण्डलीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों तथा व्यवसाय केन्द्रों की स्थिति:

क्षे.का.	24
मं.का.	321
शा.का.डाइरेक्ट अभिकर्ता शाखा	620
व्यवसाय केन्द्र	251
कुल	1216

प्रोत्साहन योजना का परिचय:

अभिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्राइवेट कार,

दुपहिया वाहन एवं व्यावसायिक वाहनों की पालिसी बेचने पर पुरस्कार योजना अक्टूबर, 2010 एवं जनवरी, 2011 में चलाई गई तथा स्वास्थ्य बीमा पालिसी के लिए पुरस्कार योजना अक्टूबर, 2010 में प्रारंभ की गई।

कार्यक्रम:

- ✓ श्रेष्ठ निष्पादनकर्ता अभिकर्ता, विकास अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी (विकास) एवं सहायक प्रबंधक (विकास) की क्षेत्रवार बैठक का आयोजन किया गया।
- ✓ निष्पादन की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय प्रभारियों की बैठक का आयोजन अगस्त व अक्टूबर, 2010 में किया गया।

The working result of our foreign operations for the fiscal 2010-11 :

FOREIGN BRANCH RESULTS :

(₹ in crore)

Particulars	Nepal		Hongkong		Total	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Gross Direct Premium	24.46	20.81	0.00	0.00	24.46	20.81
Net Premium	17.26	15.04	0.00	0.00	17.26	15.04
Net Incurred Claims	15.19	5.71	1.00	-3.68	16.19	2.03
Net Commission	0.56	0.32	0.00	0.00	0.56	0.32
Expenses of Management	3.17	2.63	0.28	0.32	3.45	2.95
Decrease/Increase in Reserve for Unexpired Risk	1.11	2.43	0.00	0.08	1.11	2.51
Investment and other Income	4.78	2.78	0.24	0.29	5.02	3.07
Foreign Exchange Gain/Loss	-0.61	-0.43	-0.38	-4.29	-0.99	-4.72
Net Profit (+)/Loss (-)	1.40	6.30	-1.42	-0.72	-0.02	5.58

RURAL & SOCIAL SECTOR BUSINESS:

Rural & social sector obligations and achievements with details in respect of the year 2010-11 are furnished herein below :

Year	Total Gross Premium under written in India (₹ in crores)	Policies u/w in Rural Areas (in nos.)	Gross Premium u/w in Rural Areas (₹ in crores)	% of Rural business to total GDP (Col 4/2x100)	Whether Rural Sector stipulations met? (Yes/No)	No. of lives covered in the Social Sector	Whether Social Sector stipulations met? (Yes/No)
1	2	3	4	5	6	7	8
2010-11	6220.72	2630184	527.88	8.5%	Yes	3279401	Yes

ORGANISATIONAL SET UP:

Total number of ROs, DOs, BOs & Business Centres as on 31st March 2011 are as follows :

Regions	24
Divisional Offices	321
Branch & DABs	620
Business Centres	251
Total	1216

INTRODUCTION OF INCENTIVE SCHEME :

To encourage Agents, Prize Schemes for selling

policies for Private Cars, Two Wheelers and Commercial Vehicles were launched in October 2010 and January 2011 and Prize Scheme for selling Health Insurance policies in October 2010.

Programmes :

- ✓ Zone-wise meet of Star performers among Agents, Development Officers, AO(D)s and AM(D)s were held.
- ✓ Meets for Regional In-charges for performance review were held in August and October 2010.

रणनीतिक विभाग की गतिविधियां:

कम्पनी ने आटोमोबाइल निर्माणकर्ता, बैंक एवं अन्य व्यापक वितरण नेटवर्क वाले संस्थानों के साथ टाई अप व्यवस्था के माध्यम से इस क्षेत्र के व्यवसाय पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।

कम्पनी ने मारुति, हीरो होण्डा, टाटा मोटर्स, होंडा सील, निसान, मैग्मा एवं बैकाशोरेन्स के साथ रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से 31 मार्च 2011 तक ₹1438 करोड़ का व्यवसाय किया जो 31 मार्च 2010 को ₹1104 करोड़ था। इस व्यवसाय में पिछले वर्ष 4.12% की वृद्धि दर रही जो वित्तीय वर्ष में बढ़कर 30.25% हो गई। वर्ष 2010-11 में कम्पनी के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में रणनीतिक गठबंधन व्यवसाय का कुल अंश 23.50% रहा।

वर्ष के दौरान वाहन निर्माता दो प्रमुख कम्पनियों मारुति एवं हीरो होंडा के साथ टाई अप से क्रमशः ₹815 करोड़ एवं ₹234 करोड़ का व्यवसाय वर्ष 2010-11 के दौरान किया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2009-10 में यह व्यवसाय क्रमशः ₹641.25 करोड़ एवं ₹166.25 करोड़ रहा। मारुति के व्यवसाय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 27% की वृद्धि तथा हीरो होंडा के व्यवसाय में 41% की वृद्धि हुई।

12.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए बैकाशोरेन्स व्यवसाय ने वर्ष 2010-11 में ₹259.86 करोड़ का व्यवसाय किया जो पिछले वित्तीय वर्ष में 231.78 करोड़ था। चार महत्वपूर्ण बैंक, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर तथा स्टेट बैंक आफ मैसूर ने बैकाशोरेन्स व्यवसाय में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इन बैंकों का स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो वर्ष 2010-11 के दौरान बढ़कर ₹50 करोड़ हो गया। बीमा विनियामक के नये प्रावधानों, रेफरल व्यवस्था का कार्पोरेट एजेंसी में परिवर्तन, जिसने बैकाशोरेन्स व्यवसाय को प्रभावित किया, के बावजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/अन्य बैंकों का व्यवसाय वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग ₹12 करोड़ रहा।

वर्ष 2010-11 के दौरान रणनीतिक गठबंधन प्रबंधन विभाग द्वारा अनेक नये कार्य प्रारंभ किये गये:

- कम्पनी ने अन्य वाहन निर्माता कम्पनी, निसान से टाई अप किया। टाटा मोटर्स के साथ टाई अप की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- पिछले वित्तीय वर्ष में 6 नेटमार व्यवसाय हब्स की जगह 16 नेटमार व्यवसाय हब्स में ढांचागत परिवर्तन करते हुए उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया।
- नेटमार व्यवसाय निष्पादन में सुधार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक का आयोजन करना।
- कम्पनी ने नेटमार व्यवसाय के दावा निस्तारण सम्बंधी समयसीमा एवं उपगत दावा अनुपात में अपेक्षित सुधार का प्रयास करना।
- नेटमार व्यवसाय के ओ डी उपगत दावा अनुपात में सुधार हुआ जो वर्ष 2009-10 में 91% से घटकर वित्तीय वर्ष 2010-11 में 68% हो गया। सम्पूर्ण उपगत दावा में सुधार हुआ जो वर्ष 2009-10 में 83% से घटकर वर्ष 2010-11 में 67% हो गया।
- नेटमार व्यवसाय में दावा निस्तारण समय सीमा में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। 31 मार्च 2011 तक दावा दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात दो सप्ताह में 85% दावा का निस्तारण किया गया।
- अक्टूबर एवं नवम्बर 2010 में हीरो होंडा माह का आयोजन किया गया जिससे इस व्यवसाय की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई।
- होंडा सील में एक प्रोत्साहन योजना, जो पहले नवीकरण के व्यवसाय पर लागू थी जिसे बाद में नई पालिसियों के लिए लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 में नवीकरण पालिसियों की संख्या 6323 हो गई जो वर्ष 2009-10 में 911 थी।
- जनवरी-मार्च 2011 में बैकाशोरेन्स माह का आयोजन किया गया जिसमें बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा एवं स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर की को ब्रैंडेड स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की बिक्री को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। को-ब्रैंडेड हेल्थ बीमा पालिसी को बेचने के

ACTIVITIES OF THE STRATEGIC ALLIANCES DEPARTMENT

Strategic Alliances spearhead the retail focus of the Company through tie-up arrangements with automobile manufacturers, banks and other entities with large distribution networks.

As on 31st March 2011, the total premium from the strategic alliances with Maruti, Hero Honda, Tata Motors, Honda Siel, Nissan, MAGMA and Bancassurance business was ₹1438 crore as against ₹1104 crore as on 31st March 2010, registering a growth rate of 30.25% as against a growth of 4.12% during the previous financial year. The contribution of strategic alliance business to the total GDPI of the Company in the Financial Year 2010-11 is 23.50%.

The two major tie-ups with automobile manufactures namely Maruti & Hero Honda have generated a premium of ₹815 crore and ₹234 crore respectively during the year 2010-11 as against ₹641.25 crore and ₹166.25 crore respectively during the year 2009-10. While the Maruti business has grown by 27%, the Hero Honda business has grown by 41% over the previous year.

The Bancassurance business growing at a rate of 12.11% has generated a premium of ₹259.86 crore during the year 2010-11 as against ₹231.78 crore during the previous financial year. The four major banks which contributed to most of the bancassurance business are Bank of India, Bank of Baroda, State Bank of Bikaner & Jaipur and State Bank of Mysore. The co-branded Health Insurance Portfolio of these banks has grown to ₹50 crores during the year 2010-11. Despite the new regulatory provisions relating to conversion of referral Arrangements to corporate agency affecting the bancassurance business, the business from Regional Rural banks/other banks during the current financial year remains at ₹12 crores approximately.

During the year 2010-11, the Strategic Alliances Management department has undertaken several new initiatives which includes:

- Company has tied-up with yet another high profile automobile manufacturer, Nissan Motors. Another tie-up with Tata Motors (Commercial Vehicles Business Unit) is in advance stage of finalization.
- Strengthening of the structural changes related to NATMAR business, by taking the number of NATMAR Business Hubs to 16 in all as compared to 6 during the previous financial year.
- Regular video conference meets have been organized with Regional Offices to monitor and improve the performance in NATMAR business.
- Company continued with its Claims Management efforts in NATMAR business, improving the turn around time and Incurred Claims Ratio.
- Own Damage Incurred Claims Ratio of NATMAR business has improved from over 91% during the year 2009-10 to 68% during the current financial year. The overall Incurred Claims Ratio has improved from 83% during the year 2009-10 to 67% during the year 2010-11.
- Turn around time for claim settlement in NATMAR business has improved considerably. As on 31st March 2011, 85% claims are settled within two weeks from the receipt of claim documents.
- Hero Honda month was observed during the month of October and November 2010 which accelerated the growth rate of the business.
- An incentive scheme in Honda Siel, launched initially for tapping the renewal policies which was later extended for new policies as well, has resulted in increase in renewal policies from 911 policies during the year 2009-10 to 6323 during the year 2010-11.
- Bancassurance month was observed during January-March 2011 in which focus was on sale of co-branded Health Insurance Policies of Bank of India, Bank of Baroda & State Bank of Bikaner & Jaipur. The premium from sale of

परिणामस्वरूप 37.36% की वृद्धि के साथ वर्ष 2010-11 में ₹40.81 करोड़ का व्यवसाय हुआ जो पिछले वर्ष 2009-10 में ₹29.70 करोड़ था।

- बैंक आफ इंडिया को संदर्भित आधार पर, कार्पोरेट एजेंट के रूप में परिवर्तित किया गया है।

विभाग आगामी वित्तीय वर्ष में रणनीतिक गठबंधन के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचने हेतु प्रयासरत है। तथापि विनियामक के नये प्रावधानों का रणनीतिक गठबंधन पर असर स्वाभाविक है।

प्रचार गतिविधियाँ :

प्रचार विभाग ने वर्ष 2010-11 के लिए ब्रैंड एनआईसी को मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने की व्यापक योजना बनाई। सभी मीडिया माध्यम जैसे इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, आउटडोर एवं इवेंट को माध्यम बनाकर कम्पनी के संदेश को प्रचारित करने का प्रयास किया गया।

वर्ष की चारों तिमाहियों में प्रिंट मीडिया काफी प्रभावी रहा। प्रथम चरण में कम्पनी के व्यवसाय सम्बन्धी गतिविधियों को प्रचारित किया गया। द्वितीय चरण में मार्केटिंग से जुड़े कार्मिकों की गतिविधियों सम्बन्धी सम्मेलनों को प्रचारित किया गया। तृतीय चरण में एनआईसी स्थापना दिवस के आयोजन के रूप में प्रचारित किया गया तथा चतुर्थ चरण में विशेषरूप से बजट एवं व्यवसाय विवरण को प्रचारित किया गया।

कम्पनी के मैसेज को क्षेत्रीय, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित किया गया। इन प्रकाशनों के साथ साथ आद्योगिक विषयों, सम्पादकीय तथा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के साक्षात्कार को इसमें जोड़कर इसे और भी प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया।

पत्रिका : न्यूज, लाइफस्टाइल, इनफ्लाइट तकनीकी इत्यादि को ब्रैंड से जोड़कर कम्पनी के ब्रैंड को विस्तारित किया गया।

आउटडोर मीडिया का चुनाव इसके प्रभावी मूल्यों एवं तत्काल प्रभाव के कारण किया गया। इसी कड़ी में एअरपोर्ट ग्लोसाइन, ट्रालीज, इनफ्लाइट मैगजीन का चयन किया गया। शहर की जनता ने हमारे संदेश को गैट्रीज, कियास्क, रोड ट्रैफिक

बार, बस शेल्टर, लेड डिस्प्ले, मेट्रो स्टेशन, स्थानीय यातायात के साधनों एवं होर्डिंग्स में देखा।

इलेक्ट्रानिक मीडिया: वित्तीय एवं रेलवे के बजट के लिए टी वी का उपयोग किया गया। त्रौहार एवं अवकाशों के विषय पर आयोजन रेडियो के माध्यम से किये गये।

इवेंट्स एवं अन्य गतिविधि: स्थानीय चैम्बर आफ कामर्स एवं बाहरी एफआईसीसीआई, ईयू चैम्बर, एसोचेम के साथ स्पांसरशिप एवं उनके कार्यक्रमों में सहभागिता के द्वारा सम्बन्धों का विस्तार किया गया।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर): कम्पनी द्वारा एनजीओ, अनाथ, विशेष स्कूल, रोटरी क्लब, टाइगर संरक्षण प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर प्रमोशन एवं खेलकूद इत्यादि में उनकी गतिविधियों को स्पांसर के माध्यम से कम्पनी की सीआरएस गतिविधि को जारी रखा गया।

शैक्षिक संस्थान: सिम्बायोसिस, सीएमए, बंगाल इंजीनियरिंग कालेज एवं अन्य व्यावसायिक कालेजों द्वारा आयोजित कार्यशाला एवं सेमिनार को कम्पनी द्वारा स्पांसर कर इस क्षेत्र के नवयुवकों में एनआईसी ब्रैंड को प्रचारित करने का प्रयास किया गया।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 में प्रचार गतिविधियों ने कम्पनी की ब्रैंड इमेज को स्पष्ट एवं गुंजायमान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ग्राहक सम्बन्ध प्रबंधन:

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में निम्न उद्देश्यों के साथ ग्राहक शिकायत निवारण सिस्टम लागू किया:

1. ग्राहक केन्द्रित कार्यप्रणाली
2. शिकायत निवारण हेतु समय सीमा का निर्धारण
3. असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील का प्रावधान
4. संबंध निर्धारण पर बल
5. ग्राहक को उचित सेवा प्रदान करना

प्रधान कार्यालय का सीआरएम विभाग ग्राहक शिकायतों के मामले में एक प्रमुख विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय ग्राहक सम्बन्ध समिति एवं मण्डलीय ग्राहक सम्बन्ध समिति का गठन प्रक्रियाधीन है। हम प्रधान कार्यालय स्तर

co-branded Health Insurance Policies has increased from ₹29.70 crores during the year 2009-10 to ₹40.81 crores during the year 2010-11 growing by 37.36%.

- Bank of India, which hitherto functioned on referral basis, has been converted into a Corporate Agent.

The department proposes to reach new heights in strategic alliances during the next financial year. However, the new regulatory provisions relating to strategic alliances are likely to have impact on the business.

PUBLICITY ACTIVITIES:

The Publicity Plan for 2010-11 was designed to ensure that all media such as electronic, print, outdoor and event were included to ensure an extensive reach of the advertising message.

Print media was spread over the four quarters of the year. The first phase commenced with the announcement of NICs turnaround results of 2009-10. The second phase was timed to coincide with the Marketing Forces Conferences being held in different parts of the country. The third phase was earmarked for the NIC Foundation Day celebration. Fourth phase concentrated on the Budget and was specially focused on Business dailies.

Mainline dailies in vernacular languages, Hindi and English were the chosen vehicles for disseminating the brand message. This combined with special supplements published by these dailies on industry related subjects, editorial support and CMD interviews contributed to enhancing visibility.

Magazines : News, lifestyle, inflight, technical etc. added to brand building measures and expanded the reach of the brand.

Outdoor Media was chosen for its strong value proposition and immediate impact. For the frequent flyer, Airport glow signs, trolleys, inflight magazines were chosen, the city audience saw the message through Gantries, Kiosks, Road traffic bars, Bus shelters, LED displays, Metro stations, local modes of conveyance and hoardings.

Electronic Media: For the Budget campaign, both

Finance and Railway TV was utilized. Celebrations and felicitations on festivals and holidays were conveyed through the lighter and more accessible radio.

Events & Ground Activation: PR with local Chambers of Commerce and those outside such as FICCI, EU Chamber, ASSOCHAM was well established through sponsorship and participation in their events.

Corporate Social Responsibility (CSR): The Company's CSR activities continued to be extended through collaboration with NGOs, Orphanages, Special Schools, Rotary Clubs, Tiger Conservation Projects, Health Care promotions, Sporting activities etc. by sponsoring their events and activities.

Educational Institutions: Brand NIC also made its presence felt in the minds of the young and educated through sponsorship of seminars and workshops conducted in eminent educational institutions such as Symbiosis, CMA, Bengal Engineering College and other professional colleges.

In conclusion, it may be said that the Company's well structured publicity activities in 2010-11 has contributed to making NIC a visible and vibrant brand.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

During the fiscal 2010-11, the Company has introduced Customer Grievance Redressal System with the following objectives:

1. Customer centric and holistic approach in processes and procedures.
2. Time bound redressal procedure for resolving grievances.
3. Provision of appeal in case of non-satisfaction.
4. Emphasis on relationship building.
5. Fair treatment to customers.

CRM department at Head Office is acting as a nodal department for handling customer grievances. Regional Customer Relationship Committee and Divisional Customer Relationship Committee are

पर एक कार्पोरेट ग्राहक सम्बन्ध समिति का गठन कर रहे हैं जिसमें महाप्रबंधक (सीआरएम विभाग) एवं महाप्रबंधक (तकनीकी) विभाग को शामिल किया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के सीआरएम विभाग के कार्यकारी प्रधान एवं मण्डलीय प्रभारी क्रमशः आरसीआरसी एवं डीसीआरसी के संचालक हैं।

कम्पनी ने क्षेत्रीय सीआरएम विभाग में सुधार करने के लिए शिकायत सम्बन्धी मामलों पर माह नवम्बर, 2010 में एनसीआईएल में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया तथा इस कार्यशाला में लिए गये निर्णयों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मंडल/शाखा के शिकायत विभाग

में कार्यरत कार्मिकों, टाई अप पार्टनर्स एवं टीपीए हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतियोगिता को बढ़ाने तथा उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना के लिए हम निम्न बिन्दुओं पर आधारित प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं-

- वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों का सर्वोच्च निस्तारण
- ग्राहक सेवा माह में शिकायतों का सर्वोच्च निस्तारण
- वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की संख्या

आईआरडीए द्वारा लागू की जा रही समन्वित शिकायत प्रबंधन सिस्टम (आईजीएमएस) को आन लाइन शिकायत सिस्टम पर लागू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

i) शिकायत निष्पादन

01.04.2010 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2010-11 में सूचित शिकायतों की संख्या	2010-11 में निपटान की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2011 को लम्बित शिकायतों की संख्या	2010-11 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)	2009-10 में शिकायतों के निपटान का अनुपात (%)
297	9640	9202	735	92.60	88

ii) जारी दस्तावेज

01.04.2010 को लम्बित दस्तावेजों की संख्या	2010-11 में प्राप्त दस्तावेजों की संख्या	2010-11 में जारी दस्तावेजों की संख्या	31.03.2011 को लम्बित दस्तावेजों की संख्या	2010-11 में दस्तावेज प्रलेखन का अनुपात (%)	2009-10 में दस्तावेज प्रलेखन का अनुपात (%)
62,323	1,95,90,777	1,96,53,100	nil	100	99.61

iii) दावा निपटान (नान-सूट)

01.04.2010 को लम्बित दावों की संख्या	2010-11 में सूचित दावों की संख्या	2010-11 में निपटान किए गए दावों की संख्या	31.03.2011 को लम्बित दावों की संख्या	2010-11 में दावा निपटान का अनुपात	2009-10 में दावा निपटान का अनुपात (%)
1,13,086	10,51,801	10,13,415	1,51,472	87.00	85.74

in the process of being formed. We are in the process of constituting Corporate Customer Relationship Committee (CCRC) at Head Office comprising General Manager (CRM department) and General Manager (Technical department). Functional Head of CRM Department of each RO and Divisional in-charges are the respective convenor of RCRC and DCRC.

The Company has also taken a positive drive to improve the functioning of Regional CRM department by organising two days workshop on grievance matters during the month of November 2010 at NCIL, Narendrapur and subsequently based on the directives in that workshop each RO had organized workshops with DO/BO grievance officials, with the tie-up partners and TPAs.

To encourage keen competition and recognize good efforts made by the ROs, we are issuing award certificates based on -

- Highest clearance of grievance during the fiscal year.
- Highest clearance of grievance during the customer service month.
- Number of workshops conducted during the year.

We are in the process of implementation of 'On-line Grievance System' to match with the Integrated Grievance Management System (IGMS) being implemented by IRDA.

i) Redressal of Grievances

Number of grievances outstanding as on 01/04/2010	Number of grievances reported during 2010-11	Number of grievances redressed during 2010-11	Number of grievances outstanding as on 31/03/2011	Grievance redressal ratio during 2010-11 (%)	Grievance redressal ratio during 2009-10 (%)
297	9640	9202	735	92.60	88

ii) Issuance of Documents

Number of documents reported pending as on 01/04/2010	Number of documents incepted during 2010-11	Number of documents issued during 2010-11	Number of documents pending as on 31/03/2011	Documentation ratio during 2010-11 (%)	Documentation ratio during 2009-10 (%)
62,323	1,95,90,777	1,96,53,100	nil	100	99.61

iii) Claim Settlement (Non-suit)

Number of claims outstanding as on 01/04/2010	Number of claims reported during 2010-11	Number of claims settled during 2010-11	Number of claims outstanding as on 31/03/2011	Claim settlement ratio 2010-11 (%)	Claim settlement ratio 2009-10 (%)
1,13,086	10,51,801	10,13,415	1,51,472	87.00	85.74

31 मार्च 2011 को लम्बित नान-सूट दावों का समयवार विश्लेषण

30 दिन या कम	1 माह से 3 माह तक	3 से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष तक	3 से 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
53,991	31,564	32,678	16,481	12,360	2,331	2,067	1,51,472

मानव संसाधन:

1. 31 मार्च, 2011 तक श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	कुल स्टाफ संख्या
I	5044
II विपणन प्रशासनिक	1059
III	6908
IV पीटीएस सहित	1987
कुल	15600

अनु.जाति/जनजाति, पिछड़ावर्ग, पीडब्ल्यूडी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी कार्य:

पदों के आरक्षण में बढोत्तरी, नियुक्ति में आयुसीमा में छूट तथा अनु. जाति/जनजाति की पदोन्नति में पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। ओबीसी की नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू प्रावधानों को कम्पनी में लागू किया जा रहा है।

अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों को एनआईए, पुणे प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण दिलाया गया। विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर अधिकाधिक संख्या में अनु.जाति/जनजाति/ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित कर प्रशिक्षण दिया गया।

2. कम्पनी में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या (सीधी भर्ती)

श्रेणी	योग	अजा	अजजा	अपिजा	शावि	भूतपूर्व सैनिक
I	16	4	-	5	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
कुल	16	4	-	5	-	-

सूचना का अधिकार:

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त सभी पब्लिक अथारिटी में आरटीआई विभाग एक प्रमुख विभाग हो गया है। आरटीआई की शिकायत एवं अपीलों के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश की जनता में अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त करने के प्रति कितनी जागरूकता आई है।

कम्पनी ने आरटीआई विभाग से जुड़े कार्मिकों में कार्य सम्बन्धी कुशलता विकसित करने के लिए एनसीआईएल नरेन्द्रपुर में मार्च 2011 में एक इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपीलीय प्राधिकारी, सीपीआईओ एवं प्रधान कार्यालय के सीपीआईओ ने भाग लिया। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मंडल एवं क्षेत्रीय कार्यालय के सीपीआईओ एवं सीपीआईओ को आवश्यक प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जा सके।

iv) Age-wise analysis of number of outstanding non-suit claims as at 31st March 2011

30 days or less	1 month to 3 months	3 months to 6 months	6 months to 1 year	1 year to 3 years	3 years to 5 years	More than 5 years	Total
53,991	31,564	32,678	16,481	12,360	2,331	2,067	1,51,472

HUMAN RESOURCES :

1. Class wise employees strength as on 31st March 2011

Class	No. of employees
I	5044
II Marketing Administration	1059 602
III	6908
IV including PTS	1987
Total	15600

2. Net addition to the work force of the Company (Direct Recruitment)

Class	Total	SC	ST	OBC	PWD	Ex-serv.
I	16	4	-	5	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
Total	16	4	-	5	-	-

WELFARE OF SC/ST/OBC/PWD/EX-SERVICEMEN

The guidelines of Government on extending reservation of posts, relaxation of age in recruitment and reservation of posts in promotion for SC/ST categories are being followed. The guidelines issued by the Government in reservation for OBC in recruitment are followed. The provisions governing persons with disabilities are being implemented as required.

Pre-promotion training programme are being conducted for SC/ST employees. The officers were trained at Learning Centre and at NIA, Pune, the number of SC/ST/OBC officers were adequate. Adequate participation of SC/ST/OBC employees was also ensured at the training programme organized at various Regional Training Centres.

RIGHT TO INFORMATION

By the time the RTI Act, 2005 has been promulgated,

RTI department has become an important area of work in every Public Authority. The figure shown clearly demonstrate the rapid increase in the number of RTI applications and appeals by which we can clearly judge the awareness of the citizens of the country to get the information in respect of their personal necessity.

The Company has also taken necessary steps to acquaint the personnel who are entrusted with the job of RTI department by organising three days in-house training programme for AAs and CPIOs of all Regions and CAPIOs of Head Office during the month of March 2011 at NCIL, Narendrapur. Likewise attempts are also being made by the ROs to conduct one day workshop so that the CPIOs & CAPIOs of all divisions & branches are given necessary training to acquire required skill and knowledge.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के आरटीआई मामलों से सम्बन्धित आँकड़े निम्नवत हैं:

क्रम सं	आवेदन	2010-11	2009-10
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	1209	1018
2.	सूचना दिये गये मामलों की संख्या	1079 (89.24%)	918 (90.17%)
3.	जिन मामलों में सूचना देने से मना किया	130	100
	अपील		
1.	प्राप्त अपीलों की संख्या	201	171
2.	सूचना माँगने वाले के पक्ष में निस्तारित की गयी अपीलों की संख्या	144 (71.64%)	135 (78.94%)
3.	जिन अपीलों में सूचना देने से मना किया गया	56	32
4.	31.03.2011 तक लंबित अपील	1	4
	सीआईसी प्रकरण		
1.	अपील/शिकायतों की संख्या	53	20
2.	खारिज केस	11	5
3.	सूचना माँगने वाले के पक्ष में निर्णीत केस	40	15
4.	सीआईसी में लंबित मामलें	2	0

मानव संसाधन विकास:

मानव संसाधन विकास की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2010-11 काफी महत्वपूर्ण वर्ष रहा। यह ऐसा वर्ष रहा जिसमें कम्पनी ने भारतीय बीमा मार्केट में प्रथम स्थान पर रहते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। हमारे कार्पोरेट मैनेजमेंट द्वारा निर्धारित संशोधित 6060 का बजट एवं एचआरडी के दृष्टिकोण से कर्मचारियों को प्रेरित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण था।

इस कार्य में एचआरडी कार्मिकों के कौशल में विकास, प्रेरणा के माध्यम से कम्पनी को अपना अधिकतम योगदान देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हमने अपने नियमित क्रियाकलापों के तहत पूरे देश से अपने अधिकारियों को विशिष्ट बीमा प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं आईटी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एनआइए पुणे, में नामित किया। वर्ष के दौरान एनआइए पुणे में प्रशिक्षण के लिए लगभग 500 अधिकारियों को नामित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा को इस प्रकार तैयार किया गया ताकि हमारे अधिकारियों में वर्तमान मार्केट के अनुसार कार्य पद्धति को अपनाने हेतु कौशल का विकास किया जा सके।

कम्पनी के अधिकारियों की गुणवत्ता स्तर में विकास के लिए

एनसीआईएल, (नेशनल सेंटर फॉर इन्श्योरेंस लर्निंग) नरेन्द्रपुर में कार्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर कार्य कर रहा है। एचआर उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण में एनसीआईएल के प्रमुख उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया। अगले वित्तीय वर्ष से सभी को प्रशिक्षण का मिशन अपनाया गया।

उक्त मिशन/उद्देश्य के परिपेक्ष्य में निम्न उपलब्धियां रही-

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत एनसीआईएल में 1645 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया (पिछले वर्ष 500)
- ब्रोकर्स के लाइसेंस के प्रशिक्षण के लिए एनसीआईएल द्वारा लगभग ₹10 लाख अर्जित किये गये।
- प्रशिक्षण सामग्री को कम्पनी की इंटरनेट साइट पर डाला गया।

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर 22 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में 3923 कर्मचारियों को तथा अभिकर्ता प्रशिक्षण के माध्यम से 7317 अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रक्रिया 2010 के लिए इस वर्ष भी अनु.जाति/जनजाति के लिए देश के विभिन्न केन्द्रों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये। कुल 380 अधिकारियों द्वारा यह प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

The Annual Statistics for the fiscal 2010-11 in respect of RTI matters are furnished hereinbelow :

Sl. No.	Applications	2010-11	2009-10
1.	No. of requests received	1209	1018
2.	No. of cases where information imparted	1079 (89.24%)	918 (90.17%)
3.	No. of requests where information was denied	130	100
	Appeals		
1.	No. of appeals received	201	171
2.	No. of appeals disposed in favour of information seekers	144 (71.64%)	135 (78.94%)
3.	No. of appeals where information was refused	56	32
4.	Appeal pending as on 31.03.2011	1	4
	CIC cases		
1.	No. of appeals/complaints	53	20
2.	Cases dismissed	11	5
3.	Cases decided in favour of information seeker	40	15
4.	Cases pending at CIC	2	0

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

The financial year 2010-11 has been an important year from the HRD perspective. It was a year which the Company staged a remarkable turnaround to emerge as the front runner in the Indian insurance market. Our revised budget of 6060 crore set by the corporate management as a breakthrough target and from an HRD perspective it was important to motivate the workforce to deliver at an enhanced level.

And in this HRD played a key role in developing the skill sets and motivation levels of the human assets of the Company to help them contribute more meaningfully. It was also imperative to instill a sense of identity amongst all employees under the common nomenclature of NICian.

As part of our regular activities, we continued to nominate our officers from all over the country to undergo specialized insurance domain, management and IT based training programmes at NIA, Pune. Over 500 officers were nominated for training at NIA during the year. The training programmes were identified in a manner best suited to benefit our officers dealing with work processes

and development of skills as per today's market needs.

At NCIL (National Center for Insurance Learning), the Corporate Training Centre of the Company for Officers at Narendrapur, major thrust to achieve higher levels of efficiency both in terms of quality & quantity was initiated. In the presentation before the HR Sub-committee, the vision of NCIL as a Centre of excellence & with operational identity as a Profit Centre was unveiled. The mission of "Training for All" was adopted to be set rolling from next Financial year.

In pursuance of above Vision/Mission the following goal posts were reached-

- 1643 Officers were trained at NCIL (against 500 in previous year) in a variety of courses
- Approximately ₹10 lacs was earned by NCIL in training for Licensing of Brokers
- A major exercise to share all training material on the Company intranet was initiated

At the RO level- twenty two RTCs trained 3923 employees and the ATCs conducted sessions for 7317 Agents.

Pre-promotional training was held for SC/ST

वर्ष के दौरान प्रसिद्ध वित्तीय एवं प्रबंधन संस्थानों जैसे आईसीडब्ल्यूएआई (ICWAI), एनएएलएसएआर एवं आईआईआरएम, हैदराबाद, सेंट जेवियर्स कालेज, कोलकाता, स्कूल आफ मैनेजमेंट साइंस, वाराणसी से 5 व्यक्तियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिलाया गया।

प्रसिद्ध बाहरी संस्थानों एवं संगठनों जैसे कलकत्ता मैनेजमेंट एसोसिएशन (CMA), एनआईए पुणे, सीबीआई एकेडमी, गाजियाबाद, स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, आईआईएम शिलांग, सीआईआई नौरोजी गोदरेज आफ एक्सीलेंस, मुंबई, इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बंगलूर, द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, सेमिनार एवं कार्यशालाओं में कर्मिकों को नामित किया गया।

हमारी गृह पत्रिका, नेशनल इन्श्योरेंस न्यूज (NIN), कम्पनी के

प्रबंधन एवं कर्मिकों के बीच संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण मंच है। आन्तरिक संप्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान पत्रिका के दो अंक प्रकाशित किये गये। पत्रिका का पहला अंक (जुलाई 2010) कम्पनी की नई विकास गाथा-एरा-आफ-एनआईएसियन पर आधारित था।

एचआर से सम्बन्धित एक विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 जनवरी, 2011 को एनआईएसियन कांग्रेस का आयोजन किया गया जिसमें प्रधान कार्यालय एवं विग्स के लगभग 600 कर्मिकों के साथ कार्पोरेट मैनेजमेंट ने बातचीत की एवं कम्पनी की गतिविधियों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किये। 17 नवम्बर 2010 को कोयम्बटूर क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मिकों के लिए इसी प्रकार का एक कार्यक्रम कोयम्बटूर में आयोजन किया गया। इसी प्रकार के प्रेरणाप्रद कार्यक्रम 2011-12 में पूरे देश में आयोजित किये जायेंगे।

प्रशिक्षण आंकड़े 2010-11	
नेशनल इन्श्योरेंस अकादमी, पुणे	
श्रेणी - I के अधिकारी	प्रतिभागियों की संख्या
	501
कालेज ऑफ इन्श्योरेंस, मुंबई	
श्रेणी - I के अधिकारी	प्रतिभागियों की संख्या
श्रेणी - III के कर्मचारी	53
	149
बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला आदि	
श्रेणी - I के अधिकारी	प्रतिभागियों की संख्या
	38
अजा/अजजा अधिकारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण	
श्रेणी - I के अधिकारी (श्रेणी - I से श्रेणी IV)	प्रतिभागियों की संख्या
	380
एनसीआईएल/आटीसी/एटीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	प्रतिभागियों की संख्या
श्रेणी - I	2256
श्रेणी - II	352
श्रेणी - III	2422
श्रेणी - IV	536
अभिकर्ता	7317

officers at venues around the country before the promotional exercise 2010. A total of 380 officers received this training.

During the year, five summer trainees were inducted on internship from reputed financial and management institutions namely ICWAI, NALSAR & IIRM, Hyderabad, St Xaviers College, Kolkata, School of Management Sciences, Varanasi.

Several officials were also nominated for training, seminars and workshops by reputed external institutes and organizations namely Calcutta Management Association (CMA), NIA, Pune, CBI Academy, Ghaziabad, State Bank of India Staff Training College, IIM Shillong, CII Naoroji Godrej Centre of Excellence, Mumbai, Institute of Public Administration, Bangalore among others.

The house magazine, National Insurance News (NIN) is considered a very important communication platform for exchange of views between the management and our internal audience. As part of our internal communication initiative one consolidated issue of the magazine was brought out during the financial year. The magazine July 2010 focused on the new growth story of the Company - The era of the NICian.

As a special HR initiative, the NICian congress was held on 17th January 2011 where the entire corporate management had an interactive session with over 600 employees from Head Office, NCIL and other wings. A similar programme was held earlier at Coimbatore on 17th November 2010 for employees of CBRO. Such motivational programmes would be held all across the country in 2011-12.

Training Statistics 2010-11	
National Insurance Academy, Pune	
	No. of participants
Class I Officers	501
College of Insurance (Col), Mumbai	
	No. of participants
Class I Officers	53
Class III Employees	149
External training programmes/Seminars/Workshops etc.	
	No. of participants
Class – I Officers	38
Pre-promotional training for SC/ST Officers	
	No. of participants
Class I Officers (Scale I to Scale IV)	380
Training programme at NCIL/RTC/ATC	
	No. of participants
Class I	2256
Class II	352
Class III	2422
Class IV	536
Agents	7317

कम्पनी के कर्मचारियों को कम्पनी का आंतरिक ग्राहक मानते हुये आपकी कम्पनी ने एक आंतरिक शिकायत निवारण फोरम, नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी कर्मचारी शिकायत निवारण फोरम (एनआईसीईजीआरएफ) का गठन किया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की शिकायत को निर्धारित समय सीमा में समाधान देने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया के द्वारा कर्मचारी अपनी शिकायत के निवारण के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।

एस्टेट एवं स्थापना विभाग की गतिविधियां:

विभाग का प्रमुख कार्य प्रबंधन द्वारा व्यवसाय विकास संरचना के कार्यों में सहयोग प्रदान करना था।

मुम्बई में बनाये गये महाप्रबंधक कार्यालय हेतु रायल इन्श्योरेंस बिल्डिंग में कार्य प्रारंभ करने के लिए समस्त सुविधायुक्त परिसर प्रदान करना।

हुबली एवं विजाग में क्षेत्रीय हब की स्थापना के लिए भवन प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।

प्रचालन कार्यालय एवं व्यवसाय केन्द्रों को कार्यालय का एक मानक स्तर प्रदान करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

कुछ केन्द्रों पर कम्पनी अधिग्रहित सम्पत्ति का पंजीकरण कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है।

विभाग ने कार्यालयों के नवीकरण/स्थानान्तरण/एवं दूसरे स्थानों पर कार्यालय को ले जाने के कार्य को करने की समय सीमा में कमी की है तथा कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास करते हुए अपने निष्पादन में सुधार किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 हमें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में जल्लिखित राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी लक्ष्यों के आधार पर कम्पनी का एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुपालन हेतु भेजा गया एवं समय समय पर इसकी समीक्षा की गई।

प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष में चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन

किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी लक्ष्य के अनुरूप कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को व्यवहारिक कार्य का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रधान कार्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत लेखों को प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका बीमावार्ता में प्रकाशित किया गया।

राजभाषा नीति का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निरीक्षण किया गया।

राजभाषा अधिकारियों के लिए जयपुर में एक दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के हिन्दी अधिकारियों सहित प्रधान कार्यालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न निर्णय लिए गये।

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय द्वारा गृह पत्रिका बीमावार्ता के दो अंक प्रकाशित किये गये। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सामग्रियों को पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी पत्रिका का प्रकाशन किया गया तथा कुछ पत्रिकाओं को सम्बन्धित नराकास द्वारा पुरस्कृत भी किया गया।

कार्यालयों के कम्प्यूटरों पर युनीकोड एनकोडिंग तथा हिन्दी टाइप राइटर इन्स्टाल कराये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। अधिकांश कार्यालयों द्वारा यह कार्य पूरा कर लिया गया है। बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित जनरल इन्श्योरेंस हैंडबुक का हिन्दी अनुवाद कार्य पूरा किया जा चुका है। पुस्तक का हिन्दी संस्करण प्रकाशन की प्रक्रिया में है।

हिन्दी अनुवादकों की मार्केट से सीधी भर्ती हेतु बोर्ड ने अपना अनुमोदन दे दिया है।

In recognition of the principle of employee as an internal customer, your company had also launched an internal grievance redressal forum titled as “National Insurance Company Employees’ Grievance Redressal Forum” (NICEGRF) to provide for a Structured System for redressal of employees grievance with in a definite time frame. The said system enables an aggrieved employee to approach the highest authority in the company to seek redressal of his grievance.

ESTATE & ESTABLISHMENT ACTIVITIES

The primary focus of the department was to support the business development restructuring initiatives of the management.

Providing an entire floor fully furnished with complete infrastructure in the Royal Insurance Building, Mumbai, in quick time went a long way in helping the newly formed General Manager Office commence operations as scheduled.

Necessary support was given for acquiring premises on rent for setting up the Regional hubs at Hubli and Vizag.

Process is already underway for standardising the ambience and look of our operating offices including Business Centres.

Top priority has been given for completion of registration of Company owned properties in some centres.

The department overall has raised its performance level in terms of response and turn around times in handling routine matters like renewal/shifting/relocation of offices.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

Unvarying previous years, this year too we have received an Annual Programme on Official Language Implementation for the year 2010-11 from the Ministry of Home Affairs, Official Language department, New Delhi. As cited in the said Programme, a specified annual target relating to Official Language Implementation has been prepared and forwarded to all Regional Offices and periodical reviews were undertaken to ensure progress in achieving such targets.

In compliance with the target so fixed, 4 Hindi workshops were conducted at Head Office level during the financial year. A special Hindi workshop was organized for Class IV employees posted at Head Office. At Regional Office level workshops were also organized towards fulfillment of the said target. Through these workshops, employees were imparted training to use Hindi in their official desk-job.

Head office along with all Regional Offices celebrated Hindi Day/Week. On this occasion, numerous competitions were conducted and prize-winners were felicitated. Prize-winning write-ups were further published in Head Office House Magazine - Beema Varta.

Inspections to ensure optimum implementation of official language policy were done for 12 Regional Offices.

A 2 day All India Hindi Officers conference was organized at Jaipur involving all Hindi Officers posted at Regional Offices and at Official Language department, Head Office. During the session various decisions were taken for better implementation of official language.

During the year, half yearly issues of Hindi House Magazine, Beema Varta were published by Head Office and different write-ups received from our Regional Offices were included in the issues. Hindi Magazine were also published at our Regional Office level and some of them were appropriately awarded by the concerned Town Official Language Implementation Committee (TOLIC).

Installing 'UNI code' and 'Hindi writer' software on each and every computer of the Company is in the tunnel and several Regional Offices have already succeeded in uploading the said two software.

The General Insurance hand-book published by Bangalore Regional Office has been translated in Hindi and the same would be published soon.

Our Hon'ble Board has approved recruitment of Hindi Translators to fill-up vacancies for the post from open market.

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं सक्ष्य उप समिति द्वारा दिनांक 27.05.2010 को चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय-॥ अंतर्गत धरमशाला शाखा कार्यालय का एवं दिनांक 14.09.2010 को कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत पालाक्कड़ शाखा का निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 08.07.2010 को चण्डीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय -॥ अंतर्गत लेह शाखा कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण सम्बन्धी अनुपालन रिपोर्ट संसदीय समिति कार्यालय को भेज दी गई है।

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए:

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) कोलकाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु राजभाषा शील्ड पुरस्कार प्रदान किया गया।
2. प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका बीमावार्ता को उत्कृष्ट पत्रिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी :

सेवा क्षेत्र के किसी भी संगठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रमुख तंत्र है। आपकी कम्पनी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दशक से अधिक समय से कार्यरत है। वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राहकों के लिए आन लाइन शिकायत निवारण माड्यूल बनाया गया। इस नये वेब आधारित एप्लीकेशन से कस्टमर अब हमारी वेब साइट पर सम्बन्धित पालिसी जारीकर्ता कार्यालय के खिलाफ शिकायत लागू कर सकते हैं। शिकायतों को देखने एवं उनके निराकरण के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इंटरनेट के द्वारा इस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। ग्राहक एक दिये गये नम्बर के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति जान सकता है। इस सुविधा को आइआरडीए के शिकायत मैकेनिज्म से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा जिसके लिए वर्तमान में साफ्टवेयर का विकास कार्य जारी है। विभिन्न प्रकार की शिकायतों को एक ही कार्यप्रणाली द्वारा हैंडिल किया जायेगा तथा मैन्युअल सिस्टम का उपयोग नहीं किया जायेगा।

वर्ष के दौरान दूसरे प्रमुख कार्य के अन्तर्गत शाखा प्रबंधकों को लैप टाप दिया गया। वर्तमान में कम्पनी के सभी कार्यालय प्रभारियों, सभी वरिष्ठ प्रबंधन एवं आईटी अधिकारियों को लैप टाप की सुविधा प्रदान की गई तथा देश में किसी भी स्थान से उन्हें कार्पोरेट नेटवर्क एवं इंटरनेट से जोड़ा गया। इस कार्य से अधिकारियों के संप्रेषण में सुधार तथा उनकी अनुपस्थिति में निर्णय लेने की कार्यप्रणाली का विकास हुआ। लैपटाप देने के अलावा आईटी विभाग द्वारा व्यवसाय केन्द्रों एवं नये खुले हब्स के लिए डेस्कटाप लिए गये हैं। प्रचालन कार्यालयों में लगे सर्वर, डेस्कटाप, प्रिंटर एवं यूपीएस के पुराने हो जाने के कारण कम्पनी ने 1000 सर्वर, 2000 डेस्कटाप एवं प्रिंटर तथा 1000 यूपीएस क्रय करने हेतु बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है जिसे शीघ्र ही कार्यालयों को भेज दिया जायेगा। वर्चुअलाइजेशन टेक्नालाजी के प्रयोग से सर्वर कंसालिडेशन प्रोजेक्ट को वर्ष के दौरान पूरा किया गया तथा वे सभी एप्लीकेशन्स जो अभी तक प्रधान कार्यालय में थे उन्हें अब डाटा सेंटर पर स्थान्तरित कर दिया गया है केवल दो एप्लीकेशन को अगले वर्ष स्थान्तरित किये जाने की योजना है।

बंगलूर के डिजास्टर रिकवरी सेंटर के कार्य को जारी रखते हुए कलकत्ता के प्रमुख डाटा सेंटर को वर्ष के दौरान पूरी तरह से प्रचालित किया गया। ईएएसआई (EASI) प्रोजेक्ट के लिए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, निष्पादन टेस्ट इत्यादि अब डाटा सेंटर से हो रहे हैं। इस प्रकार सभी तीनों डाटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी एवं नियर सेंटर डाटा के त्रिस्तरीय प्रतिध्वनियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं।

डाटा सेंटर से अब व्यवसाय केन्द्रों एवं बीमा लेखन अनुमोदन, टाई अप दावा निस्तारण, दावा हब, वेब आधारित पालिसी जारी करना इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। अन्तर्कार्यालयीन दावा अंतरण के लेखा सुविधा हेतु वर्ष के दौरान एक नई एप्लीकेशन की शुरुआत की गई जिसके द्वारा सेवा दे रहे कार्यालय का स्वतः लेखा कार्य एवं पालिसी जारीकर्ता कार्यालय के अतिरिक्त कहीं से भी दी जा रही दावा सम्बन्धी सेवाओं के लेखा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण करना है।

ईजी प्रोजेक्ट का प्रमुख कार्य किसी एक बिन्दु की असफलता से बचना है जोनल सर्वर के कंसालिडेशन के पश्चात क्लस्टर

During the year, the Drafting and Evidence Sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language visited our Dharamshala Branch Office, under Chandigarh Regional Office II on 27th May 2010 and Palakkad Branch Office, under Kochi Regional Office on 14th September 2010. The Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language conducted an inspection on implementation of Official Language of our Leh Branch Office under Chandigarh Regional Office II on 8th July 2010. Compliance Report in connection with the said inspections was sent to the Officer of the Parliamentary Committee.

During the financial year we have received following Prizes/Awards pertaining to Official Language:-

1. The Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Kolkata, awarded its Rajbhasha Shield to our Head Office for best implementation of Official Language.
2. The said committee has bestowed us with its Sresth Patrika Purashkar for our House Magazine - Beema Varta.

INFORMATION TECHNOLOGY

Information Technology is vital to any organization more so for a Company in service sector. Your Company has been leveraging on Information Technology for more than a decade now. A significant step taken during the year is to set up On Line Grievance Redressal Module for customers. With this new web based application, customer can now log in to our website, register a grievance against Policy Issuing Office or concerned Divisional or Regional Office or Head Office. All offices are connected to this application through intranet for posting the replies and status on grievances. Customer can track the status on line quoting the unique Grievance reference number. This facility will be extended to integrate with the grievance mechanism of IRDA for which the software development is currently on. The grievance system will be a single source for handling all types of grievances doing away with manual handling of the same.

The year that went by, took another step in extending Laptop facility to all Branch incharges. Currently, all office incharges of the Company, all Senior Management and IT officers have Laptop facility to stay connected, anywhere within the country, with corporate network and internet. This is a huge differentiator for the officers to improve communication and decision making process without having to be physically present in the office.

On the IT resources front, apart from providing Laptops, the Company also procured desktops mainly to cater to Business Centers and newly opened hubs. In view of the age and obsolescence of servers, desktops, printers and UPS at Operating Offices, the Company has obtained approval from Board for procurement of 1000 servers, 2000 desktops and printers and 1000 UPS and the delivery is expected to take place shortly. The server consolidation project using virtualization technology was completed during the year and all applications which were hosted in the Head Office have now been shifted to Data Center except two which are planned for next year.

Continuing the operationalisation of Disaster Recovery Center at Bengaluru last year, the Main Data Center at Kolkata became fully operational during the year. The User Acceptance Test, Performance Test, etc. for the EASI project are now happening from the Data Centre. Thus all three, Data Center, Disaster Recovery Center and Near Center are now fully operational to enable three way replication of data.

Data Center is now hosting the applications for Business Center, UW Approvals, Tie-up Claims Settlement, Claims Hub, Web based policy issuance etc. A new application for handling inter-office claims transactions was launched during the year for automatic accounting of servicing office claims to pave way for any where claims servicing in addition to servicing from Policy issuing office.

One of the themes of EASI project is redundancy and avoidance of single point of failure. During the year, group mailing, Lotus Notes was established,

मोड पर लोड बैलेंस एवं दो सर्वर के बीच स्वतः प्रतिध्वनि के लिए ग्रुप मेलिंग, लोटस नोट स्थापित किया गया है ताकि यूजर्स को बिना किसी बाधा के मेल उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में कम्पनी ने एक सेकेंड्री नेटवर्क स्थापित करने तथा परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। एकल नेटवर्क पर आश्रित रहना, विशेषरूप से वितरण डाटाबेस से सेन्ट्रलाइज्ड डाटाबेस में स्थान्तरण के सम्बन्ध में, कम्पनी के हित में नहीं होगा। अतः एक अन्य नेटवर्क को स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जो संभवतः अगले वर्ष तक पूरा हो जायेगा।

फंड डिप्लायमेंट के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन, बैंक कलेक्सन एवं डिस्बर्समेंट पैन इंडिया के लिए सेन्ट्रलाइज्ड कैश मॅनेजमेंट सर्विसेज जैसे कार्य पर हमारा विशेष ध्यान होगा।

बिजनेस प्रासेस रिइंजीनियरिंग:

ईजी के अन्तर्गत एचसीएल(टी) एवं इबीएओ द्वारा एप्लीकेसन का विकास किया जा रहा है। कोर इंश्योरेंस, सीआरएम, एमडीआई, पोर्टल, एचआरएमएस, वित्तीय दस्तावेज डीडब्ल्यूबीआई इत्यादि स्वतंत्र रूप से एप्लीकेसन का विकास कर रहे हैं। उसके पश्चात हारिजेंटल प्रासेस के द्वारा समन्वयन हो रहा है। एचसीएल युनिट टेस्ट एवं सिस्टम इंटीग्रेसन टेस्ट करने के पश्चात यूएटी के लिए उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है। एचसीएल के द्वारा 107 उत्पादों का विकास पूरा कर लिया गया है एवं इन उत्पादों को जाँच के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

एक्सटेंसिव यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का कार्य इन हाउस टीम द्वारा किया जा रहा है तथा 1000 से अधिक कमियों की पहचान की गई है। टेस्ट केस एवं टेस्ट सेनेरियो के समस्त सेट तैयार कर लिए गये हैं। हम यूएटी के लिए अपने बीपीआर कन्सल्टेन्ट पीडब्ल्यूसी की मदद ले रहे हैं। डिफेक्ट फिक्सिंग साइकिल्स पर निगरानी रखी जा रही है तथा रिग्रेसन टेस्ट किया जा रहा है।

निष्पादन जाँच के लिए विशेष प्रकार के टूल्स प्राप्त किये गये हैं। निष्पादन जाँच का वातावरण तैयार कर लिया गया है तथा निष्पादन एवं लोड टेस्ट पीडब्ल्यूसी द्वारा किया जा रहा है एवं

एचसीएल(टी) के द्वारा उत्पादन वातावरण को अंतिमरूप दिया जा रहा है। निष्पादन टेस्ट एप्लीकेसन के लोड, स्ट्रेस, रिस्पांस एवं आरोग्य पैरामीटर की जाँच करेगा तथा परिणाम की तुलना आरएफपी में दिये गये एसएलएएस से करेगा।

पिछलें ऑकड़ों का लीगेसी सिस्टम से ईजी एप्लीकेसन पर अंतरण का कार्य चल रहा है। लीगेसी डाटा स्ट्रक्चर को नये डाटा स्ट्रक्चर में परिवर्तित करने तथा पुराने डाटा को साफ करने का कार्य सीएमसी, एचसीएल(टी), एवं एनआईसी द्वारा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूसी द्वारा माइग्रेटेड डाटा का आडिट किया जायेगा।

एचआरएमएस लागू करने के पूर्व समस्त कर्मचारियों से एचआर डाटा निम्नलिखित बिन्दुओं पर लिया गया, व्यक्तिगत सूचना, जाब प्रोफाइल, आश्रित विवरण, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण विवरण एवं बैंक विवरण। एचआरएमएस लागू करने के प्रथम माड्यूल के रूप में सेन्ट्रलाइज्ड पे रोल लागू किया जायेगा। चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय एवं कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय-1 में केन्द्रित पे रोल एप्लीकेसन कार्य कर रहे हैं। कोलकाता एवं चेन्नई में पे रोल हब्स स्थापित किये जा रहे हैं। कर्मचारी स्वयं सेवा सहित एचआरएमएस के अन्य माड्यूल दूसरे ईजी एप्लीकेसन के पाइलट रोलआउट के पश्चात लागू होंगे जो संगठन संरचना एवं प्रक्रिया में परिवर्तन के पश्चात प्रभावी होगा। वित्तीय एप्लीकेसन के केन्द्रीयकृत अंश के रूप में, फंड को और अधिक प्रभावी तरीके से मानिटर एवं नियंत्रण करने के विचार से, सीएमएस पार्टनर के पहचान की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

ईजी प्रासेस के लागू होने के पश्चात संगठन वर्कफ्लो आधारित सिस्टम युक्त हो जायेगा। सभी वर्कफ्लो ईजी एप्लीकेसन में परिभाषित रोल पर आधारित होंगे। रोल आधारित वर्कफ्लो की प्रमुख विशेषताओं में निम्न सम्मिलित है:

- रोल आधारित सिस्टम के लागू होने के पश्चात कर्मचारियों के द्वारा किसी विशेष कार्य को करने में उनकी भूमिका को निर्धारित करेगा।
- प्रचालन कार्यालय, प्रधान कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय एवं शेयर्ड सर्विस हब्स की भूमिका का निर्धारण किया गया है जो वर्कफ्लो आटोमेशन तथा उचित एक्सेप्टेंस लिमिट व दावा अनुमोदन सीमा पर आधारित होंगी।

after consolidation of zonal servers, on cluster mode with load balancing and automatic replication between two servers to ensure that the corporate mail is available to users without interruption. Continuing the theme, Company has obtained in-principle approval for establishment of a secondary network and appointment of a consultant. Dependency on a single network, especially considering the move from distributed database to centralized database architecture will not be in the interest of the Company and hence the project for establishment of alternate network is currently on and is expected to be completed during the ensuing year.

Also on the anvil are web based applications for funds deployment, application for roll out centralized cash management service for bank collections and disbursements pan India.

BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

Applications under EASI are being developed by HCL(T) and eBao. Various tracks such as Core Insurance, CRM, MDM, IDM, Portal, HRMS, Financials documentum, DWBI, etc. are independently developing the applications. Thereafter, integration is taking place through the Horizontal Process Track (HPT). HCL is conducting the unit tests and system integration testing and then releasing the products for UAT. Development of 107 products have been completed by HCL and these products have been made available for testing.

Extensive User Acceptance Testing have been carried out by an inhouse team and more than 1000 defects have been identified. The entire set of test cases and test scenarios have been prepared. We are taking the help of our BPR consultant viz. PwC for conducting the UAT. Defect fixing cycles are being monitored and regression testing is being conducted.

For performance testing, specialised tools have been procured. Performance test environment has been set up and performance and load tests is being carried out by PwC and the production

environment is being fine tuned by HCL(T). The performance test will test for load, stress, response and scalability parameters of the applications and compare results to SLAs provided in RFP.

The process of migrating the past data from the legacy system to the EASI application is underway. Mapping of the legacy data structures to the new structures and cleaning the old data has been taken up with the involvement of CMC, HCL(T) and NIC. PwC shall conduct the audit of the migrated data.

As precursor to HRMS implementation, HR data on various parameters such as personal information, job profile, dependant particulars, educational qualification, training particulars, bank details, etc. have been collected from all employees. Centralised payroll would be implemented as the first module of HRMS implementation. Live run for centralized payroll application has commenced for offices under Chennai RO and Kolkata RO-I. Payroll hubs are being set up at Kolkata and Chennai. The other modules of HRMS including the employee self service will be implemented after pilot rollout of the other EASI applications after stabilization of the changed organisation structure and processes. As part of the centralization of financial application, with a view to control and monitor funds more effectively, the process of identifying a CMS partner has been completed.

After implementation of EASI processes in the organization will be enabled through a workflow based system. All workflows will be based on roles defined in the EASI application. The salient features of moving towards a role based workflow would include:

- Implementation of role based system necessitates mapping of employees to discrete roles who will perform specific tasks. All roles in the system has been mapped to set of tasks.
- Roles have been defined for Operating Offices, Head Office, Regional Offices and different shared service Hubs which will be the basis for workflow automation and deciding the appropriate acceptance limits, Claim Approval Limits.

- आईटी आधारित बीपीआर प्रक्रिया में पदनाम आधारित कार्य पद्धति से रोल आधारित कार्य पद्धति में परिवर्तन ही आईटी का प्रमुख उद्देश्य है।

ईजी रोल आउट को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उल्टाडांगा, कोलकाता में वीएसएनएल के साइट पर प्राइमरी डाटा सेंटर का कार्य प्रारंभ हो गया है। इंटरनेट, एमपीएलएस कनेक्टिविटी कर दी गई है। सिक्यूरिटी, मेल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्वर पीडीसी से चल रहे हैं। डिजास्टर रिकवरी सेंटर बंगलूर में हार्डवेयर की आपूर्ति कर दी गई है तथा इंस्टालेशन कार्य पूरा हो गया है। इंटरनेट, एमपीएलएस को कनेक्टिविटी दे दी गई है तथा सर्वर टेस्टिंग के लिए तैयार है। प्रधान कार्यालय परिसर में नियर सेंटर कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार है। एचसीएल नेडीसी-डीआर-एनआर के बीच त्रिआयामी रिप्लिकेशन बनाया है तथा सेट अप का टेस्ट किया जा रहा है।

सतर्कता

वर्ष 2010-11 के दौरान सतर्कता विभाग की गतिविधियों का विवरण निम्नवत है:

निवारक पक्ष के संदर्भ में सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने 69 कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निगरानी पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं की सहमति सूची को सीबीआई के प्राधिकारी के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जा चुका है। दण्डात्मक पक्ष के परिपेक्ष्य में वर्ष के दौरान 106 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। 98 मामलों में से 49 पर मेजर पेनाल्टी लगाई गई। वर्ष के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई के 45 मामले प्रारंभ किये गये।

पूरे वर्ष के दौरान दीर्घ अवधि से लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया जिससे इन मामलों के निपटारे में सुधार हुआ।

अखिल भारतीय सतर्कता अधिकारी बैठक का आयोजन तिरुपति में किया गया जिसमें सीवीसी के निदेशक एवं सीवीसी के सलाहकार ने सतर्कता सम्बन्धित बिन्दुओं पर कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सतर्कता सेल के निष्पादन की समीक्षा बैठक में की गई। वर्ष के दौरान सतर्कता मामलों से सम्बन्धित विभिन्न मदों पर सतर्कता अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। सतर्कता सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यालयों में तथा प्रधान कार्यालय के प्रशिक्षण केन्द्र (एनसीआईएल) में चर्चा की गई।

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय में अन्तर्कार्यालयीय सीवीओ की बैठक का आयोजन किया गया। सतर्कता सम्बन्धी कुछ विशेष बिन्दुओं पर सभी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी (पीएसयू) द्वारा एक समरूप निर्णय लेने के बिषय में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सतर्कता बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में संगठन सम्बन्धी जानकारी इस बैठक का प्रमुख विषय रहा।

विभाग कार्मिक तथा विजिलेंस सम्बन्धी सभी सूचनाओं को कम्प्यूटर पर लाने की प्रक्रिया में कार्य कर रहा है ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं की गई कार्यवाही इत्यादि के लिए एक मजबूत डाटाबेस तैयार किया जा सके।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2011 के अवसर पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का संदेश कम्पनी के सभी कार्यालयों में प्रचालित किया गया तथा इसे कम्पनी की वेबसाइट पर भी डाला गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन प्रधान कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में किया गया जिसके अन्तर्गत सतर्कता निवारण पर बैनर लगाये गये, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के संदेश का लिफ्लेट प्रकाशित किया गया।

आन्तरिक लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण गतिविधियां

कम्पनी के लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में सभी 24 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। कम्पनी की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा प्री-इंसेंटिव आडिट के अलावा प्रबंधन द्वारा निर्मित दिशानिर्देश में कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। आडिट कमेटी द्वारा अनुमोदित वार्षिक आडिट प्लान का आधार पिछले तीन वर्षों में बीमालेखन एवं दावा प्रचालन में उच्च जोखिम आधारित कार्यालय हैं। अनुपालनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में लम्बी अवधि से कर्मचारियों पर बकाया राशि की वसूली के लिए वर्ष 2010-11 में विशेष प्रयास किया गया।

आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग ने 1582 प्रचालन कार्यालयों का आडिट (नियमित एवं तकनीकी आडिट) किया। इसके पश्चात निवेश प्रचालन का समवर्ती अंकेक्षण आडिट फर्म द्वारा किया गया तथा तिमाही रिपोर्ट आडिट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं आईआरडीए को भेजी गई।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान लेखा परीक्षा अनुपालन समिति ने 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुपालनात्मक कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों से पुरानी बकाया राशि की वसूली की इस प्रकार पुरानी बकाया वसूलियों को कम किया गया।

- The shift from designation based to role based work culture is a major initiative in IT enabled BPR process.

Simultaneously, the infrastructure is being set up for implementing the EASI rollout. The primary data centre at the VSNL site at Ultadanga, Kolkata has become operational. The Internet, MPLS connectivity has been set up. Security, Mail and Infrastructure Management servers are already running from PDC. At the Disaster Recovery centre at Bangalore, hardware delivery and installation has been completed. Internet, MPLS connectivity have been provided and servers being readied for testing. The Near Centre at the Head Office premises is ready for commissioning. HCL has setup up the three way replication between DC-DR-NR and the setup is being tested.

VIGILANCE

On the captioned matter we give hereunder a brief note on the operations of the vigilance department during the year 2010-11.

On preventive side, the Vigilance department officers had conducted surprise inspections at 69 offices. On surveillance aspect, agreed list had been finalized with CBI authorities of different branches.

On punitive side, during the year 106 disciplinary proceedings had been concluded. In 98 cases, penalties had been imposed out of which 49 were major penalties. 45 disciplinary proceedings have been commenced during the year.

Special attention had been given for expeditious disposal of long pending disciplinary proceedings throughout the year, whereby there has been improvement in the disposal of such proceedings.

All India Vigilance Officers Meet was held at Tirupati where the Director of CVC and the advisor of CVC had given valuable advices in respect of various vigilance related issues. Besides, performance appraisal of all the vigilance cells at ROs was carried out at the Meet. During the year, review meetings with the vigilance officers took place to discuss various vigilance related matters. Deliberations on different aspects of vigilance were

made at various offices and also at Head Office Training Centre (NCIL).

During the year, inter-company meeting of CVOs had taken place at HO. Discussion had taken place for attempting to take uniform decision by all the four Non-life Public Sector General Insurance companies on various important issues of vigilance. Besides, sharing of knowledge on the Industry as a whole so far as vigilance aspect is concerned was also one of the matters of discussion at this meeting.

The department is in the process of computerization of all information related to personnel vis-à-vis vigilance so that strong data base is created in the department in respect of disciplinary proceedings, action thereon, etc. as a measure of leveraging IT technology.

A message from CMD on Vigilance Awareness Week 2011 was circulated in all the offices of the Company and this message was hosted at the Companys website. Vigilance awareness week had been observed at Head Office and other offices by holding various activities including displaying banner, publishing leaflet containing CMDs message, booklet on preventive vigilance, etc.

INTERNAL AUDIT AND INSPECTION ACTIVITIES

As a constituent of Corporate Governance, internal audit activities of the Company are undertaken in all the 24 Regional Offices in 2010-11. The internal audit department undertakes various types of audit and also reviews various activities of the Company, points out control weakness and other deficiencies in the guidelines framed by the management apart from pre-incentive audit. The Annual Audit Plan is approved by the Audit Committee, selecting office on the basis of companies average combined ratio for the last three years. As regards compliance action, special efforts have been made during the year 2010-11 for disposal of long pending audit queries including realizing the outstanding recoveries from employees.

The Internal Audit department has completed 1582 number of audit of operating offices (Regular and Technical Audit). Furthermore, concurrent audit of

विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय आडिट कार्यालयों द्वारा उठाये गये लंबित मामलों को निपटाने के लिए कदम उठाये गये। तदनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं के अनुपालन में विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालनात्मक कार्रवाई की गई तथा अनुपालन से संतुष्ट होकर बड़ी संख्या में वर्ष 2010-11 के दौरान निरीक्षण रिपोर्ट का निस्तारण किया गया।

तदनुसार आडिट कमेटी के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के 9 प्रचालन कार्यालयों का मारुति निष्पादन (बीमालेखन एवं दावा) सम्बन्धी एक विशेष आडिट किया गया तथा इसे आडिट कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मारुति निष्पादन के सम्बन्ध में समिति के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया तथा सम्बन्धित क्षेत्र में मारुति निष्पादन में सुधार देखा गया। तदनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समन्वयन से शंकाओं के समाधान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नोट को मंत्रालय को में प्रस्तुत किया गया।

सतर्कता के तौर पर 29 प्रचालन कार्यालयों में दावा प्राविजन की जाँच की गई तथा आवश्यक कदम उठाये गये।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियाँ तथा कम्पनियों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के कम्पनी के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को प्रयोज्य संशोधित सीमा अर्थात् ₹5 लाख प्रति माह या वर्ष में ₹60 लाख से अधिक का पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसारण में निदेशकगण एतद्वारा संपुष्टि करते हैं कि :-

- 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है तथा साथ में महत्वपूर्ण विचलन के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है;
- वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों, उसी अवधि के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति से अवगत कराने के लिए निदेशकों द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया तथा उन्हें

निरन्तर लागू किया और उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय व प्राक्कलन किया।

- कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताएं रोकने तथा खोजने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- सक्रिय व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है।

निगमित शासन (कार्पोरेट गवर्नेंस)

बोर्ड का संगठन

कम्पनी के बोर्ड में कार्यपालक व अकार्यपालक निदेशकों को शामिल किया गया है। वर्तमान में बोर्ड का संगठन निम्नवत है:

श्रेणी	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक निदेशक	3
गैर कार्यपालक निदेशक	
बैंक निदेशक	1
सरकारी निदेशक	1

निदेशकों का शुल्क

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - केन्द्र सरकार के नियमानुसार
कार्यपालक निदेशक - कम्पनी के नियमानुसार
अकार्यपालक निदेशक - अंशकालिक व अकार्यकारी निदेशकों को समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित बोर्ड की बैठक एवं बोर्ड की सब कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस का भुगतान किया गया। तथापि नामितों को सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया।

वर्ष के दौरान आयोजित तीन बोर्ड मीटिंग एवं छह कमेटी मीटिंग में भाग लेने के लिए श्री डी के कपिला को ₹30000/- का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान आयोजित तीन बोर्ड मीटिंग एवं पाँच कमेटी मीटिंग में भाग लेने के लिए डॉ के जयकुमार को ₹27500/- का भुगतान किया गया।

investment operation is conducted by an external audit firm and quarterly report is placed before the Audit Committee and subsequently sent to IRDA after certification by the concurrent auditors.

During the financial year 2010-11, Audit Compliance Committee reviewed the compliance action reports in 9 Regional Offices and sizeable amount was recovered from employees, hence old outstanding recoveries were considerably reduced. Actions were also initiated for compliance to the inspection Reports raised by C&AG Auditors in different zones and having satisfied with the compliances, large numbers of Inspection Report Paras were disposed during the year 2010-11. Similarly, Action Taken Notes in respect of C&AG Paras were also submitted to the C&AG through the Ministry of Finance to facilitate disposal of paras.

As a measure of precaution, verification of claims provision was done in 29 operating offices and remedial measures were taken.

PARTICULARS OF GOVERNMENT COMPANIES AND COMPANIES UNDER SECTION 217(2A) OF THE COMPANIES ACT, 1956:

During the Financial Year 2010-11, none of the employees is in receipt of remuneration in excess of the applicable revised limits i.e. ₹5 lac per month or ₹60 lac per annum as prescribed in Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Amendment Rules, 2011.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, Directors hereby confirm that -

- i) in preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March 2011, the applicable accounting standards had been followed along with explanation relating to material departures, if any,
- ii) the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgement(s) and estimate(s) that are reasonable and prudent so as to give a true

and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period,

- iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities and
- iv) annual accounts have been prepared on a going concern basis.

CORPORATE GOVERNANCE

Composition of the Board

The Board of the Company comprises of Executive and Non-Executive Directors. Presently, the composition of the Board is as follows:

Category	No. of Directors
Executive Directors	3
Non-Executive Director	
Bank Nominee	1
Government Nominee	1

Remuneration to Directors

- | | |
|-----------------------------|---|
| For CMD | - as per Central Government norms. |
| For Executive Directors | - as per Company norms. |
| For Non-executive Directors | - Sitting fees is paid for attending the meeting of Board & sub-committees of the Board as per Government norms. However, no sitting fee is paid to the Nominees. |

An amount of ₹30,000/- has been paid to Shri D. K. Kapila for attending 3 Board & 6 Committee meetings held during the year. Further, an amount of ₹27,500/- has been paid to Dr. K. Jayakumar for attending 3 Board & 5 Committee meetings held during the year.

निदेशक मंडल

श्री भाष्कर सेन एवं श्री जितेन्द्र कुमार मैहन की नियुक्ति बैंक एवं भारत सरकार के नामिनी के रूप में 5 अगस्त, 2010 एवं 22 सितम्बर, 2010 से की गई।

श्री ललित कुमार एवं श्री एस के गोयल, निदेशक भारत सरकार व बैंक द्वारा नामित क्रमशः 16 जून, 2010 एवं 5 अगस्त 2010 से निदेशक मण्डल में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। पुनः श्री डी के कपिला एवं डॉ. के जयकुमार, अंशकालिक अकार्यपालक निदेशक का कार्यकाल 27 अगस्त, 2010 को समाप्त हुआ।

निदेशक मण्डल उन सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान

कम्पनी को दिये गये योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

लेखा परीक्षा समिति

वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया तथा वर्तमान में समिति में निम्न सदस्य हैं:

1. श्री भाष्कर सेन (अध्यक्ष)
2. श्री जितेन्द्र कुमार मैहन
3. श्री कुलदीप सिंह

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति में निम्नवत परिवर्तन हुए:

सदस्यों का नाम	नियुक्ति	कार्यकाल की समाप्ति
श्री कुलदीप सिंह	9 जून 2010	-
श्री ए. वी. गिरिजाकुमार	9 जून 2010	24 सितम्बर 2010
श्री ललित कुमार	-	16 जून 2010
श्री एस. के. गोयल	-	5 अगस्त 2010
श्री भास्कर सेन	12 अगस्त 2010	-
श्री डी. के. कपिला	-	27 अगस्त 2010
डॉ. के. जयकुमार	-	27 अगस्त 2010
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन	24 सितम्बर 2010	-

समिति कम्पनी के वार्षिक लेखा योजना को अनुमोदित करती है तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करती है। समिति ने कम्पनी की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न दिशानिर्देश जैसे हानि नियंत्रण उपाय, प्राविजनिंग, आन्तरिक लेखा परीक्षा की गतिविधियों में सुधार एवं कम्पनी में वर्तमान आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम, दिये।

निगमित शासन (कार्पोरेट गवर्नेंस)- अनुपालन

कम्पनी ने कार्पोरेट गवर्नेंस में निहित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया। कार्पोरेट गवर्नेंस की संशोधित दिशानिर्देशिका के अनुसार आडिट, निवेश, जोखिम प्रबंधन एवं पालिसी होल्डर्स प्रोटक्सन समिति की वर्ष में चार बैठकें अनिवार्यरूप से होनी चाहिए। तथापि इस योजना के लागू होने के प्रथम वर्ष होने

के कारण वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान रिस्क मैनेजमेंट एवं पालिसी होल्डर्स प्रोटक्सन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई।

सांविधिक लेखा परीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत महालेखा परीक्षक, भारत सरकार (सीएण्डएजी) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डल कार्यालय एवं विदेशी कार्यालयों के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के साथ साथ मे. गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया गया है तथा मे. एन सरकार एण्ड कम्पनी को मे. दत्ता सरकार एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार के स्थान पर वर्ष 2010-11 के लिए कम्पनी का विधिक लेखाकार नियुक्त किया गया है। लेखापरीक्षकों

Board of Directors

Shri Bhaskar Sen and Shri Jitendar Kumar Mehan have been appointed as Bank & Government Nominee Directors w.e.f. 5th August 2010 & 22nd September 2010 respectively.

However, Shri Lalit Kumar and Shri S. K. Goel, Government & Bank Nominees ceased to be on the Board w.e.f. 16th June 2010 & 5th August 2010 respectively. Further, Shri D. K. Kapila and Dr. K. Jayakumar have also ceased as Part-time Non-executive Directors w.e.f. 27th August 2010.

The Board wishes to convey their sincere

appreciation for the contributions made by the outgoing members during their tenure as directors of the Company.

Audit Committee

During the year, the Audit Committee has been re-constituted by the Board and at present the Committee comprises of the following Members -

1. Shri Bhaskar Sen (Chairman)
2. Shri Jitendar Kumar Mehan
3. Shri Kuldip Singh

The change in the composition of Audit Committee during the year is as follows:

Name of the Members	Appointment	Cessation
Shri Kuldip Singh	9 th June 2010	-
Shri A. V. Girija Kumar	9 th June 2010	24 th September 2010
Shri Lalit Kumar	-	16 th June 2010
Shri S. K. Goel	-	5 th August 2010
Shri Bhaskar Sen	12 th August 2010	-
Shri D. K. Kapila	-	27 th August 2010
Dr. K. Jayakumar	-	27 th August 2010
Shri Jitendar Kumar Mehan	24 th September 2010	-

The Committee approves the Annual Audit Plan of the Company and appoints Concurrent Auditor and reviews various activities of the Company. The Committee gave various directions for improvement of the functioning of the Company for loss control measures, provisioning issues, improvement of Internal Audit activities including internal control system prevailing in the Company.

CORPORATE GOVERNANCE & ITS COMPLIANCE:

The Company has complied with all the stipulations contained in the Guidelines on Corporate Governance. The amended guidelines on Corporate Governance dated 29th January 2010 states that the mandatory Committees such as Audit, Investment, Risk Management and Policyholder

Protection Committee should meet at least 4 times in a year. However, being the first year of its implementation, Risk Management Committee & Policyholder Protection Committee were held for 3 times during the financial year 2010-11.

STATUTORY AUDITORS

M/s. Guha Nandi & Co., Chartered Accountants, Kolkata were re-appointed and M/s. N. Sarkar & Co., Chartered Accountants were newly appointed as Statutory Auditors of the Company in place of M/s. Dutta Sarkar & Co., Chartered Accountants for the financial year 2010-11 by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) in terms of Section 619(2) of the Companies Act, 1956, in addition to the appointment/re-appointment of Branch Auditors

द्वारा दिये गये मार्गदर्शन हेतु निदेशक मण्डल अपना आभार व्यक्त करता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड, प्रिन्सिपल निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता को उनके बहुमूल्य मार्गनिर्देश और सहयोग के लिए निदेशक मण्डल धन्यवाद ज्ञापित करता है।

संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(ख) के साथ पठित धारा 619(क) के अधीन संसद के दोनो सदनों में कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आभार

निदेशक मण्डल सभी स्तर के अधिकारियों, विकास अधिकारियों

तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा पालिसीधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा कम्पनी का कार्य निष्पादन सुधारने में उनके द्वारा दिये गये योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहते हैं। अपने वर्तमान तथा नये ग्राहकों की बड़ी संख्या द्वारा कम्पनी में पुनः अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए निदेशकगण उनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं। कम्पनी का पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार करने में समुद्रपारीय पुनर्बीमाकर्ताओं एवं राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा दिये गये सहयोग एवं समर्थन के लिए निदेशकगण अपना आभार व्यक्त करते हैं।

कम्पनी के कार्य प्रबंधन में दिये गये समर्थन और मार्ग निर्देश के लिए बीमा प्रभाग, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जनरल इन्श्योरर्स (पब्लिक सेक्टर), एसोसिएशन आफ इंडिया (जिप्सा), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के प्रति निदेशक मण्डल प्रशंसा दर्ज करते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

कृते निदेशक मण्डल

माननीय श्रीरामचंद्रप्रसाद

(एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता, 26 मई 2011

for the various Regional and Divisional Offices and also for the Foreign Branches. The Board of Directors wishes to convey their sincere appreciation to the Auditors for their guidance.

AUDIT BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Board of Directors wishes to convey their thanks to the Comptroller & Auditor General of India, the Chairman of the Audit Board, Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit Board-II, Kolkata for their valuable guidance and co-operation.

PLACEMENT OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

The Annual Report of the Company along with the Directors' Report is being placed before both the Houses of the Parliament under Section 619(A) read with 619(B) of the Companies Act, 1956.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wishes to place on record

their appreciation of the commendable work done by the officers and other classes of employees comprising of development officers and staff at all levels in rendering efficient services to the policyholders and for their contribution in the performance of the Company. The Directors also deeply appreciate the confidence reposed in the Company by a wide spectrum of its client base, existing as well as new. The Directors acknowledge the excellent support extended by overseas Reinsurers and the General Insurance Corporation of India (GIC) as the National Reinsurer in the placement of Company's Reinsurance business.

The Directors would also like to place on record their gratitude and deep appreciation of the support and guidance received from the senior officials of the Insurance Division, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India & General Insurers' (Public Sector) Association of India (GIPSA) and from the Insurance Regulatory and Development Authority of India in the management of the affairs of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors



**(N.S.R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director**

Kolkata, 26th May 2011

परिशिष्ट -I

कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश -अनुपालन प्रमाण पत्र
(कार्पोरेट गवर्नेंस और इसके अनुपालन के पैरा के साथ पढ़ा जाये)

मैं रीना माडिया एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि समय समय पर संशोधित कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का कम्पनी द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया गया है इस सम्बन्ध में किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

(रीना माडिया)
उप कम्पनी सचिव

परिशिष्ट - II

**वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों/समितियों की संख्या
और उन बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति दर्शाता विवरण**

1. मंडल बैठक

बैठकों की संख्या : 6

निदेशकों के नाम	मंडल बैठकों की तारीख					
	09/06/2010	12/08/2010	26/08/2010	10/11/2010	14/02/2011	25/03/2011
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन (सरकारी निदेशक) (22/09/2010 से नियुक्त)	-	-	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ललित कुमार (पूर्व सरकारी निदेशक) (16/06/2010 को सेवानिवृत्त)	उपस्थित	-	-	-	-	-
श्री भास्कर सेन (बैंक नामित निदेशक) (05/08/2010 से नियुक्त)	-	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री एस. के. गोयल (पूर्व बैंक नामित निदेशक) (05/08/2010 से सेवानिवृत्त)	उपस्थित	-	-	-	-	-
श्री डी. के. कपीला पूर्व अंशकालिक अकार्यकारी निदेशक (27/08/2010 से सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-	-
डॉ. के. जयकुमार (पूर्व अंशकालिक अकार्यकारी निदेशक) (27/08/2010 से सेवानिवृत्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	-	-	-
श्री कुलदीप सिंह कार्यकारी निदेशक (10/05/2010 से नियुक्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ए.वी. गिरिजा कुमार कार्यकारी निदेशक (10/05/2010 से नियुक्त)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

ANNEXURE – ‘I’

CERTIFICATION FOR COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

(to be read along with the para on Corporate Governance and its Compliance)

I, Rina Madia, hereby certify that the Company has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies, as amended from time to time, and nothing has been concealed or suppressed.

(Rina Madia)

Deputy Company Secretary

ANNEXURE – ‘II’

STATEMENT SHOWING NUMBER OF BOARD/COMMITTEE MEETINGS HELD DURING THE FINANCIAL YEAR 2010-11 AND ATTENDANCE OF THE DIRECTORS/MEMBERS THEREAT

1. BOARD MEETING

No. of meetings held: 6

Name of the Directors	Date of Meeting					
	09/06/2010	12/08/2010	26/08/2010	10/11/2010	14/02/2011	25/03/2011
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman-cum-Managing Director)	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan Government Nominee (appointed w.e.f 22/09/2010)	-	-	-	Present	Present	Present
Shri Lalit Kumar ex-Government Nominee (ceased on 16/06/2010)	Present	-	-	-	-	-
Shri Bhaskar Sen Bank Nominee (appointed w.e.f 05/08/2010)	-	Absent	Present	Present	Present	Present
Shri S. K. Goel ex-Bank Nominee (ceased on 05/08/2010)	Present	-	-	-	-	-
Shri D. K. Kapila ex-Part-time Non Official Director (ceased on 27/08/2010)	Present	Present	Present	-	-	-
Dr. K. Jayakumar ex-Part-time Non Official Director (ceased on 27/08/2010)	Present	Present	Present	-	-	-
Shri Kuldip Singh Executive Director (appointed w.e.f 10/05/2010)	Present	Present	Present	Present	Present	Present
Shri A. V. Girija Kumar Executive Director (appointed w.e.f 10/05/2010)	Present	Present	Present	Present	Present	Present

2. लेखा परीक्षा समिति (मॅडेरेरी)

बैठकों की संख्या :4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	09/06/2010	12/08/2010	10/11/2010	14/02/2011
श्री भास्कर सेन (अध्यक्ष)	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री डी. के. कपीला – (पूर्व अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री ललित कुमार	उपस्थित	-	-	-
श्री एस. के. गोयल	उपस्थित	-	-	-
डॉ के. जयकुमार	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री कुलदीप सिंह	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ए.वी. गिरिजा कुमार	-	उपस्थित	-	-

3. निवेश समिति (मॅडेरेरी)

बैठकों की संख्या: 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	17/04/2010	12/08/2010	27/12/2010	25/03/2011
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री ललित कुमार	उपस्थित	-	-	-
श्री भास्कर सेन	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री एस. के. गोयल	अनुपस्थित	-	-	-
डॉ के. जयकुमार	अनुपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री ए. वी. गिरिजा कुमार	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सी पी आर वर्मा (सीएफओ)	-	-	-	उपस्थित
श्री पी राय (सीआईओ)	-	-	-	उपस्थित
श्री भूदेव चटर्जी (आमंत्रित नियुक्त एक्यूअरी)	अनुपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित

4. जोखिम प्रबन्धन समिति (मॅडेरेरी)

बैठकों की संख्या :3

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख		
	12/08/2010	27/12/2010	25/03/2011
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री भास्कर सेन	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री डी. के. कपीला	उपस्थित	-	-
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री ए.वी. गिरिजा कुमार	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

2. AUDIT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	09/06/2010	12/08/2010	10/11/2010	14/02/2011
Shri Bhaskar Sen (Chairman)	-	-	Present	Present
Shri D. K. Kapila (ex-Chairman)	Present	Present	-	-
Shri Jitendar Kumar Mehan	-	-	Present	Present
Shri Lalit Kumar	Present	-	-	-
Shri S. K. Goel	Present	-	-	-
Dr. K. Jayakumar	Present	Present	-	-
Shri Kuldip Singh	-	Present	Present	Present
Shri A. V. Girija Kumar	-	Present	-	-

3. INVESTMENT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	17/04/2010	12/08/2010	27/12/2010	25/03/2011
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan	-	-	Present	Present
Shri Lalit Kumar	Present	-	-	-
Shri Bhaskar Sen	-	-	Present	Present
Shri S. K. Goel	Absent	-	-	-
Dr. K. Jayakumar	Absent	Present	-	-
Shri A. V. Girija Kumar	-	Present	Present	Present
Shri C. P. R. Varma (CFO)	-	-	-	Present
Shri P. Roy (CIO)	-	-	-	Present
Shri Bhudev Chatterjee (Appointed Actuary as invitee)	Absent	Absent	Present	Absent

4. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 3

Name of the Members	Date of Meeting		
	12/08/2010	27/12/2010	25/03/2011
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan	-	Present	Present
Shri Bhaskar Sen	-	Present	Present
Shri D. K. Kapila	Present	-	
Shri Kuldip Singh	Present	Present	Present
Shri A. V. Girija Kumar	Present	Present	Present

5. पालिसीधारक सुरक्षा समिति (मंडेरेरी)

बैठकों की संख्या : 3

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख		
	26/08/2010	27/12/2010	25/03/2011
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन	-	उपस्थित	उपस्थित
डॉ के. जयकुमार	उपस्थित	-	-
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

6. सूचना प्रौद्योगिकी समिति

बैठकों की संख्या : 4

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख			
	17/04/2010	26/08/2010	10/11/2010	14/02/2011
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन	-	-	उपस्थित	उपस्थित
श्री ललित कुमार	उपस्थित	-	-	-
श्री डी. के. कपीला	उपस्थित	उपस्थित	-	-
श्री ए.वी. गिरिजा कुमार	-	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

7. मानव संसाधन समिति

बैठकों की संख्या : 2

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख	
	12/08/2010	25/03/2011
श्री एन. एस. आर. चन्द्रप्रसाद (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन	-	उपस्थित
श्री भास्कर सेन	-	उपस्थित
डॉ के. जयकुमार	उपस्थित	-
श्री कुलदीप सिंह	उपस्थित	उपस्थित

8. रिम्यूनरेशन समिति

बैठकों की संख्या : 2

सदस्यों के नाम	बैठकों की तारीख	
	15/04/2010	10/11/2010
श्री जितेन्द्र कुमार मैहन (अध्यक्ष)	-	उपस्थित
श्री ललित कुमार (पूर्व अध्यक्ष)	उपस्थित	-
श्री भास्कर सेन	-	उपस्थित
श्री एस. के. गोयल	उपस्थित	-
श्री डी. के. कपीला	उपस्थित	-

5. POLICYHOLDER PROTECTION COMMITTEE (Mandatory)

No. of meetings held: 3

Name of the Members	Date of Meeting		
	26/08/2010	27/12/2010	25/03/2011
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan	-	Present	Present
Dr. K. Jayakumar	Present	-	-
Shri Kuldip Singh	Present	Present	Present

6. IT COMMITTEE

No. of meetings held: 4

Name of the Members	Date of Meeting			
	17/04/2010	26/08/2010	10/11/2010	14/02/2011
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan	-	-	Present	Present
Shri Lalit Kumar	Present	-	-	-
Shri D. K. Kapila	Present	Present	-	-
Shri A. V. Girija Kumar	-	Present	Present	Present

7. HR COMMITTEE

No. of meetings held: 2

Name of the Members	Date of Meeting	
	12/08/2010	25/03/2011
Shri N. S. R. Chandraprasad (Chairman)	Present	Present
Shri Jitendar Kumar Mehan	-	Present
Shri Bhaskar Sen	-	Present
Dr. K. Jayakumar	Present	-
Shri Kuldip Singh	Present	Present

8. REMUNERATION COMMITTEE

No. of meetings held: 2

Name of the Members	Date of Meeting	
	15/04/2010	10/11/2010
Shri Jitendar Kumar Mehan (Chairman)	-	Present
Shri Lalit Kumar (ex-Chairman)	Present	-
Shri Bhaskar Sen	-	Present
Shri S. K. Goel	Present	-
Shri D. K. Kapila	Present	-

परिशिष्ट - 'III'

व्यक्तिगत बीमा सम्बन्धी निष्पादन का विवरण

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2006-07	170351	2725388	81696	5553	6947	159914	365.95
2007-08	267151	7970276	48054	4505	4195	206424	386.28
2008-09	142621	524562	84591	2035	1669	243568	264.49
2009-10	144611	645329	65563	1985	1909	264037	462.21
2010-11	153210	700787	79853	2908	2732	388919	249.75

ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2006-07	6980	897628	87446	853	1203	69872	108.71
2007-08	906	154748	5543	93	109	3761	47.29
2008-09	727	34385	463	57	51	510	112.00
2009-10	6863	46740	595	26	36	1342	111.72
2010-11	7242	49368	462	31	26	258	63.34

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2006-07	16277	515399	9521	104	59	2823	48.18
2007-08	6912	68182	5338	49	50	2190	32.33
2008-09	6836	1081850	16228	105	105	5237	32.72
2009-10	7219	1313010	23411	147	156	9364	42.69
2010-11	5963	1084565	30228	468	325	18834	68.16

ANNEXURE - 'III'

DETAILS OF PERFORMANCE OF SOME OF THE PERSONAL LINE INSURANCE

JANATA PERSONAL ACCIDENT POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2006-07	170351	2725388	81696	5553	6947	159914	365.95
2007-08	267151	7970276	48054	4505	4195	206424	386.28
2008-09	142621	524562	84591	2035	1669	243568	264.49
2009-10	144611	645329	65563	1985	1909	264037	462.21
2010-11	153210	700787	79853	2908	2732	388919	249.75

GRAMIN PERSONAL ACCIDENT POLICY :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2006-07	6980	897628	87446	853	1203	69872	108.71
2007-08	906	154748	5543	93	109	3761	47.29
2008-09	727	34385	463	57	51	510	112.00
2009-10	6863	46740	595	26	36	1342	111.72
2010-11	7242	49368	462	31	26	258	63.34

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE FOR KISSAN CREDIT CARD HOLDERS :

(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2006-07	16277	515399	9521	104	59	2823	48.18
2007-08	6912	68182	5338	49	50	2190	32.33
2008-09	6836	1081850	16228	105	105	5237	32.72
2009-10	7219	1313010	23411	147	156	9364	42.69
2010-11	5963	1084565	30228	468	325	18834	68.16

राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2006-07	2059	4790	274	93	62	1323	149.45
2007-08	344	10449	240	19	56	519	216.00
2008-09	449	947	47	15	12	276	535.55
2009-10	236	707	28	2	6	132	459.31
2010-11	3853	3905	113	-	-	-	-

भाग्यश्री शिशु कल्याण बीमा योजना :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2006-07	1028	30449	5576	9	9	256	9.01
2007-08	208	31000	14903	2	3	311	7.78
2008-09	444	105600	47115	1	1	25	0.05
2009-10	282	495	18497	2	2	1005	5.43
2010-11	555	740	1123	3	1	17	46.80

जन आरोग्य पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2006-07	5738	72343	5671	5119	5210	9364	172.05
2007-08	5981	20032	2278	931	818	3712	167.52
2008-09	5170	7894	1381	556	516	2336	171.76
2009-10	4700	6873	14614	447	459	55867	388.00
2010-11	4389	6079	1110	363	339	14519	1203.63

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2006-07	8387	28323	3825	361	318	1084	28.77
2007-08	35729	152184	28262	1170	785	2411	19.31
2008-09	87431	296652	47910	264	187	878	2.00
2009-10	95379	320535	129701	9253	9127	110976	80.00
2010-11	91511	302305	211173	16327	11161	173402	89.38

RAJRAJESHWARI MAHILA KALYAN BIMA YOJANA :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2006-07	2059	4790	274	93	62	1323	149.45
2007-08	344	10449	240	19	56	519	216.00
2008-09	449	947	47	15	12	276	535.55
2009-10	236	707	28	2	6	132	459.31
2010-11	3853	3905	113	-	-	-	-

BHAGYASHREE CHILD WELFARE BIMA YOJANA :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2006-07	1028	30449	5576	9	9	256	9.01
2007-08	208	31000	14903	2	3	311	7.78
2008-09	444	105600	47115	1	1	25	0.05
2009-10	282	495	18497	2	2	1005	5.43
2010-11	555	740	1123	3	1	17	46.80

JAN AROGYA BIMA POLICY :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2006-07	5738	72343	5671	5119	5210	9364	172.05
2007-08	5981	20032	2278	931	818	3712	167.52
2008-09	5170	7894	1381	556	516	2336	171.76
2009-10	4700	6873	14614	447	459	55867	388.00
2010-11	4389	6079	1110	363	339	14519	1203.63

UNIVERSAL HEALTH INSURANCE SCHEME :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2006-07	8387	28323	3825	361	318	1084	28.77
2007-08	35729	152184	28262	1170	785	2411	19.31
2008-09	87431	296652	47910	264	187	878	2.00
2009-10	95379	320535	129701	9253	9127	110976	80.00
2010-11	91511	302305	211173	16327	11161	173402	89.38

मेडीक्लेम बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2006-07	769043	5475273	4667464	237058	247439	5281488	117.96
2007-08	763995	5542300	6699193	286056	237175	6683045	101.00
2008-09	801175	6515165	8018872	225692	203478	7287238	91.00
2009-10	865097	7034979	9015881	225872	232630	8771810	97.00
2010-11	943883	8534286	13089487	278031	244420	11911433	91.00

विद्यार्थी मेडीक्लेम पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	1946	5561	5748	116	56	1168	20.31
2008-09	2995	7242	11951	769	177	2696	20.00
2009-10	3149	5345	15588	486	485	8547	45.00
2010-11	3396	6107	23550	1377	490	11762	53.46

परिवार मेडीक्लेम पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	22314	60802	139506	1491	695	125321	97.00
2008-09	51411	155674	346532	7965	2985	82554	23.82
2009-10	82900	252958	571255	10547	9442	344025	70.00
2010-11	115070	353990	810625	25620	16570	527437	66.39

वरिष्ठ मेडीक्लेम पॉलिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2007-08	3177	3177	28612	432	159	3089	103.52
2008-09	11656	13819	99768	3765	745	23165	23.21
2009-10	16333	19510	135612	2340	2177	111021	50.00
2010-11	21359	25483	176134	8428	3599	100233	59.62

MEDICLAIM INSURANCE :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2006-07	769043	5475273	4667464	237058	247439	5281488	117.96
2007-08	763995	5542300	6699193	286056	237175	6683045	101.00
2008-09	801175	6515165	8018872	225692	203478	7287238	91.00
2009-10	865097	7034979	9015881	225872	232630	8771810	97.00
2010-11	943883	8534286	13089487	278031	244420	11911433	91.00

VIDYARTHI MEDICLAIM POLICY :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	1946	5561	5748	116	56	1168	20.31
2008-09	2995	7242	11951	769	177	2696	20.00
2009-10	3149	5345	15588	486	485	8547	45.00
2010-11	3396	6107	23550	1377	490	11762	53.46

PARIVAR MEDICLAIM POLICY :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	22314	60802	139506	1491	695	125321	97.00
2008-09	51411	155674	346532	7965	2985	82554	23.82
2009-10	82900	252958	571255	10547	9442	344025	70.00
2010-11	115070	353990	810625	25620	16570	527437	66.39

VARISTHA MEDICLAIM POLICY :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2007-08	3177	3177	28612	432	159	3089	103.52
2008-09	11656	13819	99768	3765	745	23165	23.21
2009-10	16333	19510	135612	2340	2177	111021	50.00
2010-11	21359	25483	176134	8428	3599	100233	59.62

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2009-10	18	8368751	358967	18135	14355	136271	50.00
2010-11	33	14111136	805357	135632	104017	580892	72.12

स्वास्थ्य पालिसियों (अन्य) :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2009-10	230916	572782	545798	21237	20259	590481	196.00
2010-11	246277	600033	698025	45037	27617	678760	97.24

पशु बीमा :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09

ग्रामीण बीमा व्यवसाय:

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	472933	2905214	782510	41078	33540	965213	99.83

माइक्रो बीमा पालिसी :

ग्रामीण स्वास्थ्य माइक्रो बीमा पालिसी

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	16100	46368	9362	3929	2883	16056	171.42

ग्रामीण सुरक्षा माइक्रो बीमा पालिसी :

(₹ हजार में)

वर्ष	जारी पालिसियों की संख्या	संरक्षित जीवनों की संख्या	प्रीमियम ₹	सूचित दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	प्रदत्त राशि ₹	उपगत दावा अनुपात (%)
2010-11	3979	10913	24189	4619	3157	9997	51.25

RASHTRIYA SWASTHYA BIMA POLICY :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2009-10	18	8368751	358967	18135	14355	136271	50.00
2010-11	33	14111136	805357	135632	104017	580892	72.12

HEALTH POLICIES (OTHERS) :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2009-10	230916	572782	545798	21237	20259	590481	196.00
2010-11	246277	600033	698025	45037	27617	678760	97.24

CATTLE INSURANCE POLICY:
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of lives covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	157965	488948	462695	19327	16243	287651	65.09

RURAL INSURANCE BUSINESS :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	472933	2905214	782510	41078	33540	965213	99.83

MICRO INSURANCE POLICIES :
Gramin Suswasthya Micro Insurance Policy
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	16100	46368	9362	3929	2883	16056	171.42

Gramin Suraksha Micro Insurance Policy :
(₹ in thousand)

Year	No. of policies issued	No. of persons covered	Premium received ₹	No. of claims reported	No. of claims settled	Amount of claims paid ₹	Incurred claim ratio (%)
2010-11	3979	10913	24189	4619	3157	9997	51.25

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणियों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार किया जाना) विनियमन, 2002 की अनुसूची ख के भाग IV की अपेक्षानुसार प्रबंधन रिपोर्ट

हम प्रमाणित करते हैं कि:-

1. साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए हमारी कम्पनी ने प्राधिकरण से पंजीकरण का नवीकरण करा लिया है; (पंजीकरण सं. 58 दिनांक 28.02.2011)
2. सांविधिक प्राधिकारियों को देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया गया;
3. वर्ष के दौरान शेयर धारण परिपाटी तथा शेयरों का अंतरण सांविधिक/विनियामक की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है;
4. भारत में जारी पालिसियों के धारकों की निधियां प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेशित नहीं की गई हैं;
5. आईआरडीए (बीमाकर्ता की सम्पत्ति, देयता और शोधन क्षमता) विनियम 2000 के अनुसार 31 मार्च 2011 को वांछित शोधन क्षमता कायम रखी गई है।
6. सभी परिसम्पत्तियों के मूल्यों की तुलनपत्र की तिथि को समीक्षा की गई है तथा हमारे विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में व्यक्त कई शीर्ष-ऋण, निवेश, एजेंट अधिशेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज, लाभांश तथा किराया लेकिन प्राप्य नहीं, बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों से प्राप्य राशि, विविध देनदार, प्राप्य बिल, नकद तथा अन्य लेखा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अनधिक कुल राशि दर्शायी गई है;
7. हमारी कम्पनी को अनेक प्रकार के जोखिमों अर्थात् महाविनाशकारी/दुर्घटनात्मक सामाजिक जोखिमों से खतरा है जिससे पोर्टफोलियो प्रभावित हो रहा है। तथापि इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति तीन स्तरीय है। प्रथमतः हमने किसी एक दुर्घटना पर अपनी अधिकतम देयता को सीमित करने के लिए एक सुव्यवस्थित पुनर्बीमा कार्यक्रम बनाया है। प्रतिधारण को कम्पनी के शुद्ध मूल्य से संबद्ध किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार अग्नि विभाग में प्रतिधारण के सर्वोच्च स्तर को रखा गया है तथा व्यक्तिगत जोखिम के आधार पर

व्यवसाय के अन्य वर्गों में इसे कम किया गया है। दूसरा, हमारा मुख्य रुझान गैर-मोटर बीमा बाजार के बड़े भाग की ओर है जो अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद है। तीसरा, संगठित क्षेत्र के व्यवसाय में अधिक बाजार भागीदारी हासिल करना।

8. नेपाल तथा हांगकांग में स्थित दो विदेशी शाखाओं में से नेपाल के बाजार में मुख्य खतरा सम्पत्ति बीमा के क्षेत्र में है तथा इस प्रकार के जोखिमों के लिए कम्पनी के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। हांगकांग शाखा के संबंध में न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ हुये समझौते के आधार पर समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व के वर्तमान मूल्य के अनुसार शाखा प्रचालन को न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी को स्थानांतरित करना है। यह स्थानांतरण बीमा कंपनी के अध्यादेश (अध्याय 41) के खंड 25डी के अंतर्गत हांगकांग बीमा प्राधिकरण की स्वीकृति के अधीन है। अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
9. दावों का अवधिवार विवरण (सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है। विवादित मामलों को छोड़कर, दावे उपयुक्त समयावधि में निपटाये जाते हैं।
10. तुलनपत्र में दर्शाए गए के अनुसार सभी निवेश तथा स्टॉक को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में वर्णित ढंग से मूल्यांकित किया गया है (अनुसूची-16) अर्थात्
 - i) इक्विटी शेयर तथा म्यूचुअल फंड की यूनिटों के अलावा निवेश लागत पर वर्णित है तथा प्रत्याभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम की बाकी अवधि के लिए किश्त निर्धारित की गई है।
 - ii) इक्विटी शेयरों, जिनका बाजार में सक्रिय कारोबार होता है, में निवेश तथा म्यूचुअल फंडों में यूनिटों को उचित मूल्य पर वर्णित किया गया है।
 - iii) ऐसे शेयर का, जिनका कारोबार कम होता है, लागत पर अथवा विघटित मूल्य पर, जो भी कम हो, मूल्यांकन होता है।
 - iv) विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अधिग्रहण दरों पर किया जाता है।
 - v) ऋण तथा ऋण-पत्रों के संबंध में गैर निष्पादित परिसम्पत्ति के प्रावधान के संबंध में, कम्पनी द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाया गया है।

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITORS' REPORT OF INSURANCE COMPANIES) REGULATIONS, 2002

We certify that:

1. Renewal of Registration for carrying out the General Insurance Business of our Company has been obtained from the Authority (Registration No.58 dated 28.2.2011),
2. All dues payable during the year to the statutory authorities have been duly paid;
3. The shareholding pattern and transfer of shares effected during the year are in accordance with statutory/regulatory requirements;
4. The funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India;
5. The required solvency margins as at 31st March, 2011 as per IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 have been maintained.
6. The value of all the Assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and that in our belief the Assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value, under the several headings - "Loans", "Investments", "Agents' Balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other Persons or Bodies carrying on Insurance Business", "Sundry Debtors", "Bills Receivable", "Cash" and items specified under "Other Accounts";
7. The Company is exposed to various kinds of risks i.e. catastrophic/accidental/social etc. However, the strategy adopted to mitigate the same is mainly threefold. Firstly, we have devised a well laid out re-insurance programme to arrest our maximum liability in any one eventuality. The retentions are linked to net worth of the Company. The highest level of retentions are maintained in Fire Department as per international practices and graded down in other classes of business on an individual risk. Secondly, our thrust area is to have greater share of non-motor insurance market which is comparatively more profitable. Thirdly, we are trying to acquire more market share in organised sector business.
8. Out of the offices in two foreign countries situated in Nepal and in Hong Kong, the exposure in Nepal is predominantly in property insurance area and the assumption of risks of this kind is mainly taken care of by the reinsurance programme of the Company. In respect of Hong Kong Branch, an agreement has been entered into with New India Assurance Co. Ltd. to transfer the branch's operation, Assets and Liabilities at their carrying values. This transfer is subject to approval by the Insurance Authority of Hong Kong in accordance with Section 25D of the Insurance Companies Ordinance (chapter 41). The approval has been obtained. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid-off.
9. The ageing of claims (on gross business) is given below. Barring disputed cases, the claims are settled within a reasonable period of time.
10. All investments and stocks, as shown in the Balance Sheet, have been valued in the manner disclosed in Significant Accounting Policies (Schedule 16), i.e.
 - i) Investments other than Equity Shares and units of Mutual Funds are stated at cost and the premium paid on securities is amortised over the remaining period.
 - ii) Investments in Equity Shares that are actively traded in the market and the units of Mutual Funds are stated at fair value.
 - iii) Shares that are thinly traded are valued at lower of Cost or Break up value.
 - iv) Foreign Government securities are valued at the acquisition cost.
 - v) In respect of loans and debentures, prudential norms as prescribed by IRDA regarding provisioning have been followed by the Company.

11. परिसम्पत्ति की गुणवत्ता तथा निवेश पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन की समीक्षा :

(₹ हजार में)

विवरण	बही मूल्य	बाजार मूल्य	आय
शेयर	22207877	103615593	13029912
शेयरों के अलावा	61702734	61703112	4518291
कुल :	83910611	165318705	17548204

12. सभी निवेशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और सम्पत्तियां बीमा बिनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विवेकपूर्ण नियमों के आधार पर निष्पादन योग्य और गैर निष्पादन योग्य के रूप में वर्गीकृत हैं।

13. हम पुष्टि करते हैं कि -

- वित्तीय विवरण तैयार करने में मूलभूत परिवर्तन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का पालन किया गया है।
- प्रबंधन ने लेखांकन नीतियां अपनाई हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति

पर कम्पनी की हानि तथा वर्ष के दौरान कम्पनी की प्रचालन हानि का सही एवं वास्तविक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन दिए हैं।

- प्रबंधन द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित करने के लिए तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4)/कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 के 1)/के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव के लिए उपयुक्त तथा समुचित ध्यान रखा गया है।
- प्रबंधन द्वारा गतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।
- प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है तथा प्रभावी रूप से कार्यरत है।

14. हम पुष्टि करते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनियों तथा संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिसमें कम्पनी के निदेशकों का हित निहित हो।

कृते नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

नान्ते श्रीरामचन्द्रप्रसाद

(एन एस आर चन्द्रप्रसाद)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कोलकाता, 26 मई, 2011

अवधिवार दावा विवरण (सकल आधार पर) 2010-11

परिशिष्ट

(₹ हजार में)

	30 दिन	30 दिन से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 5 वर्ष	5 वर्ष व अधिक	योग
अग्नि	714396	1232438	977783	2612295	231951	5768863
(दावों की संख्या)	(232)	(926)	(677)	(656)	(192)	(2683)
मरीन	574196	406508	232122	538936	177712	1929474
(दावों की संख्या)	(285)	(976)	(580)	(475)	(94)	(2410)
विविध	3424969	5841996	4173700	14136839	7914907	35492411
(दावों की संख्या)	(26107)	(99152)	(33020)	(99419)	(58287)	(315985)
कुल	4713561	7480942	5383605	17288070	8324570	43190748
(दावों की संख्या)	(26624)	(101054)	(34277)	(100550)	(58573)	(321078)

11. Review of Assets quality and performance of Investment Portfolio :

(₹ In thousand)

Particulars	Book Value	Market Value	Income
Shares	22207877	103615593	13029912
Other than Shares	61702734	61703112	4518291
Total :	83910611	165318705	17548204

12. All investments are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Prudential norms.

13. We confirm that:

- in the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
- the management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are

reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year and of the operating profit of the Company for the year;

- the management has taken proper and sufficient care for maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/Companies Act, 1956 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the management has prepared the financial statements on a going concern basis;
- the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

14. We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which the Directors of the Company are interested.

For and on behalf of National Insurance Company Limited



(N.S.R. Chandraprasad)
Chairman-cum-Managing Director

Kolkata, the 26th day of May, 2011

Ageing of Claims (on gross basis) 2010-11

Annexure

(₹ In thousand)

	30 Days	30 days to 6 months	6 months to 1 Year	1 Year to 5 Years	5 Years and above	TOTAL
FIRE	714396	1232438	977783	2612295	231951	5768863
(No. of Cases)	(232)	(926)	(677)	(656)	(192)	(2683)
MARINE	574196	406508	232122	538936	177712	1929474
(No. of Cases)	(285)	(976)	(580)	(475)	(94)	(2410)
MISCELLANEOUS	3424969	5841996	4173700	14136839	7914907	35492411
(No. of Cases)	(26107)	(99152)	(33020)	(99419)	(58287)	(315985)
TOTAL	4713561	7480942	5383605	17288070	8324570	43190748
(No. of Cases)	(26624)	(101054)	(34277)	(100550)	(58573)	(321078)

नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

- हमने नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी का 31 मार्च, 2011 का संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न अग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा आय लेखा और लाभ तथा हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 24 क्षेत्रीय कार्यालयों और 318 मंडल कार्यालयों की लेखा परीक्षित विवरणियाँ एवं दो विदेशी शाखाओं के समुद्रपारीय लेखा परीक्षकों द्वारा स्थानीय कानूनों के अनुसार की गई लेखा परीक्षित विवरणियाँ शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व यह है कि अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।
- तुलन-पत्र, आय लेखा तथा लाभ और हानि लेखा कम्पनी अधिनियम 1956, बीमा अधिनियम 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के लागू प्रावधानों के आवश्यकतानुसार तैयार किया गया है।
- हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानदंडों की अपेक्षा है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन, इसका समुचित आश्वासन पाने के लिए करें कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्त्विक मिथ्याकथन नहीं है। लेखा परीक्षा में परीक्षा आधार पर राशि का समर्थन करते हुए साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ साथ प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा ने हमारे विचार व्यक्त करने का समुचित आधार दिया है।
- उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित लेखा परीक्षा के आधार पर हमारा प्रतिवेदन निम्नवत है :

- हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण हमने प्राप्त किया।
- हमारे विचार में संबंधित बहियों की हमारी जांच से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं।
- हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त उचित विवरणी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विदेशी शाखाओं से प्राप्त हुई है तथा उन पर विचार किया गया।
- लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा शाखा/मंडल/क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त हुआ और उन पर विचार किया गया।
- इस प्रतिवेदन में शामिल कम्पनी का तुलनपत्र, आय लेखा तथा लाभ और हानि-लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों तथा विवरणियों से मेल खाते हैं।
- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान कम्पनी लॉ बोर्ड के सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22.03.2002 के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के निदेशकों पर लागू नहीं है।
- निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार हुआ है।
- कम्पनी द्वारा नियुक्त एक्चुअरी द्वारा दावा उपगत किन्तु सूचित नहीं के सम्बन्ध में देयताओं का बीमांककीय मूल्यांकन प्रमाणित किया गया है तथा उस पर हमारा विश्वास जताया गया है। नियुक्त एक्चुअरी ने प्रमाणित किया है कि उनके द्वारा किया गया यह मूल्यांकन आईआरडीए, एक्चुरियल सोसायटी आफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों के सापेक्ष है।
- लेखांकन नीतियां कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानकों और आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार और लागू सीमा तक हैं।

Auditors' Report To The Members of National Insurance Company Limited

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Insurance Company Limited as at 31st March, 2011, the related Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Revenue Accounts, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto, in which are incorporated the audited returns of 24 Regional Offices, 318 Divisional Offices audited by other auditors and also the statement of accounts of 2 Foreign Branches audited by overseas auditors under the applicable local laws. These financial statements are the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. The Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act, 1999 and the Companies Act, 1956, to the extent applicable and in the manner so required.
3. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. On the basis of audit indicated in paragraph 3 above, we report that:
 - 4.1 We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - 4.2 In our opinion, proper books of account as required by law, have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books.
 - 4.3 Proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regional offices and Foreign branches.
 - 4.4 Reports of the auditors on the accounts of Branch/Divisional/Regional offices have been received and taken into consideration.
 - 4.5 The Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns.
 - 4.6 The provisions of section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Directors of the Company in view of Company Law Board General Circular No.8/2002 dated 22.03.2002.
 - 4.7 Investments have been valued in accordance with the provisions of Insurance Act, 1983 and the provisions of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.
 - 4.8 The actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not Reported" is duly certified by the Company's appointed actuary and relied upon by us. The appointed actuary has certified that the assumption considered by him for such valuation is in accordance with the guidelines and norms prescribed by IRDA and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDA.
 - 4.9 The Accounting Policies selected for preparation of the Balance Sheet, Revenue Accounts, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in section 211(3C) of the Companies Act, 1956, to the extent applicable and are also in conformity with the provisions of the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

4.10 अनुसूची 17 में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित है- अनिश्चित रहे लेखा पर अप्राप्त पुनर्मिलान/संपुष्टि पर, यदि हो, समायोजन के प्रभाव के सम्बन्ध में टिप्पणी सं.15।

5. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा पर हुई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा बीमा अधिनियम 1938 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 और कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित और इसके लिए अपेक्षित प्रकार से प्रयोज्य सीमा तक सूचना देता है तथा अनिश्चित रहे परिणामी प्रभाव पर उक्त अनुच्छेद 4.10 के हमारे विचारों के अधीन सही और सटीक चित्र देता है।

- तुलन-पत्र में 31 मार्च 2011 को कम्पनी के कार्य की स्थिति का;
- आय लेखा में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि व्यवसाय में आधिक्य और समुद्री तथा विविध व्यवसाय में घाटे का;
- लाभ और हानि लेखा में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की हानि का;

गुहा नंदी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(डॉ बी एस कुण्डू)

भागीदार

सदस्यता संख्या 051221

पंजीकरण संख्या 302039E

कोलकाता 26 मई, 2011

iv) नकदी प्रवाह विवरण में समाप्त वर्ष की तिथि तक के लिए नकदी प्रवाह का।

6. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि:

- हमने प्रबन्धन रिपोर्ट की समीक्षा की और इसमें वित्तीय विवरण से कोई प्रकट भूल या तात्त्विक असंगति नहीं है;
- कम्पनी ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का पालन किया है;
- हमने नकदी और बैंक अतिशेष, ऋणों से संबंधित निवेश और प्रतिभूतियों का वास्तविक निरीक्षण या प्रमाण-पत्र और या अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा सत्यापित किया है बशर्तों अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 9 और 15 में वर्णित सीमा के अलावा;
- हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर पालिसी धारकों के कोष की संपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसीधारकों के कोष के नियोजन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 (अद्यतन यथा संशोधित) प्रावधानों के उलंघन में नियोजित नहीं है।

एन. सरकार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(जी. मुखोपाध्याय)

भागीदार

सदस्यता संख्या 010534

पंजीकरण संख्या 301075E

4.10 *Attention is invited to Note No. 15 of Schedule 17 regarding impact of adjustments, if any, remaining unascertained on reconciliations of or obtaining confirmations in respect of various items stated therein.*

5. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Accounts read with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts give the information as required by the Insurance Act, 1938 the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Companies Act, 1956 to the extent applicable in the manner so required and *subject to our observation in paragraph 4.10 above on the consequential effect remaining unascertained, give a true and fair view:*

- i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2011;
- ii) in the case of the Revenue Accounts, of the surplus in Fire and Marine Insurance business and deficit in Miscellaneous Insurance business for the year ended 31st March 2011;
- iii) in the case of the Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended 31st March 2011;

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

(Dr. B. S. Kundu)
Partner
Membership No. 051221
Registration No. 302039E

- iv) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for year ended on that date;

6. We further certify that;

- i) We have reviewed the Management Report and there is no apparent mistake or material inconsistency with the financial statements;
- ii) The Company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Insurance Regulatory and Development Authority;
- iii) We have verified cash and bank balances, securities relating to loans, investments by actual inspection or by production of certificates and/or other documentary evidences except to the extent stated in Notes no. 9 and 15 of schedule 17;
- iv) To the best of our information and according to the explanations given to us and on the basis of representations made by the Company, no part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' Fund.

N SARKAR & CO.
Chartered Accountants

(G Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 010534
Registration No. 301075E


Kolkata, the 26th day of May 2011

**31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
के लेखा पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी के अंतर्गत निर्धारित बीमा अधिनियम 1938 के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कम्पनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 एवं कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया के वृत्तिक निकाय द्वारा निर्धारित आडिटिंग एण्ड एश्योरेन्स स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है, पर अपने विचार प्रकट करने का उत्तर दायित्व है। ऐसा उनकी आडिट रिपोर्ट दिनांक 26 मई 2011 में पूरा करने का कथन किया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के एवज में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अधीन नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप में सांविधिक लेखा परीक्षक के सक्रिय कागजों की जाँच के बिना की गई है एवं मुख्यतया सांविधिक लेखा परीक्षक एवं कम्पनी के अधिकारियों से पूछ-ताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की जाँच तक ही सीमित है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है जो कि हमारे द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी पूरक कथन या टिप्पणी करने की आवश्यकता रही हो।

कृते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत



(सौरभ कुमार जैपुरियार)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II

कोलकाता


कोलकाता, दिनांक: 19 जुलाई, 2011

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE
ACCOUNTS OF NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2011**

The preparation of financial statements of National Insurance Company Limited for the year ended 31st March 2011 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26th May 2011.



I, on behalf of the Comptroller & Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of National Insurance Company Limited for the year ended 31st March 2011. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.



For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India



(Saurav Kumar Jaipuriyar)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-officio Member, Audit Board - II
Kolkata

Kolkata, the 19th day of July 2011

टिप्पणी	निदेशकों का जवाब
<p>(क) लाभ एवं हानि लेखा विवरण</p> <p>वर्ष में लाभ (कर पश्चात्) ₹74.89 करोड़</p> <p>वर्ष के दौरान ₹26.85 करोड़ का लाभ निम्न कारणों से हुआ:</p> <p>(i) मोटर तृतीय पक्ष दावा में न्यूनतम 6% की ब्याज दर के स्थान पर 0.01% ब्याज दिया गया जिससे ₹5.26 करोड़ का लाभ हुआ और उसी अनुसार वर्तमान देयता में कमी आयी ।</p> <p>(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान ₹5.99 करोड़ के सूचित किये गये दावों को कम्पनी की लेखा पालिसी संख्या 4.1 (ए) के अनुसार दिया नहीं गया है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की वर्तमान देयता में कमी आयी ।</p> <p>(iii) ₹2.54 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर व्ययों को लेखा में नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की वर्तमान देयता में कमी आयी ।</p> <p>(iv) राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना प्रीमियम के लिए टीपीए द्वारा लिये गये ₹5.19 करोड़ एवं मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए ₹2.29 करोड़ को लेखा में नहीं लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की वर्तमान देयता में कमी आयी ।</p> <p>(v) ₹4.75 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर व्ययों को भूलवश एजेंट कमीशन वसूली में बुक कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की वर्तमान देयता में कमी आयी</p> <p>(vi) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ₹0.83 करोड़ का अधिक प्रीमियम बुक कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की वर्तमान देयता में कमी आयी ।</p> <p>(ख) बैलेंसशीट एप्लीकेशन आफ फंड्स - स्थाई सम्पत्ति (अनुसूची-10) ₹83.60 करोड़</p> <p>उक्त में ₹29.33 करोड़ की अप्रत्यक्ष सम्पत्ति (साफ्टवेयर) सम्मिलित नहीं है। जिसे फिक्सड एसेट इनटंजिबल के तहत निर्धारित किया गया है जब कि इसका निर्धारण आई आर डी ए नियमावली 2002 के अनुसार (बीमा कम्पनी का वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना) विविध व्यय के अंतर्गत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित परिसम्पत्तियों में कमी तथा विविध व्यय में बढ़ोत्तरी पायी गई ।</p> <p>कृते नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत  (सौरभ कुमार जैपुरियार)</p> <p>कोलकाता दिनांक: 19.07.2011</p> <p>प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य,</p>	<p>मद सं. (i) एवं (ii) का जवाब</p> <p>31.03.2011 तक उपगत दावा किन्तु सूचित नहीं, जिसमें सम्मिलित है उपगत दावा लेकिन अधिक सूचित नहीं, के लिए आईबीएनआर प्राविजन के एक्चुरियल मूल्यांकन के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रावधान एक्चुरियल सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। वांछित अतिरिक्त प्राविजन वर्तमान वर्ष 2011-12 में किया जायेगा ।</p> <p>मद सं. (iii), (iv) एवं (v)</p> <p>वांछित समायोजन /प्रावधान वर्तमान वर्ष 2011-12 में किया जायेगा ।</p> <p>(vi) प्रावधान की इंट्री को परिवर्तित किया जायेगा तथा वर्तमान वर्ष 2011-12 में वास्तविक राशि दी जायेगी ।</p> <p>बैलेंसशीट की अनुसूची 10 (निर्धारित परिसम्पत्तियां) एवं अनुसूची 14 (विविध व्यय) को अनुसूची -17 के नोट सं. 13 (बी) के साथ पढ़ा जाय जिसमें अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों (साफ्टवेयर) का विवरण दिया गया है इसका उल्लेख वर्तमान वर्ष के लेखा में निर्धारित फॉर्मेट पर किया जायेगा ।</p> <p>कृते निदेशक मंडल  (एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद) अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक</p> <p>कोलकाता, दिनांक: 19.09.2011</p>

COMMENTS	DIRECTORS' REPLY
<p>(A) Profit & Loss Account</p> <p>Profit (After Tax) for the year ₹74.89 Crore</p> <p>Profit for the year has been overstated by ₹26.85 crore due the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Interest on Motor Third Party claims has been provided at 0.01 <i>per cent</i> instead of minimum 6 <i>per cent</i> resulting in overstatement of profit by ₹5.26 crore with corresponding understatement of Current Liabilities. (ii) Claims of ₹5.99 crore intimated within the financial year not provided for in contravention of the Accounting Policy No. 4.1 (a) of the Company. This has also resulted in understatement of Current Liabilities. (iii) Infrastructural expenses of ₹2.54 crore not provided in the accounts with corresponding understatement of Current Liabilities. (iv) TPA charges of ₹5.19 crore for Rastriya Swastha Bima Yojana (RSBY) premium and for Mediclaim premium ₹2.29 crore not provided in the accounts, with corresponding understatement of Current Liabilities. (v) Infrastructural expenses incorrectly booked to Agent Commission Recoverable ₹4.75 crore, with corresponding understatement of Current Liabilities. (vi) Premium on Rastriya Swastha Bima Yojana (RSBY) booked in excess ₹0.83 crore, with corresponding overstatement of Current Assets. <p>(B) Balance Sheet Application of Funds-Fixed Assets (Schedule-10) ₹83.60 crore</p> <p>The above does not include ₹29.33 crore in respect of Intangible assets (Software) which should have been classified under 'Fixed Assets-Intangibles' instead of 'Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)' required under IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulation, 2002. This resulted in understatement of Fixed Assets and overstatement of Miscellaneous Expenditure by the same amount.</p> <p style="text-align: center;">For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India</p> <p style="text-align: center;"> (Saurav Kumar Jaipuriyar) Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board - II, Kolkata</p> <p>Kolkata, Dated: 19.07.2011</p>	<p>Reply to item nos. (i) & (ii)</p> <p>The Actuarial valuation of IBNR provision as at 31.3.2011 for claims incurred but not reported including claims incurred but not enough reported (IBNER) will take care of the required level of provisions as the same is made on the basis of actuarial principles. The required additional provision will be made in the current year 2011-12.</p> <p>Item nos. (iii), (iv) & (v) Required adjustments/provisions will be made in the current year i.e. 2011-12.</p> <p>(vi) The provisional entry will be reversed and correct amount to be provided for in the current year 2011-12.</p> <p>Schedule 10 (Fixed Assets) and Schedule 15 (Miscellaneous Expenditure) of the Balance Sheet are to be read with Note no. 13(b) of Schedule-17 (Note Forming Part of the Accounts) wherein information about the intangible asset (software) is given. Disclosure in the desired format will be carried in the current year's account.</p> <p style="text-align: center;">For and on behalf of the Board of Directors</p> <p style="text-align: center;"> (N .S. R. Chandraprasad) Chairman-cum-Managing Director</p> <p>Kolkata, Dated: 19.09.2011</p>

पंजीकरण सं.58 दिनांक 28 फरवरी 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2010-2011 (₹ '000)	2009-2010 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	4,268,144	3,533,516
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		831,408	593,683
3 विनिमय लाभ		-	-
4 ब्याज, लाभश एवं किराया - सकल		485,427	419,888
योग (क)		5,584,979	4,547,087
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	2,417,590	2,028,783
2 कमीशन	3	142,096	121,976
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	1,442,372	1,218,333
4 विनिमय हानि		10,576	13,396
योग (ख)		4,012,634	3,382,488
अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क-ख)		1,572,345	1,164,599
विनियोजन			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		1,572,345	1,164,599
योग (ग)		1,572,345	1,164,599

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए यह अग्नि बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि अग्नि बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार अग्नि बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद
जितेन्द्र कुमार मैहन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
निदेशक

डॉ बी एस कुण्डू
भागीदार

जी. मुखोपाध्याय
भागीदार

भास्कर सेन
कुलदीप सिंह
ए. वी. गिरिजा कुमार
रीना माडिया

निदेशक
निदेशक
निदेशक
उप कम्पनी सचिव

सदस्यता संख्या 051221

सदस्यता संख्या 010534

कोलकाता 26 मई, 2011

Registration no. 58 dated 28th February, 2011

Fire Revenue Account for the year ended 31st March, 2011

Particulars	Schedule	2010-2011 (₹ '000)	2009-2010 (₹ '000)
1 Premiums earned (Net)	1	4,268,144	3,533,516
2 Profit on sale/redemption of Investments (Net)		831,408	593,683
3 Exchange Gain		-	-
4 Interest, Dividend & Rent (Gross)		485,427	419,888
Total (A)		5,584,979	4,547,087
1 Claims Incurred (Net)	2	2,417,590	2,028,783
2 Commission	3	142,096	121,976
3 Operating Expenses related to Insurance Business	4	1,442,372	1,218,333
4 Exchange Loss		10,576	13,396
Total (B)		4,012,634	3,382,488
Operating Profit from Fire Business = (A - B)		1,572,345	1,164,599
APPROPRIATIONS			
Transfer to Shareholders' Account		1,572,345	1,164,599
Total (C)		1,572,345	1,164,599

This is the Fire Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2011 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses

in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1

For and on behalf of the Board of Directors

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

N. SARKAR & CO.
Chartered Accountants

(Dr. B. S. Kundu)
Partner
Membership No. 051221

(G. Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 010534

N. S. R. Chandraprasad
Jitendar Kumar Mehan
Bhaskar Sen
Kuldip Singh
A. V. Girija Kumar
Rina Madia

Chairman-cum-Managing Director
Director
Director
Director
Director
Dy. Company Secretary

Kolkata, the 26th day of May 2011

पंजीकरण सं.58 दिनांक 28 फरवरी 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2010-2011 (₹ '000)	2009-2010 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	1,423,358	1,302,244
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		327,396	264,343
3 विनिमय लाभ		-	-
4 ब्याज, लाभश एवं किराया - सकल		191,154	186,959
योग (क)		1,941,908	1,753,546
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	1,126,630	475,161
2 कमीशन	3	119,037	109,605
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	515,375	450,416
4 विनिमय हानि		6,127	8,218
योग (ख)		1,767,169	1,043,400
अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क-ख)		174,739	710,146
विनियोजन			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		174,739	710,146
योग (ग)		174,739	710,146

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए यह मरीन बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मरीन बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार मरीन बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद
जितेन्द्र कुमार मैहन
भास्कर सेन
कुलदीप सिंह
ए. वी. गिरिजा कुमार
रीना माडिया

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
निदेशक
निदेशक
निदेशक
निदेशक
उप कम्पनी सचिव

डॉ बी एस कुण्डू
भागीदार

जी. मुखोपाध्याय
भागीदार

सदस्यता संख्या 051221

सदस्यता संख्या 010534

कोलकाता 26 मई, 2011

Registration no. 58 dated 28th February, 2011

Marine Revenue Account for the year ended 31st March, 2011

Particulars	Schedule	2010-2011 (₹ '000)	2009-2010 (₹ '000)
1 Premiums earned (Net)	1	1,423,358	1,302,244
2 Profit on sale/redemption of Investments(Net)		327,396	264,343
3 Exchange Gain		-	-
4 Interest, Dividend & Rent (Gross)		191,154	186,959
TOTAL (A)		1,941,908	1,753,546
1 Claims Incurred (Net)	2	1,126,630	475,161
2 Commission	3	119,037	109,605
3 Operating Expenses related to Insurance Business	4	515,375	450,416
4 Exchange Loss		6,127	8,218
TOTAL (B)		1,767,169	1,043,400
Operating Profit from Marine Business = (A - B)		174,739	710,146
APPROPRIATIONS			
Transfer to Shareholders' Account		174,739	710,146
TOTAL (C)		174,739	710,146

This is the Marine Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2011 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as

expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

For and on behalf of the Board of Directors

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

N. SARKAR & CO.
Chartered Accountants

(Dr. B. S. Kundu)
Partner
Membership No. 051221

(G. Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 010534

N. S. R. Chandraprasad
Jitendar Kumar Mehan
Bhaskar Sen
Kuldip Singh
A. V. Girija Kumar
Rina Madia

Chairman-cum-Managing Director
Director
Director
Director
Director
Dy. Company Secretary

Kolkata, the 26th day of May 2011

पंजीकरण सं.58 दिनांक 28 फरवरी 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा आय लेखा

विवरण	अनुसूची	2010-2011 (₹ '000)	2009-2010 (₹ '000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	41,947,995	33,322,115
2 निवेशों की बिक्री/पुनर्विमोचन पर लाभ (शुद्ध)		7,992,934	5,524,106
3 विनिमय लाभ		-	-
4 ब्याज, लाभश एवं किराया - सकल		4,666,758	3,906,973
योग (क)		54,607,687	42,753,194
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	42,688,546	29,949,671
2 कमीशन	3	2,293,290	2,082,509
3 बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	4	12,516,721	10,519,021
3A मोटर व्यवसाय से संबंधित प्रशासनिक व्यय		1,548,611	808,145
4 विनिमय हानि		16,573	59,618
योग (ख)		59,063,741	43,418,964
अग्रिम व्यवसाय से प्रचालन लाभ - (क-ख)		4,456,054	-665,770
विनियोजन			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण		-4,456,054	-665,770
योग (ग)		-4,456,054	-665,770

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए यह विविध बीमा आय लेखा इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार उक्त आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी (2) की अपेक्षानुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में कहीं भी किए गए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी प्रबंधन खर्च लेखांकन नीति सं.7.1 के अनुसार विविध बीमा आय लेखे में खर्च के रूप में पूर्णतः नामे किए गए हैं।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुण्डू
भागीदार

जी. मुखोपाध्याय
भागीदार

सदस्यता संख्या 051221

सदस्यता संख्या 010534

कोलकाता 26 मई, 2011

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद
जितेन्द्र कुमार मैहन
भास्कर सेन
कुलदीप सिंह
ए. वी. गिरिजा कुमार
रीना माडिया

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
निदेशक
निदेशक
निदेशक
निदेशक
उप कम्पनी सचिव

Registration no. 58 dated 28th February, 2011

Miscellaneous Revenue Account for the year ended 31st March, 2011

Particulars	Schedule	2010-2011 (₹ '000)	2009-2010 (₹ '000)
1 Premiums earned (Net)	1	41,947,995	33,322,115
2 Profit on sale/redemption of Investments(Net)		7,992,934	5,524,106
3 Exchange Gain		-	-
4 Interest, Dividend & Rent (Gross)		4,666,758	3,906,973
TOTAL (A)		54,607,687	42,753,194
1 Claims Incurred (Net)	2	42,688,546	29,949,671
2 Commission	3	2,293,290	2,082,509
3 Operating Expenses related to Insurance Business	4	12,516,721	10,519,021
3A Administrative Expenses Related to Motor Business		1,548,611	808,145
4 Exchange Loss		16,573	59,618
TOTAL (B)		59,063,741	43,418,964
Operating Profit from Miscellaneous Business = (A - B)		-4,456,054	-665,770
APPROPRIATIONS			
Transfer to Shareholders' Account		-4,456,054	-665,770
TOTAL (C)		-4,456,054	-665,770

This is the Miscellaneous Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2011 referred to in our report of even date.

We hereby certify that to the best of our knowledge and information, all expenses of management wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the above Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting

Policy No.7.1.

As required by Section 40C(2) of the Insurance Act, 1938, we hereby certify that all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the Miscellaneous Insurance Revenue Account as expenses in accordance with the Accounting Policy No.7.1.

For and on behalf of the Board of Directors

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

N. SARKAR & CO.
Chartered Accountants

N. S. R. Chandraprasad
Jitendar Kumar Mehan

Chairman-cum-Managing Director
Director

Bhaskar Sen

Director

Kuldip Singh

Director

A. V. Girija Kumar

Director

Rina Madia

Dy. Company Secretary

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

(G. Mukhopadhyay)
Partner

Membership No. 051221

Membership No. 010534

Kolkata, the 26th day of May 2011

पंजीकरण सं.58 दिनांक 28 फरवरी 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

विवरण	2010 – 2011 (₹ '000)	2009 – 2010 (₹ '000)
1 प्रचालन लाभ/(हानि)	-2,708,970	1,208,975
अ) अग्नि	1,572,345	1,164,599
ब) समुद्री बीमा	174,739	710,146
स) विविध बीमा	-4,456,054	-665,770
2 निवेशों से आय	3,706,324	2,588,527
अ) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल	1,366,267	1,072,338
ब) निवेशों की विक्री/पुनर्विमोचन से लाभ	2,352,868	1,516,189
स) घटाएं: निवेशों की विक्री/पुनर्विमोचन से हानि	12,811	-
3 अन्य आय	71,633	177,202
अ) अन्य सम्पत्ति की बिक्री से लाभ	3,241	8,331
ब) विविध आय	68,392	161,589
स) विनिमय लाभ	-	7,282
योग (क)	1,068,987	3,974,704
4 प्रावधान (कराधान के अलावा)	225,335	1,130,000
अ) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए	-41,959	-19,775
ब) संदिग्ध ऋणों के लिए	267,294	1,149,775
5 अन्य व्यय	89,679	158,785
अ) बीमा व्यवसाय से बसंधित व्ययों के अलावा व्यय	31,784	27,507
ब) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	48,250	46,208
स) निवृत्ति के मूल्यह्रास के संबंध में बढ़े खाते गयी राशि	4,559	16,774
द) विनियम हानि	4,153	-
य) बढ़े खाते परिसम्पत्ति	933	2
र) प्रदत्त विदेशी आयकर	-	194
ल) निष्पादन संबंध प्रोत्साहन	-	68,100
योग (ख)	315,014	1,288,785

Registration no. 58 dated 28th February, 2011

Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2011

Particulars	2010 – 2011 (₹ '000)	2009 – 2010 (₹ '000)
1 OPERATING PROFIT/(LOSS)	-2,708,970	1,208,975
(a) Fire Insurance	1,572,345	1,164,599
(b) Marine Insurance	174,739	710,146
(c) Miscellaneous Insurance	-4,456,054	-665,770
2 INCOME FROM INVESTMENTS	3,706,324	2,588,527
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	1,366,267	1,072,338
(b) Profit on sale/redemption of investments	2,352,868	1,516,189
Less: Loss on sale/redemption of investments	12,811	-
3 OTHER INCOME	71,633	177,202
a) Profit on sale of other Asset	3,241	8,331
b) Miscellaneous Income	68,392	161,589
c) Exchange Gain	-	7,282
TOTAL (A)	1,068,987	3,974,704
4 PROVISIONS (Other than taxation)	225,335	1,130,000
(a) For diminution in the value of investments	-41,959	-19,775
(b) For doubtful debts	267,294	1,149,775
5 OTHER EXPENSES	89,679	158,785
(a) Expenses other than those related to Insurance Business	31,784	27,507
(b) Amortisation of Premium on Investments	48,250	46,208
(c) Amount written off in respect of depreciated Investments	4,559	16,774
(d) Exchange Loss	4,153	-
(e) Assets written off	933	2
(f) Foreign Income tax paid	-	194
(g) Performance Linked Incentive	-	68,100
TOTAL (B)	315,014	1,288,785

विवरण	2010 – 2011 (₹ '000)	2009 – 2010 (₹ '000)
कर पूर्व लाभ (क-ख)	753,973	2,685,919
कराधान के लिए प्रावधान :		
चालू कर	7,500	487,000
आस्थगित कर	-	-
पूर्व वर्षों का कराधान समायोजन	2,401	49,709
कर पश्चात लाभ	748,874	2,248,628
निनियोजन		
(अ) प्रस्तावित लाभांश	-	439,784
(ब) लाभांश संवितरण कर	-	74,741
(स) सामान्य आरक्षित में अन्तरित	-	1,734,103
(द) असमाप्त जोखिमों के लिए कंटीजेंसी में अंतरण	748,874	-
	748,874	2,248,628

यह लाभ तथा हानि लेखा इसी दिनांक को हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार	एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद जितेन्द्र कुमार मैहन भास्कर सेन कुलदीप सिंह ए. वी. गिरिजा कुमार रीना माडिया	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक उप कम्पनी सचिव
डॉ बी एस कुण्डू भागीदार सदस्यता संख्या 051221	जी. मुखोपाध्याय भागीदार सदस्यता संख्या 010534		

कोलकाता 26 मई, 2011

Particulars	2010 – 2011 (₹ '000)	2009 – 2010 (₹ '000)
PROFIT BEFORE TAX (A - B)	753,973	2,685,919
Provision for Taxation :		
Current Tax	7,500	487,000
Deferred Tax	-	-
Adjustment of Taxation for earlier years	2,401	49,709
PROFIT AFTER TAX	748,874	2,248,628
APPROPRIATIONS		
(a) Proposed dividend	-	439,784
(b) Dividend distribution tax	-	74,741
(c) Transfer to General Reserve	-	1,734,103
(d) Transfer to Contingency Reserve for Unexpired Risk	748,874	-
	748,874	2,248,628

This is the Profit and Loss Account referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

N. SARKAR & CO.
Chartered Accountants

(Dr. B. S. Kundu)
Partner
Membership No. 051221

(G. Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 010534

N. S. R. Chandraprasad
Jitendar Kumar Mehan
Bhaskar Sen
Kuldip Singh
A. V. Girija Kumar
Rina Madia

Chairman-cum-Managing Director
Director
Director
Director
Director
Dy. Company Secretary

Kolkata, the 26th day of May 2011

पंजीकरण सं.58 दिनांक 28 फरवरी 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	2010 – 2011 (₹ '000)	2009 – 2010 (₹ '000)
निधियों को स्रोत			
शेयर पूंजी	5	1,000,000	1,000,000
आरक्षित तथा आधिक्य	6	15,577,864	14,828,990
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा		81,408,106	80,551,563
उधार	7	-	-
योग		97,985,970	96,380,553
निधियों के अनुप्रयोग			
निवेश	8	161,197,728	141,785,372
ऋण	9	3,423,676	3,597,706
स्थायी परिसम्पत्तियां	10	836,041	1,098,996
आस्थगित कर सम्पत्ति		-	-
वर्तमान परिसम्पत्तियां			
नगद तथा बैंक अतिशेष	11	7,896,348	4,416,416
अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां	12	20,298,454	29,106,218
उप-योग (क)		28,194,802	33,522,634
वर्तमान देयताएं	13	67,280,862	61,147,911
प्रावधान	14	29,002,400	23,034,038
उप-योग (ख)		96,283,262	84,181,949
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियां (ग)=(क-ख)		-68,088,460	-50,659,315
विविध	15	616,985	557,794
(बट्टे खाते डाले गए अथवा समायोजित नहीं की सीमा तक) योग		97,985,970	96,380,553
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16		
लेखा पर टिप्पणियां	17		

यह-तुलन-पत्र इसी तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार है।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद
जितेन्द्र कुमार मैहन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
निदेशक

डॉ बी एस कुण्डू
भागीदार

जी. मुखोपाध्याय
भागीदार

भास्कर सेन
कुलदीप सिंह
ए. वी. गिरिजा कुमार
रीना माडिया

निदेशक
निदेशक
निदेशक
उप कम्पनी सचिव

सदस्यता संख्या 051221

सदस्यता संख्या 010534

कोलकाता 26 मई, 2011

Registration no. 58 dated 28th February, 2011

Balance Sheet as at 31st March, 2011

Particulars	Schedule	2010 – 2011 (₹ '000)	2009 – 2010 (₹ '000)
SOURCES OF FUNDS			
SHARE CAPITAL	5	1,000,000	1,000,000
RESERVES AND SURPLUS	6	15,577,864	14,828,990
FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		81,408,106	80,551,563
BORROWINGS	7	-	-
TOTAL		97,985,970	96,380,553
APPLICATION OF FUNDS			
INVESTMENTS	8	161,197,728	141,785,372
LOANS	9	3,423,676	3,597,706
FIXED ASSETS	10	836,041	1,098,996
DEFERRED TAX ASSET		-	-
CURRENT ASSETS :			
Cash and Bank Balances	11	7,896,348	4,416,416
Advances and Other Assets	12	20,298,454	29,106,218
Sub-Total (A)		28,194,802	33,522,634
CURRENT LIABILITIES	13	67,280,862	61,147,911
PROVISIONS	14	29,002,400	23,034,038
Sub-Total (B)		96,283,262	84,181,949
NET CURRENT ASSETS (C) = (A- B)		-68,088,460	-50,659,315
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	616,985	557,794
TOTAL		97,985,970	96,380,553
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
NOTES ON ACCOUNTS	17		

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

For and on behalf of the Board of Directors

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

N. SARKAR & CO.
Chartered Accountants

N. S. R. Chandraprasad
Jitendar Kumar Mehan

Chairman-cum-Managing Director
Director

Bhaskar Sen

Director

Kuldip Singh

Director

A. V. Girija Kumar

Director

Rina Madia

Dy. Company Secretary

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

(G. Mukhopadhyay)
Partner

Membership No. 051221

Membership No. 010534

Kolkata, the 26th day of May 2011

31 मार्च 2011 को नकदी प्रवाह विवरण

प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह

नकदी आवक :

प्रीमियम सेवा कर सहित	41675147	30619996
बैंक गारंटी/जमा प्रीमियम रसीद	14413297	9248817
विविध देनदारों से वसूली	149431	570673
विविध प्राप्तियां (हस्तांतरण, डुप्लीकेट, पुराने मदों की बिक्री, पृष्ठांकन फीस आदि)	40619	35027
ऋण एवं अग्रिम पर नकद सवूली ब्याज सहित (गृह निर्माण ऋण के अतिरिक्त)	414985	448502
अन्य नकदी संग्रहण, यदि कोई हो	57724632	24394251

कुल नकदी आवक

2010-11 (₹ '000)	2009-10 (₹ '000)
41675147	30619996
14413297	9248817
149431	570673
40619	35027
414985	448502
57724632	24394251
114418111	65317266

नकदी जावक :

दावों का भुगतान	19311877	16120563
कमीशन एवं ब्रोकरेज का सेवा कर सहित भुगतान	3228310	2624064
प्रबन्धन व्यय एवं व्ययों के लिए अग्रिम	3226135	4253786
वापसी/प्रीमियम आधिक्य का भुगतान	598450	591120
वर्तमान एवं कटौतियों का भुगतान (वृत्तिक कर, आय कर आदि)	2941123	2028380
ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान (गृह निर्माण ऋण के अतिरिक्त)	701506	441025
सेवा समाप्ति पर देय भुगतान	344235	107024
अन्य भुगतान, यदि कोई हो	79152629	44716040

कुल नकदी जावक

19311877	16120563
3228310	2624064
3226135	4253786
598450	591120
2941123	2028380
701506	441025
344235	107024
79152629	44716040
109504265	70882002

(अ) प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह

4913846	-5564736
---------	----------

Cash Flow Statement as at 31st March, 2011

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

INFLOW :

	2010-11 (₹ '000)	2009-10 (₹ '000)
Premium including Service Tax	41675147	30619996
Bank Guarantee/Deposit Premium Receipts	14413297	9248817
Sundry Debtors Recovery	149431	570673
Misc Receipts (Transfer, Duplicate, Sale of old items, Endorsement fees etc.)	40619	35027
Cash recovery on loans & advances including interest (excepting HB Loan)	414985	448502
Other Cash collection, if any	57724632	24394251
Total Inflow	114418111	65317266

OUTFLOW:

Claims paid	19311877	16120563
Commission & Brokerage paid including S.Tax	3228310	2624064
Mgt. Expenses & Advances for expenses	3226135	4253786
Refund/ Excess premium payments	598450	591120
Payment of Salary and deductions (Professional Tax, Income Tax etc.)	2941123	2028380
Loans and advances paid (except HBL)	701506	441025
Payment of Terminal dues	344235	107024
Other payments, if any	79152629	44716040
Total Outflow	109504265	70882002

(A) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

4913846 –5564736

प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह

	2010-11 (₹ '000)	2009-10 (₹ '000)
नकदी आवक :		
परिसंपत्तियों की बिक्री	554883624	450152612
भवन निर्माण ऋण की वसूली	71561	54088
भवन निर्माण ऋण पर ब्याज	11880	9684
बैंक ब्याज	5947106	4695685
कुल नकदी आवक	560914171	454912069
नकदी जावक :		
परिसंपत्तियों की खरीद	561739915	448816397
भवन निर्माण ऋण का संवितरण	93645	51432
कुल नकदी जवाक	561833560	448867829
(ब) निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	919389	6044240
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		
प्रदत्त लाभांश	439784	-
लाभांश पर आय कर	74741	-
(स) वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	514525	-
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि	3479932	479504
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	4416416	3936912
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	7896348	4416416

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद
जितेन्द्र कुमार मैहन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
निदेशक

डॉ बी एस कुण्डू
भागीदार

जी. मुखोपाध्याय
भागीदार

भास्कर सेन
कुलदीप सिंह

निदेशक
निदेशक

सदस्यता संख्या 051221

सदस्यता संख्या 010534

ए. वी. गिरिजा कुमार
रीना माडिया

निदेशक
उप कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 मई, 2011

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

	2010-11 (₹ '000)	2009-10 (₹ '000)
INFLOW :		
Sale of Assets	554883624	450152612
Recovery of House Building Loan	71561	54088
Interest on House Building Loan	11880	9684
Bank Interest	5947106	4695685
Total Inflow	560914171	454912069
OUTFLOW :		
Purchase of Assets	561739915	448816397
Disbursement of House Building Loan	93645	51432
Total Outflow	561833560	448867829
(B) NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	919389	6044240
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividend Paid	439784	-
Income Tax on Dividend	74741	-
(C) NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES	514525	-
Net Increase in Cash & Cash equivalent (A+B+C)	3479932	479504
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year	4416416	3936912
Cash & Cash equivalents at the end of the year	7896348	4416416

For and on behalf of the Board of Directors

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

N. SARKAR & CO.
Chartered Accountants

N. S. R. Chandraprasad
Jitendar Kumar Mehan

Chairman-cum-Managing Director

Bhaskar Sen

Director

Kuldip Singh

Director

A. V. Girija Kumar

Director

Rina Madia

Dy. Company Secretary

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

(G. Mukhopadhyay)
Partner

Membership No. 051221

Membership No. 010534

Kolkata, the 26th day of May 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	मरीन कार्गो		मरीन कार्गो के अलावा		कुल मरीन	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	1734196	1456296	1342209	971255	3076405	2427551
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	15140	19289	177252	91115	192392	110404
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	395587	307587	1181462	899885	1577049	1207472
शुद्ध प्रीमियम	1353749	1167998	337999	162485	1691748	1330483
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-92877	-31121	-175513	2881	-268390	-28240
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1260872	1136877	162486	165366	1423358	1302243
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-सीधे	868178	853779	970627	585004	1838805	1438783
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा	4756	11936	158019	91945	162775	103881
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा	189602	149748	904201	647145	1093803	796893
शुद्ध प्रदत्त दावे	683332	715967	224445	29804	907777	745771
जोड़े: वर्ष के अंत में बकाया दावे	1102065	1007132	582847	458927	1684912	1466059
घटाये: आरम्भ में बकाया दावे	1007132	1344245	458927	392424	1466059	1736669
कुल उपगत दावे	778265	378854	348365	96307	1126630	475161
कमीशन						
प्रत्यक्ष प्रदत्त कमीशन	195016	165906	15993	7643	211009	173549
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	1882	4100	32009	17081	33891	21181
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा	64508	50942	61355	34183	125863	85125
शुद्ध कमीशन	132390	119064	-13353	-9459	119037	109605

Segmental Report for the year ended 31st March, 2011

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MARINE CARGO		OTHER THAN MARINE CARGO		TOTAL MARINE	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	1734196	1456296	1342209	971255	3076405	2427551
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	15140	19289	177252	91115	192392	110404
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	395587	307587	1181462	899885	1577049	1207472
NET PREMIUM	1353749	1167998	337999	162485	1691748	1330483
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-92877	-31121	-175513	2881	-268390	-28240
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	1260872	1136877	162486	165366	1423358	1302243
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	868178	853779	970627	585004	1838805	1438783
ADD : R/I ACCEPTANCE	4756	11936	158019	91945	162775	103881
LESS : R/I CEDED	189602	149748	904201	647145	1093803	796893
NET CLAIMS PAID	683332	715967	224445	29804	907777	745771
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	1102065	1007132	582847	458927	1684912	1466059
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	1007132	1344245	458927	392424	1466059	1736669
TOTAL CLAIMS INCURRED	778265	378854	348365	96307	1126630	475161
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	195016	165906	15993	7643	211009	173549
ADD: R/I ACCEPTANCE	1882	4100	32009	17081	33891	21181
LESS: R/I CEDED	64508	50942	61355	34183	125863	85125
NET COMMISSION	132390	119064	-13353	-9459	119037	109605

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	मोटर निजी क्षति		मोटर तृतीय पक्ष		कुल मोटर	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	17747441	13474920	10002577	8381541	27750018	21856461
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2315	-7716	4636590	3846372	4638905	3838656
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1828602	1396324	5024724	4379084	6853326	5775408
शुद्ध प्रीमियम	15921154	12070880	9614443	7848829	25535597	19919709
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-1925136	-65714	-882807	-178735	-2807943	-244449
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	13996018	12005166	8731636	7670094	22727654	19675260
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-सीधे	9752120	9622170	11156446	9767349	20908566	19389519
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	7331	11788	2415214	1103724	2422545	1115512
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	992754	1031610	3807990	2639748	4800744	3671358
शुद्ध प्रदत्त दावे	8766697	8602348	9763670	8231325	18530367	16833673
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	3641592	2684544	32346576	25838660	35988168	28523204
घटायें: आरम्भ में बकाया दावे	2684544	3435200	25838660	24907715	28523204	28342915
कुल उपगत दावे	9723745	7851692	16271586	9162270	25995331	17013962
कमीशन						
प्रदत्त कमीशन	1354232	1308134	-	38	1354232	1308172
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	810	1871	2278	-	3088	1871
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	267453	270183	-51	88791	267402	358974
शुद्ध कमीशन	1087589	1039822	2329	-88753	1089918	951069

Segmental Report for the year ended 31st March, 2011

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MOTOR OWN DAMAGE		MOTOR THIRD PARTY		TOTAL MOTOR	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	17747441	13474920	10002577	8381541	27750018	21856461
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	2315	-7716	4636590	3846372	4638905	3838656
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	1828602	1396324	5024724	4379084	6853326	5775408
NET PREMIUM	15921154	12070880	9614443	7848829	25535597	19919709
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-1925136	-65714	-882807	-178735	-2807943	-244449
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	13996018	12005166	8731636	7670094	22727654	19675260
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	9752120	9622170	11156446	9767349	20908566	19389519
ADD : R/I ACCEPTANCE	7331	11788	2415214	1103724	2422545	1115512
LESS : R/I CEDED	992754	1031610	3807990	2639748	4800744	3671358
NET CLAIMS PAID	8766697	8602348	9763670	8231325	18530367	16833673
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	3641592	2684544	32346576	25838660	35988168	28523204
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	2684544	3435200	25838660	24907715	28523204	28342915
TOTAL CLAIMS INCURRED	9723745	7851692	16271586	9162270	25995331	17013962
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	1354232	1308134	-	38	1354232	1308172
ADD: R/I ACCEPTANCE	810	1871	2278	-	3088	1871
LESS: R/I CEDED	267453	270183	-51	88791	267402	358974
NET COMMISSION	1087589	1039822	2329	-88753	1089918	951069

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	नियोक्ता की देयता		जन देयता		इंजिनियरिंग	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	512464	375613	280915	223215	2482461	1884085
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	-	-	-	-	319905	312105
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	51147	37492	28083	22321	1938856	1377653
शुद्ध प्रीमियम	461317	338121	252832	200894	863510	818537
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-61598	-22532	-25969	-14406	-22487	-48333
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	399719	315589	226863	186488	841023	770204
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-सीधे	99915	94943	19899	10507	667123	554844
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	-	-	-	22	26315	-8495
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	9410	24495	1990	1051	476680	270800
शुद्ध प्रदत्त दावे	90505	70448	17909	9478	216758	275549
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	287032	253274	172554	169289	1129769	921768
घटायें : आरम्भ में बकाया दावे	253274	173886	169289	129565	921768	932514
कुल उपगत दावे	124313	149836	21174	49202	424759	264803
कमीशन						
प्रत्यक्ष प्रदत्त कमीशन	54349	36549	32182	22081	167832	106934
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	-	-	-	-	92648	48887
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	5115	7497	2808	5134	692444	505580
शुद्ध कमीशन	49234	29052	29374	16947	-431964	-349759

Segmental Report for the year ended 31st March, 2011

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	EMPLOYERS' LIABILITY		PUBLIC LIABILITY		ENGINEERING	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	512464	375613	280915	223215	2482461	1884085
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	-	-	-	-	319905	312105
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	51147	37492	28083	22321	1938856	1377653
NET PREMIUM	461317	338121	252832	200894	863510	818537
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-61598	-22532	-25969	-14406	-22487	-48333
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	399719	315589	226863	186488	841023	770204
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	99915	94943	19899	10507	667123	554844
ADD : R/I ACCEPTANCE	-	-	-	22	26315	-8495
LESS : R/I CEDED	9410	24495	1990	1051	476680	270800
NET CLAIMS PAID	90505	70448	17909	9478	216758	275549
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	287032	253274	172554	169289	1129769	921768
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	253274	173886	169289	129565	921768	932514
TOTAL CLAIMS INCURRED	124313	149836	21174	49202	424759	264803
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	54349	36549	32182	22081	167832	106934
ADD: R/I ACCEPTANCE	-	-	-	-	92648	48887
LESS: R/I CEDED	5115	7497	2808	5134	692444	505580
NET COMMISSION	49234	29052	29374	16947	-431964	-349759

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	उद्भूयन		व्यक्तिगत दुर्घटना		स्वास्थ्य बीमा	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)						
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	295542	389467	1312255	1034685	16813954	10788249
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	23212	6262	-	-	-	-
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	294759	399841	131245	103603	1681291	1078742
शुद्ध प्रीमियम	23995	-4112	1181010	931082	15132663	9709507
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-14054	17978	-124964	-94254	-1821118	-816826
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	9941	13866	1056046	836828	13311545	8892681
उपगत दावे (शुद्ध)						
उपगत दावे-सीधे	122267	296890	1117712	980234	13633479	10123111
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	11455	2186	-	-	-	-
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	150252	278996	111759	98020	1363306	1012247
शुद्ध प्रदत्त दावे	-16530	20080	1005953	882214	12270173	9110864
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	99847	144139	1376367	1697340	4267378	2491084
घटायें: आरम्भ में बकाया दावे	144139	65053	1697340	1073552	2491084	1950830
कुल उपगत दावे	-60822	99166	684980	1506002	14046467	9651118
कमीशन						
प्रत्यक्ष प्रदत्त कमीशन	2162	222	167940	118654	1499190	1133819
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	2790	614	-	-	-	-
घटायें: अर्पित पुनर्बीमा	5641	10520	13124	15532	158248	161811
शुद्ध कमीशन	-689	-9684	154816	103122	1340942	972008

Segmental Report for the year ended 31st March, 2011

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	AVIATION		PERSONAL ACCIDENT		HEALTH INSURANCE	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
PREMIUM EARNED (NET)						
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	295542	389467	1312255	1034685	16813954	10788249
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	23212	6262	-	-	-	-
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	294759	399841	131245	103603	1681291	1078742
NET PREMIUM	23995	-4112	1181010	931082	15132663	9709507
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-14054	17978	-124964	-94254	-1821118	-816826
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	9941	13866	1056046	836828	13311545	8892681
CLAIMS INCURRED (NET)						
CLAIMS PAID – DIRECT	122267	296890	1117712	980234	13633479	10123111
ADD : R/I ACCEPTANCE	11455	2186	-	-	-	-
LESS : R/I CEDED	150252	278996	111759	98020	1363306	1012247
NET CLAIMS PAID	-16530	20080	1005953	882214	12270173	9110864
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	99847	144139	1376367	1697340	4267378	2491084
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	144139	65053	1697340	1073552	2491084	1950830
TOTAL CLAIMS INCURRED	-60822	99166	684980	1506002	14046467	9651118
COMMISSION						
COMMISSION PAID – DIRECT	2162	222	167940	118654	1499190	1133819
ADD: R/I ACCEPTANCE	2790	614	-	-	-	-
LESS: R/I CEDED	5641	10520	13124	15532	158248	161811
NET COMMISSION	-689	-9684	154816	103122	1340942	972008

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए विभक्त रिपोर्ट

(₹ हजार में)

विवरण	विविध अन्य		विविध योग	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)				
सीधे बीमित व्यवसाय से प्रीमियम	4155163	3150434	53602772	39702209
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	590169	275367	5572191	4432390
घटाये: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	759091	661632	11737798	9456692
शुद्ध प्रीमियम	3986241	2764169	47437165	34677907
असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित में परिवर्तन हेतु समायोजन	-611037	-132970	-5489170	-1355792
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	3375204	2631199	41947995	33322115
उपगत दावे (शुद्ध)				
उपगत दावे - सीधे	2079709	1661422	38648670	33111470
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा	211120	191939	2671435	1301164
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	455425	466898	7369566	5823865
शुद्ध प्रदत्त दावे	1835404	1386463	33950539	28588769
जोड़े : वर्ष के अंत में बकाया दावे	2095604	2478664	45416769	36678762
घटाये:आरम्भ में बकाया दावे	2478664	2649545	36678762	35317860
कुल उपगत दावे	1452344	1215582	42688546	29949671
कमीशन				
प्रत्यक्ष प्रदत्त कमीशन	100053	414361	3377940	3140792
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	128073	60372	226599	111744
घटायें : अर्पित पुनर्बीमा	166467	104979	1311249	1170027
शुद्ध कमीशन	61659	369754	2293290	2082509

Segmental Report for the year ended 31st March, 2011

(₹ in Thousand)

PARTICULARS	MISCELLANEOUS OTHERS		MISCELLANEOUS TOTAL	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
PREMIUM EARNED (NET)				
PREMIUM FROM DIRECT BUSINESS WRITTEN	4155163	3150434	53602772	39702209
ADD: PREMIUM ON R/I ACCEPTANCE	590169	275367	5572191	4432390
LESS : PREMIUM ON R/I CEDED	759091	661632	11737798	9456692
NET PREMIUM	3986241	2764169	47437165	34677907
ADJUSTMENT FOR CHANGE IN RESERVE FOR UNEXPIRED RISK	-611037	-132970	-5489170	-1355792
TOTAL PREMIUM EARNED (NET)	3375204	2631199	41947995	33322115
CLAIMS INCURRED (NET)				
CLAIMS PAID – DIRECT	2079709	1661422	38648670	33111470
ADD : R/I ACCEPTANCE	211120	191939	2671435	1301164
LESS : R/I CEDED	455425	466898	7369566	5823865
NET CLAIMS PAID	1835404	1386463	33950539	28588769
ADD: CLAIMS O/S AT THE END OF YEAR	2095604	2478664	45416769	36678762
LESS: CLAIMS OUTSTANDING AT THE BEGINING	2478664	2649545	36678762	35317860
TOTAL CLAIMS INCURRED	1452344	1215582	42688546	29949671
COMMISSION				
COMMISSION PAID – DIRECT	100053	414361	3377940	3140792
ADD: R/I ACCEPTANCE	128073	60372	226599	111744
LESS: R/I CEDED	166467	104979	1311249	1170027
NET COMMISSION	61659	369754	2293290	2082509

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 अग्नि

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	5,772,500	4,330,129
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,081,780	811,589
घटाएं: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	2,086,142	1,373,568
शुद्ध प्रीमियम	4,768,138	3,768,150
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(499,994)	(234,634)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	4,268,144	3,533,516

अनुसूची - 2 अग्नि

उपगत दावे (शुद्ध)

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	2,899,500	2,658,299
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	459,594	367,906
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	790,388	868,018
शुद्ध प्रदत्त दावे	2,568,706	2,158,187
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	3,583,586	3,734,702
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	3,734,702	3,864,106
कुल उपगत दावे	2,417,590	2,028,783

अनुसूची - 3 अग्नि

कमीशन

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	345,393	281,578
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	205,029	139,008
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	408,326	298,610
शुद्ध कमीशन	142,096	121,976

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 FIRE

PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2010 - 2011	2009 - 2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
Premium from direct business written	5,772,500	4,330,129
Add: Premium on reinsurance accepted	1,081,780	811,589
Less : Premium on reinsurance ceded	2,086,142	1,373,568
Net Premium	4,768,138	3,768,150
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(499,994)	(234,634)
Total Premium Earned (Net)	4,268,144	3,533,516

SCHEDULE – 2 FIRE

CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2010 - 2011	2009 - 2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
Claims paid		
Direct	2,899,500	2,658,299
Add :Re-insurance accepted	459,594	367,906
Less :Re-insurance ceded	790,388	868,018
Net Claims paid	2,568,706	2,158,187
Add Claims Outstanding at the end of the year	3,583,586	3,734,702
Less Claims Outstanding at the beginning of the year	3,734,702	3,864,106
Total Claims Incurred	2,417,590	2,028,783

SCHEDULE- 3 FIRE

COMMISSION

Particulars	2010 - 2011	2009 - 2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
Commission paid		
Direct	345,393	281,578
Add: Commission on Re-insurance accepted	205,029	139,008
Less: Commission on Re-insurance ceded	408,326	298,610
Net Commission	142,096	121,976

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 समुद्री

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	3,076,405	2,427,551
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	192,392	110,404
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	1,577,049	1,207,472
शुद्ध प्रीमियम	1,691,748	1,330,483
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	(268,390)	(28,239)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1,423,358	1,302,244

अनुसूची - 2 समुद्री

उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	1,838,805	1,438,783
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	162,775	103,881
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	1,093,803	796,893
शुद्ध प्रदत्त दावे	907,777	745,771
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	1,684,912	1,466,059
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	1,466,059	1,736,669
कुल उपगत दावा	1,126,630	475,161

अनुसूची - 3 समुद्री

कमीशन

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	211,009	173,549
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	33,891	21,181
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	125,863	85,125
शुद्ध कमीशन	119,037	109,605

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 MARINE

PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2010 - 2011	2009 - 2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
Premium from direct business written	3,076,405	2,427,551
Add: Premium on reinsurance accepted	192,392	110,404
Less : Premium on reinsurance ceded	1,577,049	1,207,472
Net Premium	1,691,748	1,330,483
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	(268,390)	(28,239)
Total Premium Earned (Net)	1,423,358	1,302,244

SCHEDULE – 2 MARINE

CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2010 - 2011	2009 - 2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
Claims paid		
Direct	1,838,805	1,438,783
Add :Re-insurance accepted	162,775	103,881
Less :Re-insurance ceded	1,093,803	796,893
Net Claims paid	907,777	745,771
Add Claims Outstanding at the end of the year	1,684,912	1,466,059
Less Claims Outstanding at the beginning	1,466,059	1,736,669
Total Claims Incurred	1,126,630	475,161

SCHEDULE- 3 MARINE

COMMISSION

Particulars	2010 - 2011	2009 - 2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
Commission paid		
Direct	211,009	173,549
Add: Commission on Re-insurance accepted	33,891	21,181
Less: Commission on Re-insurance ceded	125,863	85,125
Net Commission	119,037	109,605

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1 विविध

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रत्यक्ष लिखित व्यवसाय से प्रीमियम	53,602,772	39,702,209
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	5,572,191	4,432,390
घटाएं: अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम	11,737,798	9,456,692
शुद्ध प्रीमियम	47,437,165	34,677,907
असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित में परिवर्तन के लिए समायोजन	5,489,170	(1,355,792)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	41,947,995	33,322,115

अनुसूची - 2 विविध

उपगत दावा (शुद्ध)

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रदत्त दावे		
प्रत्यक्ष	38,648,670	33,111,470
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	2,671,435	1,301,164
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा	7,369,566	5,823,865
शुद्ध प्रदत्त दावे	33,950,539	28,588,769
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे	45,416,769	36,678,762
घटाएं : वर्ष के शुरू में बकाया दावे	36,678,762	35,317,860
कुल उपगत दावा	42,688,546	29,949,671

अनुसूची - 3 विविध

कमीशन

विवरण	2010 - 2011 वर्तमान वर्ष (₹ '000)	2009 - 2010 विगत वर्ष (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन		
प्रत्यक्ष	3,377,940	3,140,792
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन	226,599	111,744
घटाएं : अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन	1,311,249	1,170,027
शुद्ध कमीशन	2,293,290	2,082,509

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 1 MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED [NET]

Particulars	2010 - 2011 (₹ '000)	2009 - 2010 (₹ '000)
Premium from direct business written	53,602,772	39,702,209
Add: Premium on reinsurance accepted	5,572,191	4,432,390
Less : Premium on reinsurance ceded	11,737,798	9,456,692
Net Premium	47,437,165	34,677,907
Adjustment for change in reserve for unexpired risks	5,489,170	(1,355,792)
Total Premium Earned (Net)	41,947,995	33,322,115

SCHEDULE – 2 MISCELLANEOUS CLAIMS INCURRED [NET]

Particulars	2010 - 2011 (₹ '000)	2009 - 2010 (₹ '000)
Claims paid		
Direct	38,648,670	33,111,470
Add :Re-insurance accepted	2,671,435	1,301,164
Less :Re-insurance ceded	7,369,566	5,823,865
Net Claims paid	33,950,539	28,588,769
Add Claims Outstanding at the end of the year	45,416,769	36,678,762
Less Claims Outstanding at the beginning	36,678,762	35,317,860
Total Claims Incurred	42,688,546	29,949,671

SCHEDULE- 3 MISCELLANEOUS COMMISSION

Particulars	2010 - 2011 (₹ '000)	2009 - 2010 (₹ '000)
Commission paid		
Direct	3,377,940	3,140,792
Add: Commission on Re-insurance accepted	226,599	111,744
Less: Commission on Re-insurance ceded	1,311,249	1,170,027
Net Commission	2,293,290	2,082,509

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
अनुसूची – 4
बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय

विवरण	2010 – 2011 (₹ '000)	2009 – 2010 (₹ '000)
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं कल्याण सुविधाएं	10,763,763	9,186,036
2. यात्रा, परिवहन तथा वाहन चालन व्यय	346,579	334,415
3. प्रशिक्षण खर्च	16,943	19,771
4. किराया, दर एवं कर	442,309	374,266
5. मरम्मत	33,034	7,140
6. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	185,995	169,189
7. सम्प्रेषण	130,129	118,537
8. विधिक एवं पेशेवर शुल्क	73,243	51,786
9. लेखा परीक्षकों का शुल्क, खर्च आदि		
(क) लेखा परीक्षक के रूप में	19,831	19,455
(ख) निम्नलिखित के सम्बंध में सलाहकार अथवा किसी अन्य रूप में	-	-
(i) कराधान के मामलों में	-	-
(ii) बीमा के मामलों में	-	-
(iii) प्रबन्धन सेवा के मामलों में, एवं	-	-
(ग) किसी अन्य रूप में	-	-
10. विज्ञापन तथा प्रचार	80,490	100,095
11. ब्याज एवं बैंक प्रभार	43,838	46,483
12. अन्य	1,825,320	1,183,616
13. मूल्यहास	512,995	576,981
कुल	14,474,469	12,187,770
निम्न को आबंटित		
अग्नि	1,442,372	1,218,333
समुद्री	515,375	450,416
विविध	12,516,722	10,519,021
योग	14,474,469	12,187,770

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

Particulars	2010 – 2011	2009 – 2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
1. Employees' remuneration & welfare benefits	10,763,763	9,186,036
2. Travel, conveyance and vehicle running expenses	346,579	334,415
3. Training expenses	16,943	19,771
4. Rents, rates & taxes	442,309	374,266
5. Repairs	33,034	7,140
6. Printing & stationery	185,995	169,189
7. Communication	130,129	118,537
8. Legal & professional charges	73,243	51,786
9. Auditors' fees, expenses etc		
(a) as auditor	19,831	19,455
(b) as adviser or in any other capacity, in respect of	-	-
(i) Taxation matters	-	-
(ii) Insurance matters	-	-
(iii) Management services; and	-	-
(c) in any other capacity	-	-
10. Advertisement and publicity	80,490	100,095
11. Interest & Bank Charges	43,838	46,483
12. Others	1,825,320	1,183,616
13. Depreciation	512,995	576,981
TOTAL	14,474,469	12,187,770
Allocated to :-		
Fire	1,442,372	1,218,333
Marine	515,375	450,416
Miscellaneous	12,516,722	10,519,021
TOTAL	14,474,469	12,187,770

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 5

शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1 प्राधिकृत पूंजी 10₹ प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	2,000,000	2,000,000
2 निर्गत अभिदत्त तथा चुकता 10₹ प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (इसमें शामिल है 10₹ प्रति के सामान्य आरक्षित तथा शेयर प्रीमियम के पूंजीकरण द्वारा पूर्णतः चुकता बोनस शेयर के रूप में 9,70,96,955 इक्विटी शेयर)	1,000,000	1,000,000
कुल	1,000,000	1,000,000

अनुसूची - 5 क

शेयर पूंजी

शेयर धारण की परिपाटी

शेयरधारक

शेयरधारक	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
	शेयरों की संख्या	% धारण	शेयरों की संख्या	% धारण
प्रोत्साहक				
● भारत	100,000,000	100%	100,000,000	100%
● विदेशी	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
कुल	100,000,000		100,000,000	

अनुसूची - 6

आरक्षित तथा अधिशेष

विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1 सामान्य आरक्षित पिछले वर्ष का अतिशेष घटाएं: आस्थगित कर सम्पत्ति का समायोजन	14,814,563 - 14,814,563	13,080,460 1,734,103 14,814,563
2 लाभ और हानि लेखा से अंतरित अतिशेष	748,874	-
3 निवेश आरक्षित	9,610	9,610
4 विनिमय आरक्षित	4,817	4,817
कुल	15,577,864	14,828,990

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 5

SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
1 Authorised Capital 20,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	2,000,000	2,000,000
2 Issued, Subscribed and Paid-up 10,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each (include 9,70,96,955 Equity Shares of Rs. 10 each as fully paid-up Bonus Shares by capitalisation of General Reserve and Share Premium)	1,000,000	1,000,000
TOTAL	1,000,000	1,000,000

SCHEDULE – 5A

SHARE CAPITAL

PATTERN OF SHAREHOLDING

Shareholder	As at 31.03.2011		As at 31.03.2010	
	Number of Shares	% of Holding	Number of Shares	% of Holding
Promoters				
● India	100,000,000	100%	100,000,000	100%
● Foreign	-	-	-	-
Others	-	-	-	-
TOTAL	100,000,000		100,000,000	

SCHEDULE – 6

RESERVES AND SURPLUS

Particulars	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010
	(₹ '000)	(₹ '000)
1 General Reserves		
Balance as per last account	14,814,563	13,080,460
Transfer from Profit and Loss Account	-	1,734,103
	14,814,563	14,814,563
2 Contingency Reserve for Unexpired Risk transfer from Profit and Loss A/c.	748,874	-
3 Investment Reserve	9,610	9,610
4 Exchange Reserve	4,817	4,817
TOTAL	15,577,864	14,828,990

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 7

उधार

विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1 ऋणपत्र/बंधपत्र	NIL	NIL
2 बैंक	NIL	NIL
3 वित्तीय संस्थाएं	NIL	NIL
4 अन्य (निर्दिष्ट करें)	NIL	NIL
कुल	NIL	NIL

अनुसूची - 8

निवेश

विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
दीर्घकालिक निवेश		
1 ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र (नीचे नोट देखें)	28,606,324	20,313,302
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	278,727	278,727
3 अन्य निवेश		
क) शेयर		
(कक) इक्विटी	103,613,705	99,105,936
(खख) अधिमान	88,153	92,986
(ख) म्युचुअल फंड		
(ग) ऋणपत्र/बंधपत्र	8,549,275	4,599,724
(घ) स्व सहायक और वेंच्योर पूँजी	32,804	33,722
(च) निवेश सम्पत्तियाँ - भूसंपत्ति	5,961	6,154
4 ढांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	11,260,720	8,817,740
5 अनुमोदित निवेश के अलावा	156,265	623,241
अल्पकालिक निवेश		
1 ट्रेजरी बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र	1,371,870	2,548,614
2 अन्य निवेश		
(क) म्युचुअल फंड	5,325,616	4,133,706
(ख) ऋणपत्र/बंधपत्र	378,181	549,962
(ग) अन्य प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक कागज)	-	-
3 ढांचागत तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	1,276,460	297,194
4 अनुमोदित निवेश के अलावा	253,667	384,364
कुल	161,197,728	141,785,372

नोट : (i) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुसरण में भा.रि.बैं. में जमा ₹100560 हजार शामिल है (विगत वर्ष ₹100633 हजार)
(ii) निष्क्रिय ऋणपत्र के लिए ₹270333 हजार (वि.व.रु.276257 हजार) के प्रावधान को बैड और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है।

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 7

BORROWINGS

Particulars	As at 31.03.2011 (₹ '000)	As at 31.03.2010 (₹ '000)
1 Debentures/ Bonds	NIL	NIL
2 Banks	NIL	NIL
3 Financial Institutions	NIL	NIL
4 Others (to be specified)	NIL	NIL
TOTAL	NIL	NIL

Schedule -8

INVESTMENTS

Particulars	As at 31.03.2011 (₹ '000)	As at 31.03.2010 (₹ '000)
LONG TERM INVESTMENTS		
1 Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills (See note (i) below)	28,606,324	20,313,302
2 Other Approved Securities	278,727	278,727
3 Other Investments		
(a) Shares		
(aa) Equity	103,613,705	99,105,936
(bb) Preference	88,153	92,986
(b) Mutual Funds		
(c) Debentures/ Bonds [See note (ii) below]	8,549,275	4,599,724
(d) Auto Ancillary and Venture Capital	32,804	33,722
(e) Investment Properties-Real Estate	5,961	6,154
4 Investments in Infrastructure and Social Sector [See note (ii) below]	11,260,720	8,817,740
5 Other than Approved Investments	156,265	623,241
SHORT TERM INVESTMENTS		
1 Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,371,870	2,548,614
2 Other Investments		
(a) Mutual Funds	5,325,616	4,133,706
(b) Debentures/ Bonds	378,181	549,962
(c) Other securities (Commercial Paper)	-	-
3 Investments in Infrastructure and Social Sector	1,276,460	297,194
4 Other than Approved Investments	253,667	384,364
TOTAL	161,197,728	141,785,372

Notes: (i) Includes ₹ 100560 thousand (Previous year ₹ 100633 thousand) deposited with RBI In pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938.

(ii) Provision of ₹ 270333 thousand (Previous year ₹ 276257 thousand) against non-performing debentures is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 9

ऋण

विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1 प्रतिभूति-वार वर्गीकरण		
सुरक्षित	2,802,823	2,819,384
(क) सम्पत्ति के बन्धक पर		
(कक) भारत में	850,983	930,029
(खख) भारत से बाहर	-	-
(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ग) अन्य - गृह ऋण	1,951,840	1,889,355
असुरक्षित	620,853	778,322
कुल	3,423,676	3,597,706
2 ऋणी-वार वर्गीकरण		
(क) केन्द्र तथा राज्य सरकार	389,075	434,210
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान	15,182	15,182
(ग) अनुषंगियाँ	-	-
(घ) औद्योगिक उपक्रम	938,274	1,021,320
(च) अन्य	2,081,145	2,126,994
कुल	3,423,676	3,597,706
3 निष्पादन-वार वर्गीकरण		
(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
(कक) भारत में	2,839,207	2,986,047
(खख) भारत से बाहर	-	-
(ख) निष्क्रिय ऋण से प्रावधान घटाकर		
(कक) भारत में *	584,469	611,659
(खख) भारत से बाहर	-	-
कुल	3,423,676	3,597,706
4 परिपक्वता-वार विवरण		
(क) अल्पकालिक	106,913	1,703,416
(ख) दीर्घकालिक	3,316,763	1,894,290
कुल	3,423,676	3,597,706

* नोट : निष्क्रिय ऋणपत्र के लिए ₹374549 हजार (वि.व.₹423461 हजार) के प्रावधान को बैड और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के तहत अनुसूची 14 में शामिल किया गया है ।

SCHEDULE FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 9

LOANS

	विवरण	As at 31.03.2011 (₹ '000)	As at 31.03.2010 (₹ '000)
1	SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	Secured	2,802,823	2,819,384
	(a) On mortgage of property		
	(aa) In India	850,983	930,029
	(bb) Outside India	-	-
	(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities	-	-
	(c) Others - HBL	1,951,840	1,889,355
	Unsecured	620,853	778,322
	TOTAL	3,423,676	3,597,706
2	BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Central and State Governments	389,075	434,210
	(b) Banks and Financial Institutions	15,182	15,182
	(c) Subsidiaries	-	-
	(d) Industrial Undertakings	938,274	1,021,320
	(e) Others	2,081,145	2,126,994
	TOTAL	3,423,676	3,597,706
3	PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Loans classified as standard		
	(aa) In India	2,839,207	2,986,047
	(bb) Outside India	-	-
	(b) Non-performing loans less provisions		
	(aa) In India *	584,469	611,659
	(bb) Outside India	-	-
	TOTAL	3,423,676	3,597,706
4	MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
	(a) Short Term	106,913	1,703,416
	(b) Long Term	3,316,763	1,894,290
	TOTAL	3,423,676	3,597,706

* Note : Provision of ₹374549 thousand (Previous year ₹423461 thousand) against non-performing loans is grouped under provision for bad and doubtful debts in Schedule 14

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची-10

31 मार्च 2011 को स्थायी सम्पत्ति

(₹ '000)

विवरण	लागत/सकल ब्लाक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लाक	
	1.04.2010 को आरम्भ	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान कमी	31.03.11 को समाप्त 31.03.2011	31.03.10 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/समायोजन	31.03.11 तक	31.03.11 को	31.03.10 को
साख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अदृश्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जमीन मुक्त	6,532	-	-	6,532	-	-	-	-	6,532	6,532
पत धारित सम्पत्ति	4,415	-	-	4,415	437	74	-	511	3,904	3,978
भवन	329,440	1,721	-	331,161	124,823	11,767	-	136,590	194,571	204,617
फर्नीचर व फीटिंग	254,672	11,509	3,973	262,208	223,409	8,157	(3,025)	228,541	33,667	31,263
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	2,658,263	162,398	38,371	2,782,290	2,064,523	438,447	(19,967)	2,483,003	299,287	593,740
वाहन	402,097	110,740	108,165	404,672	229,557	51,403	(33,744)	247,216	157,456	172,540
कार्यालय उपकरण	170,205	5,357	4,919	170,643	145,273	4,490	(4,018)	145,745	24,898	24,932
अन्य *	287,246	12,581	4,967	294,860	225,852	10,498	(4,076)	232,274	62,586	61,394
कुल	4,112,871	304,306	160,395	4,256,782	3,013,874	524,836	(64,830)	3,473,880	782,901	1,089,996
प्रगति में पूंजीगत कार्य आई टी उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	53,140	-	53,140	-	-	-	-	53,140	-
कुल योग	4,112,871	357,446	160,395	4,309,922	3,013,874	524,836	(64,830)	3,473,880	836,041	1,098,996
विगत वर्ष	3,106,062	1,227,416	220,607	4,112,871	2,544,923	589,041	(120,090)	3,013,874	1,098,996	-

*अन्य में शामिल है बिजली के उपकरण, एयरकंडीशनर, जेनरेटर तथा साइकिल

SCHEDULE FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE – 10

FIXED ASSETS AS AT 31ST MARCH, 2011

(₹ '000)

Particulars	Cost/ Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Opening as at 01.04.2010	Additions during the year	Reductions during the year	Closing as on 31.03.2011	Upto 31.03.2010	For the Year	On Sales/ Adjust- ments	As on 31.03.2011	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010
Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intangibles (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Land-Freehold	6,532	-	-	6,532	-	-	-	-	6,532	6,532
Leasehold Property	4,415	-	-	4,415	437	74	-	511	3,904	3,978
Buildings	329,440	1,721	-	331,161	124,823	11,767	-	136,590	194,571	204,617
Furniture & Fittings	254,672	11,509	3,973	262,208	223,409	8,157	(3,025)	228,541	33,667	31,263
Information Technology Equipment	2,658,263	162,398	38,371	2,782,290	2,064,523	438,447	(19,967)	2,483,003	299,287	593,740
Vehicles	402,097	110,740	108,165	404,672	229,557	51,403	(33,744)	247,216	157,456	172,540
Office Equipment	170,205	5,357	4,919	170,643	145,273	4,490	(4,018)	145,745	24,898	24,932
Others *	287,246	12,581	4,967	294,860	225,852	10,498	(4,076)	232,274	62,586	61,394
TOTAL	4,112,871	304,306	160,395	4,256,782	3,013,874	524,836	(64,830)	3,473,880	782,901	1,098,996
Capital Work in progress - A.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	-	53,140	-	53,140	-	-	-	-	53,140	-
Grand Total	4,112,871	357,446	160,395	4,309,922	3,013,874	524,836	(64,830)	3,473,880	836,041	1,098,996
PREVIOUS YEAR	3,106,062	1,227,416	220,607	4,112,871	2,544,923	589,041	(120,090)	3,013,874	1,098,996	-

* Others include Electrical Equipments, Airconditioner, Generator and Cycle.

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची - 11

नकद तथा बैंक अतिशेष

विवरण		31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1	नकद (चैक, ड्राफ्ट तथा स्टाम्प सहित)	267,153	329,686
2	बैंक अतिशेष		
	(क) जमा लेखा		
	(कक) अल्पकालिक (12 महीनों के अंदर देय)	4,815,603	1,908,758
	(ख) चालू खाता	2,045,253	1,595,175
3	मांग पर तथा अल्प सूचना पर धन		
	(क) बैंक में	-	-
	(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
4	पारवहन में जमा	768,339	582,797
	कुल	7,896,348	4,416,416
उपर्युक्त 2 तथा 3 में शामिल हैं गैर अनुसूचित बैंकों में (नेपाल शाखा में) अतिशेष		-	-

नोट : सेबी के परिपत्र संख्या एमआरडी/डीओपी/एसजी/परि.-07/2005 दिनांक 23 फरवरी 2005 के अनुसार एनएसई/बीएसई इक्विटी ट्रांजेक्शन के लिए मार्जिन मनी के रूप में ₹1,20,000 हजार (₹1,20,000) रखा गया ।

अनुसूची - 12

अग्रिम तथा अन्य संपत्तियां

विवरण		31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
अग्रिम			
1	अर्पित कम्पनियों में आरक्षित जमा	88,511	115,964
2	निवेश के लिए आवेदन राशि	-	-
3	अग्रिम प्रदत्त कर तथा स्रोत पर काटे गए कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)	990,182	1,286,376
4	अग्रिम, जमा तथा पूर्व प्रदत्त खर्च	898,078	753,688
	कुल (क)	1,976,771	2,156,028
अन्य सम्पत्तियां			
1	निवेशों पर प्रोद्भूत आय	1,743,757	1,203,202
2	बकाया प्रीमियम	5,371	73,180
3	एजेंटों का अतिशेष	15,124	58,037
4	बीमा व्यवसाय कर रहे अन्य संस्थानों से (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) प्राप्य	12,233,873	19,290,801
5	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)	-	-
6	अन्य -(ब्याज, लाभांश तथा बकाया किराया देनदार तथा वाहन ऋण सहित)	4,323,558	6,324,785
7	अंतर-कार्यालय	-	185
	कुल (ख)	18,321,683	26,950,190
	कुल (क) +(ख)	20,298,454	29,106,218

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE- 11

CASH AND BANK BALANCES

Particulars	As at 31.03.2011 (₹ '000)	As at 31.03.2010 (₹ '000)
1 Cash (including cheques, drafts and stamps)	267,153	329,686
2 Bank Balances		
(a) Deposit Accounts		
(aa) Short-term (due within 12 months) [note below]	4,815,603	1,908,758
(b) Current Accounts	2,045,253	1,595,175
3 Money at Call and Short Notice		
(a) With Banks	-	-
(b) With other Institutions	-	-
4 Remittances in Transit	768,339	582,797
TOTAL	7,896,348	4,416,416
Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above (at Nepal Branch)	-	-

Note - Includes ₹ 120000 thousand (₹ 120000 thousand) kept as margin money for NSE/BSE equity transactions as per SEBI circular no. MRD/DoP/SE/Cir-07/2005 dated 23rd February 2005.

SCHEDULE – 12

ADVANCES AND OTHER ASSETS

Particulars	As at 31.03.2011 (₹ '000)	As at 31.03.2010 (₹ '000)
ADVANCES		
1 Reserve deposits with ceding companies	88,511	115,964
2 Application money for investments	-	-
3 Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	990,182	1,286,376
4 Advance, Deposits & Pre-paid Expenses	898,078	753,688
TOTAL (A)	1,976,771	2,156,028
OTHER ASSETS		
1 Income accrued on investments	1,743,757	1,203,202
2 Outstanding Premiums	5,371	73,180
3 Agents' Balances	15,124	58,037
4 Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	12,233,873	19,290,801
5 Deposit with Reserve Bank of India [Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]	-	-
6 Others (Interest, Dividend, Rent Outstanding, Debtors and Vehicle Loan)	4,323,558	6,324,785
7 Inter Office	-	185
TOTAL (B)	18,321,683	26,950,190
TOTAL (A+B)	20,298,454	29,106,218

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ
अनुसूची - 13
वर्तमान देयताएं

विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1 एजेंटों के अतिशेष	509,353	528,185
2 अन्य बीमा कंपनियों को देय अतिशेष	5,478,725	4,641,415
3 अर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा	12,975	8,203
4 अग्रिम प्राप्त प्रीमियम	5,82,854	492,498
5 विविध लेनदार	10,000,405	13,597,796
6 पुराने शेयरधारकों को देय	292	292
7 बकाया दावे	50,685,267	41,879,522
8 अन्य - (अदावी लाभांश)	-	-
9 अंतरकार्यालय	10,991	-
कुल	67,280,862	61,147,911

अनुसूची - 14
प्रावधान

विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1 असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित	26,227,065	19,969,513
2 प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	439,784
3 लाभांश संवितरण कर के लिए	-	74,741
4 संदिग्ध ऋणों के लिए	2,775,335	2,550,000
कुल	29,002,400	23,034,038

अनुसूची - 15

विविध खर्च

(जो बट्टे खाते या समायोजित न किए गए हों)

विवरण	31.03.2011 को (₹ '000)	31.03.2010 को (₹ '000)
1 जारी किए गए शेयर/ऋणपत्र पर अनुमत छूट	-	-
2 आस्थगित राजस्व खर्च - वीआरएस खर्च व साफ्टवेयर का मूल्य पिछले वर्ष का अतिशेष (केवल साफ्टवेयर)	557,794	65,526
जोड़ें : वर्ष के लिए एसवीआरएस खर्च (केवल साफ्टवेयर)	36,080	817,044
जोड़े केवल अनुग्रही राशि	404,596	-
	998,470	882,570
घटायें : वर्ष के दौरान संविभाजित		
i) 2007-08 के लिए	-	39,331
ii) 2008-09 के लिए	-	13,097
iii) 2009-10 के लिए	288,538	272,348
iv) 2010-11 के लिए	92,947	-
वर्ष के अंत में शेष	616,985	557,794

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

SCHEDULE - 13

CURRENT LIABILITIES

	As at 31.03.2011 (₹ '000)	As at 31.03.2010 (₹ '000)
1 Agents' Balances	509,353	528,185
2 Balances due to other insurance companies	5,478,725	4,641,415
3 Deposits held on re-insurance ceded	12,975	8,203
4 Premiums received in advance	5,82,854	492,498
5 Sundry creditors	10,00,405	13,597,796
6 Due to former share holders	292	292
7 Claims Outstanding	50,685,267	41,879,522
8 Others - (Unclaimed Dividend)	-	-
9 Inter office	10,991	-
TOTAL	67,280,862	61,147,911

SCHEDULE - 14

PROVISIONS

	As at 31.03.2011 (₹ '000)	As at 31.03.2010 (₹ '000)
1 Reserve for Unexpired Risk	26,227,065	19,969,513
2 For proposed dividends	-	439,784
3 For dividend distribution tax	-	74,741
4 For doubtful debts	2,775,335	2,550,000
TOTAL	29,002,400	23,034,038

SCHEDULE - 15

MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(To the extent not written off or adjusted)

	As at 31.03.2011 (₹ '000)	As at 31.03.2010 (₹ '000)
1 Discount Allowed in issue of shares/ debentures	-	-
2 Deferred Revenue Expenditure		
Balance as per last year (software only)	557,794	65,526
Add: Expenses for the year (software only)	36,080	817,044
Add: Gratuity liability	404,596	-
	998,470	882,570
Less: Amortised during the year		
i) On account of 2007-08	-	39,331
ii) On account of 2008-09	-	13,097
iii) On account of 2009-10	288,538	272,348
iv) On account of 2010-11	92,947	-
BALANCE AT THE END OF THE YEAR	616,985	557,794

अनुसूची-16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन परम्परा

- 1.1 तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा और आय लेखा कम्पनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11 (1ए) के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं। उक्त विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किये गये हैं और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षाओं का प्रतिवेदन तैयार करा) विनियम, 2002 की प्रयोजनीयता सीमा तक अनुरूप है और अन्यथा वर्णित को छोड़कर भारत में साधारण बीमा उद्योग में लागू सांविधिक प्रावधानों और व्यवहार के अनुरूप है।
- 1.2 वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इस्टीमेट एवं पूर्वानुमान, जहाँ आवश्यक रहा, तत्काल बनाया गया। लेखा इस्टीमेट में किसी प्रकार के संशोधन को भविष्य के सापेक्ष में लिया गया।
- 1.3 अन्यथा नीचे वर्णित के अलावा आय एवं व्यय को संभूति के आधार पर लिया गया।

2. पुनर्बीमा:

- 2.1 विदेशी बीमा कम्पनियों से प्राप्त 31 मार्च तक की आवक विवरणी तथा तत्पश्चात भारतीय कम्पनियों से प्राप्त विवरणी भी लेखा में शामिल की जाती है।
- 2.2 प्रचालन कार्यालयों से प्राप्त सलाह/विवरणी के आधार पर पुनर्बीमा अर्पण किया जाता है जहाँ कहीं वास्तविक/पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है वहाँ पुनर्बीमा अर्पण, पुनर्बीमा विभाग में उपलब्ध जानकारी पर आधारित प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है।
- 2.3 प्रत्येक तिमाही में विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा आय लेन देन तिमाही के आरंभ की विनिमय दर भारतीय साधारण बीमा निगम की सलाह के अनुसार परिवर्तित किए जाते हैं।
- 2.4 विदेशी मुद्रा में पुनर्बीमा की सभी परिसम्पत्तियाँ और देयताएं वर्ष की अंतिम तारीख की विनिमय दर भारतीय साधारण बीमा निगम की सलाह के अनुसार परिवर्तित की जाती हैं।
- 2.5 विदेशी मुद्राओं के लेन देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

3. विदेशी शाखा लेखा:

- 3.1 विदेशी शाखाएं विदेशी प्रचालन का अभिन्न अंग हैं। कम्पनी की विदेशी शाखाओं में विदेशी मुद्रा में धारित स्थायी परिसम्पत्तियों और निवेशों की लागत को अधिग्रहण वर्ष के अंत में विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 3.2 उपर्युक्त 3.1 में वर्णित के अलावा परिसम्पत्तियों तथा विदेशी शाखाओं की देयताओं को वर्ष के अंत की विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 3.3 विदेशी शाखाओं से सम्बंधित आय, लेन देन को प्रत्येक तिमाही के आरंभ में विद्यमान औसत विनिमय दर पर वर्ष के अंत में परिवर्तित किया जाता है।
- 3.4 विदेशी शाखाओं, 3.1 में वर्णित के अलावा के लेन देन पर विनिमय लाभ/हानि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

Schedule 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION :

- 1.1 The Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Revenue Accounts are drawn up in accordance with the provisions of Section 11 (1A) of the Insurance Act, 1938, read with the relevant provisions of the Companies Act, 1956. The said statements are prepared on historical cost convention and comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 1956 to the extent applicable and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the general insurance industry in India except as otherwise stated.
- 1.2 For preparation of the financial statements, estimates and assumptions wherever necessary are made on prudent and reasonable basis. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively.
- 1.3 Income and expenditure are accounted on accrual basis except otherwise stated below.

2. RE-INSURANCE :

- 2.1 Inward returns from foreign insurance companies received upto 31st March and returns from Indian companies received subsequently upto a cut-off date are incorporated in the accounts.
- 2.2 Accounting of re-insurance cessions is done on the basis and to the extent of advice/returns including amendments/supplements received from operating offices. Wherever full particulars are not available, accounting is done on the basis of information available with the re-insurance department.
- 2.3 Revenue transactions of each quarter in foreign currencies are converted as per the rates of exchange advised by General Insurance Corporation of India.
- 2.4 Assets and liabilities in foreign currencies at the end of the year are converted at the rates of exchange prevailing on that date as advised by General Insurance Corporation of India.
- 2.5 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities in foreign currencies is accounted for as revenue.

3. FOREIGN BRANCH ACCOUNTS :

- 3.1 Foreign branches are treated as integral foreign operations. The cost of fixed assets held in foreign currencies at the company's foreign branches are converted at the exchange rates prevalent at the end of the year of acquisition.
- 3.2 Assets, other than those mentioned in 3.1 above, and liabilities of the foreign branches are converted at the rates of exchange at the year-end.
- 3.3 Revenue transactions relating to foreign branches are converted at the year end at the average of the rates of exchange prevailing at the beginning of each quarter.
- 3.4 Exchange gain/loss on conversion of revenue transactions, assets and liabilities of the foreign branches other than those mentioned in 3.1 above is accounted for as revenue.

4. बकाया दावे:

4.1 बकाया दावों के लिए प्राक्कलित देयता का प्रावधान निम्नवत है:

- (अ) भारत में प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त सूचना के आधार पर,
- (ब) बीमा कम्पनियों/एजेंटों द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में निर्धारित तिथि तक दी गई सूचना के आधार पर,
- (स) समर्थन में सूचना सलाह के अभाव में चालू रुझान और विगत बीमा लेखन अनुभव के आधार पर प्राक्कलन करके प्रावधान किया जाता है।

4.2 बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपगत किन्तु सूचित नहीं दावों का प्रावधान किया जाता है।

4.3 जहां कम्पनी की देयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पालिसी विवरणों के बगैर कम्पनी को न्यायालय के सम्मन भेजे गए हैं उन मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में विवरण रहित दावों के प्राक्कलित मूल्य की 1/3 सीमा तक का प्रावधान विद्यमान परिपाटी के अनुसार किया जाता है। तथापि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्धारित पड़े दावों के लिए पूरा प्रावधान होता है।

5. असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित :

समुद्री पोत व्यवसाय के अलावा शुद्ध प्रीमियम के 50% का असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित किया जाता है। समुद्री पोत के मामले में यह शुद्ध प्रीमियम का 100% किया जाता है।

6. ऋण और निवेश :

6.1 निवेश की लागत में दलाली, शेयर हस्तांतरण स्टाम्प, शुल्क आदि शामिल हैं। म्युचुअल फंड निवेशों को छोड़कर प्राप्त प्रोत्साहन को लागत से घटा दिया जाता है।

6.2 निवेशों का मूल्यांकन आई.आर.डी.ए. विनियमों के अनुसार हैं जो निम्नवत हैं:-

अ) **ऋण प्रतिभूति :** सरकारी प्रतिभूतियां और पुनर्विमोचन योग्य अधिमान शेयर सहित ऋण प्रतिभूतियां, निम्नलिखित अनुच्छेद (बी) व (सी) में विनिर्दिष्ट के अलावा को परिपक्वता के लिए धारित प्रतिभूति के रूप में माना जाता है और ऐतिहासिक लागत पर इन्हें मापा जाता है तथा प्रदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की बाकी अवधि में किश्त बद्ध किया जाता है।

ब) **इक्विटी प्रतिभूतियां जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार होता है :** सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां, जिनका व्यापार सक्रिय बाजारों में होता है, तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में अंतिम उद्धृत न्यूनतम क्लोजिंग मूल्य पर किया जाता है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक के अधीन इक्विटी में लिया गया है।

सूचीबद्ध एवं एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर के प्रकरण में पूंजी को ह्रास में तब माना जाता है जब किसी प्रतिभूति विशेष का विघटित मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम हो जाय। उपर्युक्त प्रक्रिया तब अपनायी जाती है जब पूंजी में ह्रास हो रहा हो और लगातार तीन वर्षों से हानि हो रही है या पिछले तीन वर्षों से वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं हो तब इक्विटी शेयरों को उनके बाजार मूल्य पर अवलिखित किया जाता है।

स) गैर सूचीबद्ध और सक्रिय व्यवसाय इक्विटी को छोड़कर प्रतिभूतियां मूल्यह्रास के अध्यधीन ऐतिहासिक लागत पर मापी गयी हैं:-

जहां विघटन मूल्य कम है वहाँ अधिग्रहण लागत और विघटन मूल्य में अन्तर की रशि के बराबर का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन हेतु नवीनतम तुलन-पत्र के आधार पर विघटन मूल्य ज्ञात होता है जिसे

4. OUTSTANDING CLAIMS :

- 4.1 Estimated liability for outstanding claims is provided as follows:
- (a) in respect of direct business in India on the basis of claim intimations received upto the year end,
 - (b) in respect of re-insurance business as intimated by insurance companies/agents upto cut off date.
 - (c) wherever supporting information is not available, provisions are estimated on current trends and past underwriting experience.
- 4.2 Provisions for claims 'Incurred But Not Reported' (IBNR) are made on the basis of actuarial valuation.
- 4.3 Provisions in respect of motor third party claims, where court summons have been served on the company without adequate policy particulars, are made to the extent of 1/3rd of the estimated value of such unidentified claims in accordance with the existing practice. For claims remaining unidentified over one year, full provision is made.

5. RESERVE FOR UNEXPIRED RISK :

Reserves for unexpired risk are made at 50% of net premium except in the case of marine hull business where it is made at 100% of net premium.

6. LOANS AND INVESTMENTS :

- 6.1 Cost of investments includes brokerage, share transfer stamps, fees etc. Incentives received are deducted from cost.
- 6.2 Investments are valued as per IRDA Regulations as follows:

- (a) **Debt Securities:** Debt securities including Government securities and Redeemable Preference shares other than those specified in Para (b) & (c) below are considered as "held to maturity" securities and are measured at historical cost and the premium paid is amortized over the residual period of maturity.
- (b) **Equity Shares traded in active market:** Listed equity shares which are traded in active markets are measured at Fair Value as at the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of fair value, the market price of the actively traded securities is taken at the lower of the last quoted closing price at the National Stock Exchange (NSE) or Bombay Stock Exchange (BSE). Unrealised gain/loss arising due to changes in the fair value of listed equity shares is taken to equity under the head "Fair Value Change Account".

In the case of listed and actively traded equity shares, capital is considered to be impaired if the break-up value of a particular security is less than its face value. When capital is impaired and there is a three years' history of continuous loss or if the published annual accounts are not available for the last three years, equity shares are written down to their market value.

- (c) **Unlisted and other than actively traded equity securities:** These are measured at historical cost subject to impairment.

Provision is made equivalent to the amount of difference in acquisition cost and the break-up value of the share wherever break-up value is less. For this purpose the break-up value

मूल्यांकन की तिथि से 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। जहाँ विघटन मूल्य ऋणात्मक है वहाँ अधिग्रहण मूल्य और नाममात्र मूल्य रु.1/- प्रति कम्पनी के बीच के अन्तर का प्रावधान होगा।

सूचीबद्ध एवं एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर के प्रकरण में पूंजी को ह्रास में तब माना जाता है जब किसी प्रतिभूति विशेष का विघटित मूल्य इसके अंकित मूल्य से कम हो जाय

जहाँ पूंजी में ह्रास हुआ हो और लगातार तीन वर्षों से वार्षिक लेखा उपलब्ध न हो वहाँ इक्विटी शेयर को धनात्मक विघटन मूल्य तक अवलिखित किया जाता है नहीं तो नाममात्र मूल्य रु.1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

द) **अधिमान शेयर:** ऐसी कम्पनियों के अधिमान शेयर में निवेश का मूल्यांकन प्रीमियम परिशोधन के अधीन, यदि कोई हो, होता है-। अधिमान शेयर में ह्रास उस समय होता है जब कंपनियां पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों में हानि उठा रही हों या जिनकी पूंजी आंशिक/पूर्णतया ह्रास में हों या जिनका पूर्ववर्ती तीन वर्षों का वार्षिक लेखा उपलब्ध नहीं हो। ह्रास के प्रकरण में मूल्यांकन निम्नवत होता है:

- यदि किसी कम्पनी के इक्विटी शेयर का सक्रिय कारोबार है तो इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के अनुपात में होता है।
- यदि किसी कम्पनी का इक्विटी शेयर सूचीबद्ध नहीं है या इसका कम कारोबार है, इसके अधिमान शेयर का अवमूल्यन इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य और विघटित मूल्य के अनुपात में होता है। जहाँ इक्विटी शेयरों का विघटन मूल्य ऋणात्मक है या जहाँ मूल्यांकन की तिथि के 1 वर्ष पूर्व की नवीनतम तुलन-पत्र पर उपलब्ध नहीं है वहाँ अधिमान शेयर नाममात्र मूल्य 1/- प्रति कम्पनी पर लिखा जाता है।

य) **ऋण:** ऋण (ऋण पत्र सहित) मूल्यह्रास प्रावधान के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापे गये हैं। मूल्यह्रास प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिए लागू समय समय पर जारी तय दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

आय मान्यता, निष्क्रिय सम्पत्तियों के लिए प्रावधान आदि के संबंध में भा रि बैंक द्वारा निर्धारित ऋणों और ऋण-पत्रों के लिए विवेकपूर्ण नियमों का कम्पनी द्वारा पालन होता है। तथापि प्रावधान करने के प्रयोजन से प्रतिभूति का मूल्य कैपिटलाइन के पास उपलब्ध नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार परिसम्पत्ति संरक्षण अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है।

र) अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखत जैसे जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक दस्तावेज, जिन्हें सहमत दर पर संविदा के समय घटाया जाता है, का लेखांकन उनके घटाए गए मूल्य पर होता है।

ल) निवेश ह्रास का आंकलन तुलन पत्र की तिथि पर किया जाता है तथा लाभ एवं हानि को लेखा में व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

6.3 अ) लाभांश घोषित होनेवाले वर्ष में ही लेखांकित किए जाते हैं चाहे उसी वर्ष में प्राप्त नहीं हों।

ब) जहाँ कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक में लाभांश घोषित होता है किन्तु बाद में ऐसे लाभांश का मिलना संदिग्ध हो जाता है वहाँ संदिग्ध ऋणों, निवेशों और उधार के लिए प्रावधान शीर्षक से समुचित राशि का प्रावधान किया जाता है।

स) जो शेयर कम्पनी के नाम में अंतरित नहीं हुआ है उनका लाभांश वसूली होने पर लेखांकित होता है।

is arrived at as per the latest Balance Sheet, which should not be more than 1 (one) year prior to the date of valuation. When the break-up value is negative, provision shall be the difference between the acquisition cost and a nominal value of Re.1/- per company.

In the case of unlisted and other than actively traded equity shares also capital is considered to be impaired if the break-up value of share is less than its face value.

When capital is impaired and there is three years' history of continuous loss or if the annual accounts are not available for the last three years, such equity shares are written down to the break-up value where break-up value is positive otherwise to a nominal value of Re.1/- per company.

- (d) **Preference Shares:** Investment in Preference Shares is valued at cost subject to amortization of premium, if any. Impairment in Preference Shares is recognized where the companies are making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is eroded or where the annual accounts for three immediately preceding years are not available. In case of impairment it is valued as under:

- i) If the equity shares of the company are actively traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the market value of the equity share bears to its face value.
- ii) If the equity shares of the company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion that the break up value of equity share bears to its face value. Where the break up value of equity shares is negative or where the latest published annual accounts is not available one year prior to the date of valuation, the preference shares are written down to a nominal value of Re.1/- per company.

- (e) **Loans:** Loans (including Debentures) are measured at historical cost subject to impairment provision. The impairment provision is done on the basis of guidelines prescribed by IRDA.

Prudential norms for loans and debentures, as prescribed by IRDA regarding recognition of income, provisioning for non-performing assets etc., are followed by the Company. However, the value of security for the purpose of provisioning is ascertained based on asset coverage ratio as per latest available published annual accounts with 'Capitaline'.

- (f) Short Term Money Market Instruments such as Certificates of Deposit and Commercial Papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rate, are accounted for at their discounted value.
- (g) Impairment in value of investments is assessed as at the Balance Sheet date and is recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

- 6.3 (a) Dividend is accounted for in the year in which it is declared though not received within the year.
- (b) Where dividend is declared at the Annual General Meeting of the company, but subsequently the receipt of such dividend becomes doubtful, provision is made for the appropriate amount under the head 'Provision for Doubtful Loans, Investments and Debts'.
- (c) Dividend, on shares which are not transferred in the company's name, is accounted for on realization.

- 6.4. जहाँ शेयरों/ऋणपत्रों की खरीद की संविदा बनायी जाय किन्तु शेयर/ऋणपत्र प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी नहीं हुई हो तो उसका लेखांकन निवेश के रूप में होता है। यदि इन शेयरों की खरीद के तत्काल बाद सुपुर्दगी लम्बित रहने के दौरान लाभांश घोषित होता है तो शेयर के मूल्य से लाभांश की राशि घट जाती है।
- 6.5. जहाँ बोनस शेयर प्राप्त हुए हों वहाँ बही मूल्य को प्रभावित किए बिना शेयरों की संख्या दर्ज है।
- 6.6. म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन शुद्ध संपत्ति मूल्य पर है और अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में मान्यता है।
- 6.7. निवेश सम्पत्ति: भूसम्पत्ति का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत से मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है।
- 6.8. ब्याज, लाभांश तथा भाड़े की शुद्ध आय तथा निवेशों की बिक्री/वसूली से हुई लाभ/हानि को वर्ष के आरम्भ में पालिसीधारकों के कोष और शेयरधारकों के कोष के अनुपात में आय लेखा (पालिसीधारकों का लेखा) और लाभ व हानि लेखा (शेयरधारकों का लेखा) के बीच बांट दिया जाता है।

7. प्रबंधन खर्च/प्रचालन खर्च :

लाभ और हानि लेखा में प्रभारित व्ययों को छोड़कर अन्य प्रबंधन खर्च, समुद्री कारोबार के लिए 75% तथा अग्नि और विविध कारोबार के लिए 100% महत्व देते हुए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम तथा स्वीकृत पुनर्बीमा के योग के आधार पर आय लेखा में संविभाजित किये जाते हैं।

8. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास :

- अ) स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत संचयी मूल्यह्रास घटाकर की जाती है।
- ब) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास आयकर नियम 1962 में या कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत विनिर्धारित दरों पर जो भी अधिक हो, अवलिखित मूल्य पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।
- स) पट्टाधारित सम्पत्ति का परिशोधन पट्टा अवधि के अनुसार किया जाता है।
- द) वर्ष के दौरान वृद्धियों के संबंध में मूल्यह्रास प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए अवधि की गणना आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। वर्ष के दौरान बेची गई/रद्द की गई/नष्ट की गई स्थायी परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।
- य) विदेशों की स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में उन देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किये जाते हैं।

9. कर्मचारी सुविधा :

अनुग्रही राशि, पेंशन, एवं अवकाश नकदीकरण, बीमारी अवकाश एवं एलटीएस का प्रावधान लेखामानकों (एएस 15) व कर्मचारी सहायता (संशोधित 2005) के अनुसार बीमांकक मूल्यों के आधार पर किया गया है।

10. परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास :

किसी सम्पत्ति का मूल्यह्रास तब माना जाता है जब उसकी वर्तमान लागत उसके रिकवरी मूल्य से अधिक हो। इस तरह के मूल्यह्रास हानियों को लाभ एवं हानि लेखा में मूल्यह्रास होने के वर्ष दिखाया जाता है। मूल्यह्रास हानि की पहचान विगत लेखा वर्ष में वर्तमान लागत पर अनुमानित वसूली योग्य मूल्य में अर्धगामी परिवर्तन के आधार पर प्रतिवर्तित है।

- 6.4 Where contracts of purchase of shares/debentures are made but delivery/registration of certificates is pending, the same are accounted for as investments. If dividend is declared on such shares during the pendency of delivery immediately after purchase, the cost of shares is reduced by the amount of such dividend.
- 6.5 Where bonus shares are received, the number of shares is recorded as an increase without affecting the book value.
- 6.6 Investment in units of Mutual Fund is valued on Net Assets Value (NAV) basis and unrealized gain/loss is recognized in 'Fair Value Change Account'.
- 6.7 Investment Properties - Real Estates are valued at historical cost less depreciation and impairment loss.
- 6.8 Interest, dividend and rent income, net of expenses and profit/loss on sale/realisation of investments, are apportioned between Revenue Accounts (Policyholders' Account) and Profit and Loss Account (Shareholders' account) in the ratio of policyholders' fund and shareholders' fund balances at the beginning of the year.

7. EXPENSES OF MANAGEMENT/OPERATING EXPENSES :

Expenses of Management, other than those charged to Profit and Loss Account, are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of Gross Direct Premium plus Reinsurance Acceptance Premium giving weightage of 75% for Marine business and 100% for Fire and Miscellaneous business.

8. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- (a) Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.
- (b) Depreciation on fixed assets is charged on written down value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 or in the Income Tax Rules, 1962, whichever is higher.
- (c) In case of leasehold properties, lease premium is amortised over the lease period.
- (d) In respect of additions during the year, the period for charging depreciation is reckoned as per the provisions of the Income Tax Rules, 1962. No depreciation is charged on sale/disposal during the year.
- (e) In respect of fixed assets in foreign countries, depreciation is charged as per local laws of those countries.

9. EMPLOYEE BENEFITS

Provision for gratuity, pension, leave encashment, sick leave and leave travel subsidy is made on actuarial valuation in accordance with Accounting Standard 15 (Revised 2005), on Employee Benefits.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

An asset is treated as impaired when its carrying cost exceeds its recoverable value. Such impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which impairment has occurred. Impairment loss recognized in a prior accounting year is reversed on the upward change in the estimate of recoverable value over the carrying cost.

11. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां :

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का परिशोधन उनके प्रयोग की अवधि के सापेक्ष होता है।

12. सेगमेंट रिपोर्टिंग :

सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से सेगमेंट को आईआरडीए (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना) रेग्यूलेशन 2002 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विभक्त किया गया है।

13. अनिश्चित देयताएं एवं अनिश्चित परिसम्पत्तियां :

क) पिछले अवसरों के परिणाम के आधार पर अनिश्चित देयताओं को स्वीकार करने का प्रावधान किया जाता है तथा आब्लिगेशन को सेटिल करने में संसाधनों के आउटफ्लो की संभाव्यता आवयक होगी जिसके सम्बन्ध में विश्वस्त आंकलन बनाया जा सके।

ख) अनिश्चित परिसम्पत्तियों को लेखा में नहीं लिया जाता।

14. अन्य :

14.1. कर वापसी पर ब्याज का लेखांकन आयकर प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किया जाता है।

14.2. साल्वेज वसूलियों का लेखांकन मिल जाने पर होता है तथा दावा लेखा में जमा होता है।

14.3. कम्पनी के विभिन्न कार्यालयों के विवरणों के आधार पर कम्पनी द्वारा चुकाये गये इनपुट सर्विस टैक्स जमा को लेखा में शामिल किया गया।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार	एन. सरकार एण्ड कं. सनदी लेखाकार	एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद जितेन्द्र कुमार मैहन भास्कर सेन	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक
डॉ बी एस कुण्डू भागीदार सदस्यता संख्या 051221	जी. मुखोपाध्याय भागीदार सदस्यता संख्या 010534	कुलदीप सिंह ए. वी. गिरिजा कुमार रीना माडिया	निदेशक निदेशक उप कम्पनी सचिव

कोलकाता 26 मई, 2011

11. INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets are amortized over the useful life of the assets.

12. SEGMENTAL REPORTING

For the purpose of segmental reporting segments have been classified as per directives given in The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.

13. CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

- (a) Provision against contingent liabilities is recognized when there is a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which reliable estimate can be made.
- (b) Contingent assets are not recognized in the accounts.

14. OTHERS

- 14.1 Interest on tax refunds is accounted for on the basis of orders passed by the Tax Authorities.
- 14.2 Salvage recoveries are accounted for on realization and credited to claims account.
- 14.3 Service Tax credit for input service tax paid by the company is considered in the accounts on the basis of the statements received from various offices of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

GUHA NANDI & CO. Chartered Accountants	N. SARKAR & CO. Chartered Accountants	N. S. R. Chandraprasad	Chairman-cum-Managing Director
		Jitendar Kumar Mehan	Director
		Bhaskar Sen	Director
		Kuldip Singh	Director
(Dr. B. S. Kundu) Partner	(G. Mukhopadhyay) Partner	A. V. Girija Kumar	Director
Membership No. 051221	Membership No. 010534	Rina Madia	Dy. Company Secretary

Kolkata, the 26th day of May 2011

वित्तीय विवरण की अंगीभूत अनुसूचियाँ

अनुसूची 17

लेखा के अंगीभूत टिप्पणियाँ

1. प्रासंगिक देयता :

- क) आंशिक रूप से चुकता शेयरों में ₹4181 हजार (₹4181 हजार)
- ख) कंपनी के खिलाफ अन्य दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं या विवादास्पद हैं ₹139830 हजार (₹144160 हजार)।
- ग) विवादित आय कर ₹652380 हजार (₹345978 हजार), ब्याज कर ₹10122 हजार (₹10122 हजार)।
- घ) विवादित सेवा कर ₹69540 हजार (₹शून्य हजार)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता निम्नलिखित के लिए -

- क) ऋण और निवेश ₹73060 हजार (₹8060 हजार)
- ख) स्थायी सम्पत्तियां ₹22829 हजार (₹15329 हजार)
- ग) आईटी समर्थ बिजनेस प्रासेस रि इंजीनियरिंग (ईएसआई) ₹3533400 हजार (₹3890177 हजार)।

3. क) पुनर्बीमा घटाकर दावे

				(₹ हजार में)
प्रदत्त	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i) भारत में दावाकर्ताओं को	2562298 (2149856)	883450 (698707)	33821964 (28444958)	37267712 (31293521)
ii) भारत से बाहर के दावाकर्ताओं को	6407 (8332)	24326 (47064)	128576 (143813)	159309 (199209)
ख) पुनर्बीमा घटाकर प्रीमियम				
	अग्नि	समुद्री	विविध	कुल
i) भारत में व्यवसाय से	4734116 (3741908)	1661005 (1292661)	47329361 (34591603)	53724482 (39626172)
ii) भारत से बाहर व्यवसाय से	34022 (26242)	30743 (37823)	107804 (86304)	172569 (150369)

Schedules forming part of Financial Statements

Schedule – 17

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. There are Contingent Liabilities as under:
 - (a) Uncalled amount on partly paid shares ₹4181 thousand (₹4181 thousand)
 - (b) Claims against the company not acknowledged as debts or under dispute ₹139830 thousand (₹144160 thousand)
 - (c) Disputed Income Tax of ₹652380 thousand (₹345978 thousand), Interest Tax of ₹10122 thousand (₹10122 thousand),.
 - (d) Disputed Service Tax of ₹69540 thousand (₹ 'nil' thousand)
2. Capital commitments remaining outstanding are:
 - (a) Loans and Investments ₹73060 thousand (₹8060 thousand)
 - (b) Fixed assets ₹22829 thousand (₹15329 thousand)
 - (c) IT enabled Business Process Re-engineering (EASI) ₹ 3533400 thousand (₹ 3890177 thousand).
3. (a) Claims, less reinsurance :

(₹ in thousand)

Paid to	Fire	Marine	Miscellaneous	Total
i) Claimants in India	2562298	883450	33821964	37267712
	(2149856)	(698707)	(28444958)	(31293521)
ii) Claimants outside India	6407	24326	128576	159309
	(8332)	(47064)	(143813)	(199209)
(b) Premiums, less reinsurance				
	Fire	Marine	Miscellaneous	Total
i) in India	4734116	1661005	47329361	53724482
	(3741908)	(1292661)	(34591603)	(39626172)
ii) outside India	34022	30743	107804	172569
	(26242)	(37823)	(86304)	(150369)

4. बकाया दावों की अवधि (भारतीय सकल व्यवसाय पर) निम्नवत है-

	छह माह से कम	छह माह से अधिक	(₹ हजार में) कुल
अग्नि	1946834 (1724747)	3822029 (4004145)	5768863 (5728892)
समुद्री	980704 (653831)	948770 (2051382)	1929474 (2705212)
विविध	9266965 (8490014)	26225446 (27096475)	35492411 (35586489)

5. ₹24 हजार (₹24 हजार) के बही मूल्य के शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेशों का अंतरण डीमैट आपत्ति के अधीन और लंबित है।

6. आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखांकन विनियमों का पालन करने के क्रम में विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न साधनों को छोड़कर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फण्ड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण हुये ₹81408106 हजार (₹80551562 हजार) के गैर वसूल लाभ (शुद्ध) को उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक में लिया गया है। उन निवेशों की ऐतिहासिक लागत ₹23513260 हजार (₹22646349 हजार) है। उचित मूल्य लेखा परिवर्तन के जमा शेष की लंबित वसूली वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित बाजार मूल्य एवं ऐतिहासिक लागत का विवरण निम्नवत है :

(₹ हजार में)

	बाजार मूल्य	ऐतिहासिक लागत	उचित मूल्य परिवर्तन लेखा (अपुष्ट लाभ)
पीएसयू का इक्विटी शेयर	14551612 (12544883)	8526223 (5959294)	6025389 (6585589)
पीएसयू के अलावा भारतीय कम्पनियों का इक्विटी शेयर	89020340 (86519298)	13638013 (12557031)	75382327 (73962267)
इक्विटी शेयर डीमैट - रिजेक्टेड केस	24 (24)	24 (24)	(-) (-)
म्यूचुअल फण्ड	1349390 (4133706)	1349000 (4130000)	390 (3706)
कुल	104921366 (103197911)	23513260 (22646349)	81408106 (80551562)

4. Ageing of claims outstanding (on Indian gross business) is as follows:

	Less than six months	Six months and more	(₹ in thousand) Total
Fire	1946834 (1724747)	3822029 (4004145)	5768863 (5728892)
Marine	980704 (653831)	948770 (2051382)	1929474 (2705212)
Miscellaneous	9266965 (8490014)	26225446 (27096475)	35492411 (35586489)

5. Transfer of investments in Shares/Securities having book value of ₹24 thousand (₹24 thousand) is under demat rejection and hence pending.
6. In accordance with the regulations prescribed by IRDA, unrealized gains (net) amounting to ₹ 81408106 thousand (₹80551562 thousand), arising due to changes in the Fair Value of listed equity shares and mutual funds (excepting equities listed in stock exchanges outside India and thinly traded equity shares), are taken to 'Fair Value Change Account'. The historical cost of such investments amounted to ₹23513260 thousand (₹22646349 thousand). Pending realization, the credit balance in the Fair Value Change Account is not available for distribution.

Break-up of Market Value and Historical Cost which have been valued on fair value basis is as follows:

	Market Value	Historical Cost	(₹ in thousand) Fair Value Change Account (Unrealised Gain)
Equity Shares of PSU	14551612 (12544883)	8526223 (5959294)	6025389 (6585589)
Equity Shares of Indian Companies other than PSUs	89020340 (86519298)	13638013 (12557031)	75382327 (73962267)
Equity Shares Demat	24	24	(-)
Rejected cases	(24)	(24)	(-)
Mutual Fund	1349390 (4133706)	1349000 (4130000)	390 (3706)
Total	104921366 (103197911)	23513260 (22646349)	81408106 (80551562)

7. सुरक्षित ऋणों के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की प्रकृति निम्नलिखित है (अनुसूची 9 का संदर्भ लें)
- क) कर्जदार की सभी स्थायी सम्पत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों, का कंपनी के पक्ष में प्रथम बंधक और प्रभार, तथा
- ख) बही ऋण सहित कर्जदार की सभी चल सम्पत्ति, सभी चल सामग्री और ऐसे अन्य चल सामान जिनके बारे में दूसरे ऋण दाता/वित्तीय संस्थान सहमत हों का कंपनी के पक्ष में गिरवी रखते हुये प्रथम बंधक।
- बशर्ते उपर्युक्त संदर्भित प्रतिभूति का मूल्य ऋण के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय ऋण राशि के 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
- बंधक और प्रभार सभी ऋण दाता/वित्तीय संस्थानों के पक्ष में बंधक तथा निर्धारित और या निर्धारित होनेवाले प्रभार बराबर बराबर होंगे।
- मूल प्रतिभूति दस्तावेज लीड संस्थान स्तर पर रखे जाते हैं तथा संरक्षण की सीमा सावधि ऋण के बारे में तथा ऋण पत्रों के मामले में ऋण पत्र न्यासी स्तर से ज्ञात किया जा सकता है।
- ग) हुडको द्वारा अपने पक्ष में प्राप्त कर सकनेवाले बंधक सहित हुडको की सभी वर्तमान और भविष्य की सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों पर प्रथम चल पूंजी प्रभार करने के लिए मुख्तारनामा के साथ निषेधात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा हुडको का ऋण ₹105333 हजार (₹210333 हजार) सुरक्षित है।
8. क) पिछले वर्षों के विपरीत कुछ अचल सम्पत्तियों में स्वामित्व के रूप में कंपनी द्वारा धारित रु.1888 हजार (₹1888 हजार) के इक्विटी शेयरों में निवेश को निवेश सम्पत्ति भू सम्पदा (अनुसूची 8) के अधीन दिखाया गया है।
- ख) धन-कर विवरणी की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी द्वारा भाड़े पर दिये गये हिस्से की भू सम्पदा का उचित मूल्य ₹124125 हजार (₹124125 हजार)। इस प्रकार के भू सम्पदा की अनुपातिक लागत निवेश प्रापटी (अनुसूची 8) में दर्शाया गया है।
9. क) कंपनी के धारण और स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन के धारण प्रमाण-पत्र के बीच अंतर निम्नवत है जिसका पुनर्मिलान हो रहा है।

(₹ हजार में)

	2010-11		2009-10	
	कमी	आधिक्य	कमी	आधिक्य
इक्विटी	457	61	1434	48
अभिधान	0.03	36	0.029	36
ऋण-पत्र	0.03	-	13	252
योग	457.06	97	1447.029	336

- ख) ऋण पत्र धारण में शामिल है ₹49587 हजार (₹70254 हजार) जिसके लिए कंपनी के पास आबंटन पत्र है; सम्बन्धित कम्पनी से प्रमाण पत्र मिलना बाकी है।

7. The nature of securities in respect of secured loans (referred to in Schedule 9) is:
- first mortgage and charge of borrowers' all immovable properties, both present and future, and
 - first mortgage by way of hypothecation of borrowers' all movable properties, including book debts, all movable articles and such other movables as are agreed to by other lending/financial institutions.
- Value of the securities referred above at any time during the pendency of the loan is not less than 1.25 times of the loan amount outstanding.
- Mortgages and charges referred to above created and/or to be created rank pari-passu in favour of all lending/financial Institutions.
- Original security documents are retained at Lead Institution level and the extent of coverage is ascertainable at that level in case of Term Loans and Debenture Trustee level in case of debentures.
- Loans to HUDCO ₹105333 thousand (₹210333 thousand) are secured by negative lien with Power of Attorney in favour of the Company for creating first floating charge on all present and future properties and assets of HUDCO including the mortgage that may be obtained by HUDCO in its favour.
8. (a) Investments in Equity Shares of ₹1888 thousand (₹1888 thousand) held by the Company against ownership of certain immovable properties have been included under 'Investment Properties - Real Estate' in Schedule 8.
- As per valuation report of independent approved valuer proportionate fair value of real estate occupied by tenants is ₹124125 thousand (₹124125 thousand). Proportionate cost of such real estate is shown under Investment Properties (Schedule-8).
9. (a) Differences as stated below between the Company's holding and holding certificate from Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) are under reconciliation.

(₹ in thousand)

	2010-11		2009-10	
	SHORT	EXCESS	SHORT	EXCESS
Equity	457	61	1434	48
Preference	0.03	36	0.029	36
Debentures	0.03	-	13	252
Total:	457.06	97	1447.029	336

- Investment in Debentures includes ₹49587 thousand (₹70254 thousand) against which the Company holds Allotment Letters only. The certificates are yet to be received from the concerned companies.

10. (क) ऋण सम्पत्ति की कुल राशि सीडीआर के अधीन पुनर्गठित हो रही है जो निम्नवत होगी:

(₹ हजार में)

		मियादी ऋण	ऋण-पत्र	अधिमान शेयर	योग
अ) मानक सम्पत्ति	चालू वर्ष	-	-	-	-
	विगत वर्ष	-	6000	-	6000
ब) उप मानक सम्पत्ति	चालू वर्ष	-	-	-	-
	विगत वर्ष	228232	-	-	228232
स) संदिग्ध सम्पत्ति	चालू वर्ष	-	-	-	-
	विगत वर्ष	-	-	-	-
द) हानि सम्पत्ति	चालू वर्ष	-	-	-	-
	विगत वर्ष	-	-	-	-
योग	चालू वर्ष	-	-	-	-
	विगत वर्ष	228232	6000	-	234232

(ख) सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में निवेशों का पृथक्करण निम्नवत है ।

सक्रिय (मानक ऋण और ऋण-पत्र) ₹22554199 हजार (₹16120222 हजार)

निष्क्रिय ऋण और ऋण-पत्र ₹854702 हजार (₹895352 हजार)

कुल बही मूल्य ₹23408901 हजार (₹17015574 हजार)

(ग) ऋणों और ऋण-पत्रों पर बकाया ब्याज ₹2230118 हजार (₹1996472 हजार) की वसूली में अनिश्चितता के कारण लेखांकन नहीं किया गया।

11. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत देय ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी होने के पश्चात अतिरिक्त ग्रेच्युटी देयता ₹350 हजार से बढ़कर ₹1000 हजार हो गई। एक्चुरियल आंकलन के अनुसार यह अतिरिक्त ग्रेच्युटी देयता, इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ₹404595 हजार पाँच वर्ष से अधिक की अवधि में परिशोधित होगी। यदि यह विकल्प न हुआ होता तो वर्ष का लाभ कम होकर ₹323676 हजार होता।

12. संयुक्त संस्थानों के निर्णय के परिप्रेक्ष में विभिन्न निगमित संस्थाओं में ऋण की पुनर्संरचना हुई जिसके परिणाम स्वरूप ऋण-पत्र की मूल राशि के इस खाते पर अधित्याग/बट्टे खाते का वर्ष के दौरान ₹8252 हजार (₹ निल), एवं ब्याज ₹33793 हजार (₹17612 हजार) रहा।

13. (क) स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास निम्नलिखित दर से प्रावधानित है -

(1) कार्यालय उपकरण, एयरकंडीशनर, जनरेटर	-	15.00%
(2) कंप्यूटर और आईटी उपकरण	-	60.00%
(3) पंखा और बिजली के सामान	-	13.91%

10. (a) Total amount of Loan Assets subjected to restructuring under CDR during the year is given below:

(₹ in thousand)

		TERM LOAN	DEBENTURE	PREFERENCE SHARES	TOTAL
a) Standard Assets	Current Year	-	-	-	-
	Previous Year	-	6000	-	6000
b) Substandard Assets	Current Year	-	-	-	-
	Previous Year	228232	-	-	228232
c) Doubtful Assets	Current Year	-	-	-	-
	Previous Year	-	-	-	-
d) Loss Assets	Current Year	-	-	-	-
	Previous Year	-	-	-	-
Total:	Current Year	-	-	-	-
	Previous Year	228232	6000	-	234232

- (b) Segregation of loans and investments into performing and non-performing asset is given below:

i) Performing Investments	₹22554199 thousand (₹16120222 thousand)
ii) Non-performing Investments	₹854702 thousand (₹895352 thousand)
Total book value	₹23408901 thousand (₹17015574 thousand)

- (c) Overdue interest on loans and debentures considered NPA amounting to ₹2230118 thousand (₹1996472 thousand) has not been accounted for in view of uncertainty of realization.

11. Additional gratuity liability is arising in the current year due to enhancement of maximum limit of gratuity payable under Payment of Gratuity Act, 1972 from ₹350 thousand to ₹1000 thousand. As per actuarial valuation such additional gratuity liability is ₹404595 thousand which is amortized over a period of five years in terms of circular issued by IRDA in this regard. Had there been no such deferment, profit of the year would have reduced by ₹323676 thousand.
12. In terms of joint institutional decisions, restructuring of dues from various corporate houses has been done consequent to which ₹8252 thousand (₹'nil') towards Principal and ₹33793 thousand (₹17612 thousand) towards interest have been waived during the year.
- 13 (a) Depreciation on Fixed Assets have been provided on Written Down Value method at the following rates:
- | | | |
|--|-----|--------|
| (1) Office Equipments, Air-conditioner, Generators | ... | 15.00% |
| (2) Computer and I.T. Equipments | ... | 60.00% |
| (3) Fans & Electrical Equipments | ... | 13.91% |

(4) सामान्य फर्नीचर	-	18.10%
(5) मोटर कार	-	25.89%
(6) साईकल	-	20%
(7) भवन का प्रयोग		
(i) कार्यालय सरिसर के रूप में	-	10%
(ii) आवास के रूप में	-	5%

(ख) तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए समान रूप से कम्प्यूटर साफ्टवेयर परिशोधित किया गया। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों (अनुसूची 15 में सम्मिलित) का वर्ष के अन्त में वर्तमान राशि एवं परिशोधित राशि क्रमशः ₹593874 हजार (₹882577 हजार) तथा ₹300565 हजार (₹324776 हजार) रही।

(ग) स्थायी सम्पत्ति के अधीन भारत में जमीन और मकान सम्पत्ति में ₹55310 हजार ₹59215 हजार) शामिल है जिसका पंजीकरण कराना लंबित है। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण खर्च रजिस्ट्री विलेख निष्पादित होने के वर्ष में लेखा में लिया जायेगा।

(घ) लीज आधारित परिसम्पत्तियां वित्तीय लीज के अधीन हैं जिनके लिए तुलन पत्र की तिथि अथवा भविष्य में कोई भी लीज भुगतान देय नहीं है।

14. विवादित मामलों को छोड़कर निपटाया गया कोई दावा तुलन-पत्र की तारीख से छः महीने से अधिक समय तक अप्रदत्त नहीं रहता।

15. (क) निम्नलिखित शीर्षकों में दिखाए गये अतिशेष की पुष्टि नहीं हो सकी तथा उनका पुनर्मिलान किया जा रहा है।

अभिकर्ता अतिशेष	-	नामे ₹1168 हजार (नामे ₹404 हजार)
ऋण और अग्रिम	-	नामे ₹2575 हजार (नामे ₹4477 हजार)
अंतर-कार्यालय समायोजन	-	नामे ₹10991 हजार (नामे ₹185 हजार)
बीमा व्यवसाय कर रहे दूसरे व्यक्तियों	-	नामे ₹102307 हजार (नामे ₹269532 हजार)
या निकायों से प्राप्य/को देय राशि	-	जमा ₹73521 हजार (जमा ₹83872 हजार)
बैंक पुनर्मिलान विवरण में	-	नामे ₹1913 हजार (₹6843 हजार)
अस्पष्ट बैंक नामे एवं जमा	-	जमा ₹7833 हजार (₹8514 हजार)
विविध देनदार	-	₹1168 हजार (₹1311 हजार)
विविध लेनदार	-	₹1382 हजार (₹6649 हजार)

लेखा के पुनर्मिलान पर समायोजन का प्रभाव ज्ञात नहीं है।

(ख) प्रधान कार्यालय में कंपनी के कुछ बैंक खातों में असम्बद्ध अज्ञात पुराने नामे और जमा में अधिक अंतर ज्ञात हुआ और ये पुनर्मिलान तथा समायोजन के अध्यधीन है। उसमें ₹17339 हजार (₹18674 हजार) (शुद्ध जमा) के अंतर को बैंक उचंचत खाते में स्थानांतरित किया गया और चालू देयताएं - कंपनी के लेखा में विविध लेनदार के अधीन दिखाया गया।

(4) General Furniture	...	18.10%
(5) Motor Cars	...	25.89%
(6) Cycle	...	20.00%
(7) Buildings used as – (i) Office Premises	...	10.00%
(ii) Residential Houses	...	5.00%

- (b) Computer Software being intangible asset is amortized equally over a period of 3 years. The carrying amount and amortization amount at the end of the year in respect of such asset (included in Schedule - 15) are ₹593874 thousand (₹882577 thousand) and ₹300565 thousand (₹324776 thousand) respectively.
- (c) Land and House property in India under fixed assets (Schedule - 10) includes ₹55310 thousand (₹59215 thousand) for which deeds of conveyance are pending. Stamp duty and registration cost will be taken into account in the year of execution of conveyance deed.
- (d) Leasehold assets are all under finance lease against which no lease payments are due as on the Balance Sheet date or in future.

14. Barring disputed cases no settled insurance claim remained unpaid for more than six months as on the Balance Sheet date.

15. (a) Confirmation of balances shown under the following heads could not be obtained and reconciliation thereof is in progress:

- Agents' Balances	- Dr. ₹1168 thousand (Dr. ₹404 thousand)
- Loans and Advances	- Dr. ₹2575 thousand (Dr. ₹4477thousand)
- Inter Office Adjustments	- Cr. ₹10991 thousand (Dr. ₹185 thousand)
- Amount due from/to other persons or bodies carrying on Insurance Business	- Dr. ₹102307 thousand (Dr. ₹269532 thousand) and - Cr. ₹73521 thousand (Cr. ₹83872 thousand)
- Unexplained Bank Debit and Credit in Bank Reconciliation Statement	- Dr. ₹1913 thousand (₹6843 thousand) and - Cr. ₹7833 thousand (₹8514 thousand)
- Sundry Debtors	- ₹1168 thousand (₹1311 thousand)
- Sundry Creditors	- ₹1382 thousand (₹6649 thousand)

The impact of adjustments on reconciliation in the accounts remains unascertained.

- (b) Unlinked/unidentified old debits and credits in certain Bank Accounts of the Company at Head Office are subject to reconciliation/adjustments. The differences (net credit) amounting to ₹ 17339 thousand (₹ 18674 thousand) have been transferred to Bank Suspense account and shown under Current Liabilities - Sundry Creditors in Schedule-13.

(ग) बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों पर देय राशि में अंतर एवं बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि बीमा/पुनर्बीमा कम्पनियों पर देय राशि और/या सम्बन्धित पुनर्बीमा कम्पनियों के कन्फर्मेशन के अधीन है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान बनाये गये हैं।

16. पूल व्यवस्था के प्रकरण में, जो आईआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार है, पुनर्बीमा का लेखा पूल लेखा पर आधारित, मोटर तृतीय पक्ष पूल के लिए फरवरी 2011 तक पूल प्रशासक जनरल इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन द्वारा किया गया है

17. (क) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने 27.12.2006 को अपनी शाखा के समस्त प्रचालन, सम्पत्ति तथा देयताओं को उनके तत्कालीन मूल्य के आधार पर स्थानान्तरित करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी के साथ समझौता किया। व्यवसाय स्थानांतरण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जायेगा एवं बकाया देयता के पूर्ण रूप से भुगतान हो जाने के पश्चात यह प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी।

(ख) प्रचालन बन्द होने के पश्चात सम्पत्तियों के विक्रय एवं देयताओं के निस्तारण से हुई हानि/लाभ का आंकलन वांछित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद समयानुसार किया जायेगा।

18. संबंधित पार्टी प्रकटन निम्नवत है:

(क) सहायक संस्था

1. इंडिया इंटरनेशनल इन्श्योरेन्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

लेन-देन की प्रकृति

धारित शेयरों की संख्या	-	1,00,00,000	(50,00,000)
शेयरों का बही मूल्य	-	₹28576 हजार	(₹28576 हजार)
प्राप्त लाभांश	-	₹12648 हजार	(₹12335 हजार)

2. केनिडिया एश्योरेन्स कं. लि. नैराबी

लेन-देन की प्रकृति

धारित शेयरों की संख्या	4,35,186	(332790)
शेयरों का बही मूल्य	-	₹7132 हजार (₹7132 हजार)
प्राप्त लाभांश	-	₹निल हजार (₹927 हजार)

(ख) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक :

1. श्री एन एस आर चन्द्रप्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (4.6.2009 से)
2. श्री कुलदीप सिंह, निदेशक (10.5.2010 से)
3. श्री ए वी गिरिजा कुमार, निदेशक (10.05.2010 से)

लेन-देन की प्रकृति :

वेतन, भत्ता और अंशदान - ₹5507 हजार (₹2182 हजार)

- (c) Outstanding balances in "Amount Due from Insurance/Reinsurance Companies" are subject to reconciliation with the outstanding balances in "Amount Due to Insurance/Reinsurance Companies" and also subject to confirmations from the respective insurance/reinsurance companies. Necessary provisions in this regard have been made.
16. In the case of motor pool arrangements which are in accordance with IRDA directives, accounting of reinsurance are done based on pool accounts drawn by Pool Administrator General Insurance Corporation of India, upto February, 2011.
17. (a) The Company entered into a transfer agreement on 27.12.2006 with New India Assurance Co. Ltd. to transfer assets & liabilities of Hong Kong Branch at their carrying values including all the operations of the branch subject to approval by the Insurance Authority of Hongkong. The approval has been obtained for transfer of business. The present arrangement would continue as a pure run-off operation and the run-off exercise will be over once the entire outstanding liability is fully paid.
- (b) The amount of Gain/Loss on disposal of assets or settlement of liabilities attributable to the discontinuing operation will be accounted for at the appropriate time.
18. Related party disclosures are given below:
- (a) Associates:
- India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore
Nature of transactions:

No. of shares held	-	1,00,00,000	(50,00,000)
Book value of share	-	₹28576 thousand	(₹28576 thousand)
Dividend received	-	₹12648 thousand	(₹12335 thousand)
 - Kenindia Assurance Co. Ltd., Nairobi
Nature of transactions:

No. of shares held	-	4,35,186	(3,32,790)
Book value of shares	-	₹7132 thousand	(₹7132 thousand)
Dividend received	-	₹ 'nil' thousand	(₹927 thousand)
- (b) Key Management Personnel:
- Shri N S R Chandraprasad, Chairman-cum-Managing Director
 - Shri Kuldip Singh, Director (from 10.05.2010)
 - Shri A. V Girijakumar, Director (from 10.05.2010)

Nature of transactions:

Salaries, allowances & contributions ₹5507 thousand (₹2182 thousand)

19. प्रीमियम में कमी नहीं दिखाई गई है क्योंकि प्रबन्धन की राय में सम्बंधित खर्चों और अग्नि, समुद्री और विविध व्यवसाय की रख रखाव खर्च के साथ अपेक्षित दावा खर्च असमाप्त जोखिमों यथा अग्नि ₹(+651700 हजार [(+₹930000 हजार], मरीन (+₹651700 हजार] (+₹1096500 हजार,) एवं विविध (+₹1298600 हजार [(+₹434500 हजार] के लिए संबंधित आरक्षित से अधिक नहीं है। मोटर ओडी सेगमेंट, जो (+₹1645300 हजार [(+₹1233900 हजार] है, में कमी नहीं है, मोटर तृतीय पक्ष में ₹646200 हजार [₹702800 हजार] की कमी है।
20. कर्मचारी हितलाभ के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) को अपनाया है।

लाभ एवं हानि लेखा में निम्नलिखित राशि दर्शायी गई :

	(₹ हजार में)	
वर्गीकृत हित-लाभ योजना	31.03.2011	31.03.2010
ग्रेच्युटी	80919	1164129
पेंशन	726400	642677
अवकाश नकदीकरण	434625	660084
यात्रा छुट्टी सहायता	86452	39789
बीमारी अवकाश	531	3455

कार्ययोजना की वस्तुस्थिति निम्नवत है -

	(₹ हजार में)				
	ग्रेच्युटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
क) देयता का वर्तमान मूल्य	4276466 (3015494)	8760192 (8467514)	2064001 (1403997)	372635 (332845)	168710 (165255)
वर्ष के प्रारंभ में	353329 (237997)	689774 (636177)	165204 (108045)	31674 (26627)	12251 (10948)
ब्याज लागत	233305 (174292)	361404 (352835)	182174 (146085)	71506 (52893)	- (-)
सेवा मूल्य	448812 (929729)	755830 (334264)	328098 (512733)	-16727 (-39731)	37439 (49296)
एक्यूयरियल (लाभ) /हानि	239305 (81046)	1290400 (1030600)	240852 (106860)	- (-)	49159 (56790)
वर्ष के अंत में	5072607 (4276466)	9276800 (8760191)	2498626 (2064000)	459087 (372635)	169241 (168710)

19. No Premium Deficiency Reserve has been created since in the opinion of the management, the expected claim costs along with the related expenses and maintenance cost would not exceed the related Reserve for Unexpired Risks in respect of Fire (+) ₹ 651700 thousand [(+) ₹930000 thousand], Marine (+) ₹651700 thousand [(+) ₹1096500 thousand] and Miscellaneous (+) ₹1298600 thousand [(+) ₹434500 thousand]. While there is no deficiency in Motor Own Damage Segment which is (+) ₹1645300 thousand [(+) ₹1233900 thousand], the deficiency in Motor Third Party works out to ₹646200 thousand [₹702800 thousand].
20. The Company has adopted the Accounting Standard 15 (Revised 2005) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in respect of employee benefits.

The following amounts have been recognized in the Profit & Loss Account:

	(₹ in thousand)	
Defined Benefit Plan	31.03.2011	31.03.2010
Gratuity (excluding deferred amount)	80919	1164129
Pension	726400	642677
Leave Encashment	434625	660084
Sick Leave	86452	39789
LTS	531	3455

The status of the plan is given below:

	(₹ in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
A) Present Value of Obligation					
At beginning of the year	4276466 (3015494)	8760192 (8467514)	2064001 (1403997)	372635 (332845)	168710 (165255)
Interest Cost	353329 (237997)	689774 (636177)	165204 (108045)	31674 (26627)	12251 (10948)
Service Cost	233305 (174292)	361404 (352835)	182174 (146085)	71506 (52893)	- (-)
Actuarial (Gain)/Loss	448812 (929729)	755830 (334264)	328098 (512733)	-16727 (-39731)	37439 (49296)
Benefits Paid	239305 (81046)	1290400 (1030600)	240852 (106860)	- (-)	49159 (56790)
At the end of the year	5072607 (4276466)	9276800 (8760191)	2498626 (2064000)	459087 (372635)	169241 (168710)

ख सम्पत्ति योजना में परिवर्तन

(₹ हजार में)

	ग्रेच्युटी	पेंशन	अवकाश नकदीकरण	बीमारी अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य	3084528 (2635590)	8580200 (8100000)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रत्याशित आय	246762 (210847)	686416 (648000)	- (-)	- (-)	- (-)
एक्च्यूरियल (लाभ) /हानि	172593 (-32956)	-22116 (32600)	- (-)	- (-)	- (-)
हित लाभ भुगतान	239305 (81046)	1290400 (1030600)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	4668012 (3084528)	8550400 (7960000)	- (-)	- (-)	- (-)

(₹ हजार में)

	ग्रेच्युटी	अवकाश पेंशन	बीमारी नकदीकरण	अवकाश	यात्रा छुट्टी सहायता
ग) देयताओं के उचित मूल्य का समाधान एवं सम्पत्ति योजना का वर्तमान मूल्य	4668012 (3084528)	8550400 (7960000)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में उचित मूल्य	5072607 (4276466)	9276800 (8760191)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य तुलन-पत्र में दर्शायी गयी शुद्ध (देयता)	-404595 (-1191937)	-726400 (-800191)	- (-)	- (-)	- (-)

घ) सम्भावनायें

छूट की दर (%)	8.50 (8.00)	8.50 (8.00)	8.50 (8.00)	8.50 (8.00)	8.50 (8.00)
सम्पत्ति योजना पर आय	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	8.00 (-)	- (-)	- (-)

21. कर नियम के अन्तर्गत बड़ी राशियों को अग्रेसित करने के प्रकाश में लेखा मानक 22 के अनुसार भविष्य की आयकर योग्य आय की अनिश्चितता के बावजूद आस्थगित कर योग्य सम्पत्तियों को निस्तारित किया गया है।
22. कम्पनी ने आईआरडीए के परिपत्र सं.आईआरडीए/एफ एण्ड आई/सीआईआर/015/02/2011 दिनांक 2 फरवरी 2011 के अनुसार लेखा अवधि की समाप्ति पर 1/365 प्रणाली के आधार पर असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व निर्मित किया। अधिनियम की धारा 64वी (1) (ii) (बी) पर आधारित तथा 1/365 एवं यूआरआर प्रणाली के आधार पर रिजर्व के अंतर को असमाप्त जोखिम के लिए संभाव्यता रिजर्व में स्थानांतरित किया गया तथा पिछले आगामी वर्षों में जनरल रिजर्व में स्थानांतरित किया जायेगा।

B) Change in Plan Assets:

	(₹ in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
Fair Value at beginning of the year	3084528 (2635590)	8580200 (8100000)	- (-)	- (-)	- (-)
Expected Return	246762 (210847)	686416 (648000)	- (-)	- (-)	- (-)
Actuarial (Gain)/Loss	172593 (-32956)	-22116 (32600)	- (-)	- (-)	- (-)
Benefits Paid	239305 (81046)	1290400 (1030600)	- (-)	- (-)	- (-)
Fair Value at end of the year	4668012 (3084528)	8550400 (7960000)	- (-)	- (-)	- (-)

	(₹ in thousand)				
	Gratuity	Pension	Leave Encashment	Sick Leave	LTS
C) Reconciliation of Fair Value of obligation and Present Value of Plan Assets					
Fair Value at the year end	4668012 (3084528)	8550400 (7960000)	- (-)	- (-)	- (-)
Present Value at the year end	5072607 (4276466)	9276800 (8760191)	- (-)	- (-)	- (-)
Net (Liability) recognized in Balance Sheet	-404595 (-1191937)	-726400 (-800191)	- (-)	- (-)	- (-)

D) Assumptions

Discount Rate (%)	8.50 (8.00)	8.50 (8.00)	8.50 (8.00)	8.50 (8.00)	8.50 (8.00)
Return on Plan Asset (%)	8.00 (8.00)	8.00 (8.00)	- (-)	- (-)	- (-)

21. In spite of having large amount of carry forward losses under tax laws, recognition of Deferred Tax Asset in terms of Accounting Standard 22 has been dispensed with owing to uncertainty over future taxable income.
22. The Company has created the reserve for Unexpired Risk as at the end of the Accounting period based on 1/365 method in the Health segment as per IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/015/02/2011 dated February 2, 2011. The difference between the reserve on the basis of 1/365 method and URR as would have been created based on Section 64V(1)(ii)(b) of the Act has been transferred to a "Contingency reserve for Unexpired Risk" and the same will be transferred to General Reserve in the succeeding year.

23. प्रबन्धन की राय में कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है जिसके लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 के अनुसरण किसी समायोजन की जरूरत हो
24. भारत के सनदी लेखाकार द्वारा जारी लेखा मानक 29 के अनुसार प्रासंगिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं है। विवादित सांविधिक मामले में शामिल हैं वे मामलें जो आयकर व ब्याजकर प्राधिकारियों के यहां विवाद में हैं, जिसके लिए प्रावधान पर विचार आवश्यक नहीं है। तथापि राशि के संभव्य देयता के अंतर्गत प्रकट किया गया है।
25. सेनवेट नियम के अनुसार सेवा कर जमा को लेखा ने वसूली योग्य सेवा कर लेखा को नामे करके और संबंधित खर्च लेखा को जमा कर के लेखा में लिया गया है इसमें इनपुट सेवा कर के लिए रु.2793434 हजार (रु.1423820 हजार) का भुगतान है।
26. वर्तमान कर में सम्मिलित हैं :
- | | 31.03.2011 | 31.03.2010 |
|------------|--------------|----------------|
| सम्पदा कर | रु.7500 हजार | रु.7000 हजार |
| आयकर (मैट) | निल | रु.480000 हजार |
27. आईआरडीए द्वारा निर्धारित लेखा अनुपात अनुलग्नक - I में दिये गये हैं।
28. आईआरडीए द्वारा निर्धारित पिछले 5 वर्षों के कार्य निष्पादन का विवरण अनुलग्नक- II में दिया गया है।
29. पूर्वावधि मदों सहित व्यय

(₹ हजार में)

लेखा मद	31.03.2011 तक	31.03.2010 तक
कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण सुविधाएं	68	74
यात्रा, यातायात एवं वाहन चालन व्यय	45	3
किराया, दर एवं कर	97	1129
मरम्मत	297	105
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	77	32
संप्रेशण	176	49
लेखा परीक्षक शुल्क	5	76
विज्ञापन	0	161
अन्य	1410	1072
विद्युत शुल्क	161	152
कार्यालय रख-रखाव	21	12
प्रोफेशनल एवं कांट्रक्टर को भुगतान	2066	-
बीमा पूर्व व्यय	387	-
योग	4810	2865

23. In the opinion of management, there is no impairment of assets of the Company that requires any adjustment to be made in terms of Accounting Standard 28 issued by the ICAI.
24. No provision has arisen against contingent liabilities in terms of Accounting Standard (AS) 29 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Disputed statutory matters mainly include issues under litigation with respect to Income Tax and Interest Tax for which no provision is considered necessary. However, the amounts are disclosed under contingent liabilities.
25. Service Tax credit as per Cenvat Rules has been considered in the accounts by debiting Service Tax Recoverable Account and crediting respective expenses accounts for ₹ 2793434 thousand (₹ 1423820 thousand) against payment of input Service Tax.
26. Current Tax includes:

	31.03.2011	31.03.2010
Wealth Tax	7500 thousand	₹ 7000 thousand
Income Tax (MAT)	NIL	₹ 480000 thousand

27. Accounting Ratios prescribed by IRDA have been furnished in Annexure I.
28. Summary of working results for the last 5 years as prescribed by IRDA is furnished in Annexure II.
29. Expenditure includes Prior Period Items:

(₹ in thousand)

Head of Account	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
Employee Remuneration and Welfare benefits	68	74
Travel, conveyance and vehicle running expenses	45	3
Rents, Rates and Taxes	97	1129
Repairs	297	105
Printing & Stationery	77	32
Communication	176	49
Auditors fees'	5	76
Advertisement	0	161
Others	1410	1072
Electricity charges	161	152
Office up-keep & Maintenance	21	12
Payment to Professionals & Contractors	2066	-
Pre-insurance expenses	387	-
Total:	4810	2865

30. विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा दण्ड कार्रवाई सम्बन्धी विवरण:

(₹ हजार में)

क्रम सं.	प्राधिकारी	अनुपालन न होना/ उलंघन	दंड आदेश	दंड भुगतान	दंड समाप्त/कम होना
1	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण		-	-	-
2	सेवा कर प्रभारी		-	-	-
3	आयकर प्राधिकारी		-	-	-
4	अन्य कर प्राधिकारी (नगरपालिका निगम)		-	-	-
5	जो प्रवर्तन निदेशालय/न्यायाधिकरण एफईएमए के अंतर्गत को अन्य प्राधिकारी		-	-	-
6	कम्पनी के रजिस्ट्रार/नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल/कम्पनी लॉ बोर्ड/निगमित मामलों के विभाग या कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कोई अन्य प्राधिकारी		-	-	-
7	दावा निष्पादन सहित किसी मामले में, किन्तु प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा दंड का आदेश		-	-	-
8	सिक्युरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया		-	-	-
9	कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया		-	-	-
10	कोई अन्य केन्द्रीय/राज्य/ स्थानीय सरकार/सांविधिक प्राधिकारी		-	-	-

31. विगत वर्ष के आंकड़ों को कोष्ठक में दिया है। वर्तमान वर्ष की प्रस्ताति को अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक समझा गया है, एक साथ प्रयोग में लाया गया है।

कृते निदेशक मंडल

गुहा नंदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एन.एस.आर. चन्द्रप्रसाद
जितेन्द्र कुमार मैहन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
निदेशक

डॉ बी एस कुण्डू
भागीदार

जी. मुखोपाध्याय
भागीदार

भास्कर सेन
कुलदीप सिंह
ए. वी. गिरिजा कुमार
रीना माडिया

निदेशक
निदेशक
निदेशक
उप कम्पनी सचिव

सदस्यता संख्या 051221

सदस्यता संख्या 010534

कोलकाता 26 मई, 2011

30. Details of various penal actions taken by various Government Authorities :

(₹ in thousand)

Sl. No.	Authority	Non – Compliance/Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority		-	-	-
2.	Service Tax Authorities		-	-	-
3.	Income Tax Authorities		-	-	-
4.	Any other Tax Authorities (Municipal Corporation)		-	-	-
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		-	-	-
6.	Register of Companies/ NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956.		-	-	-
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation.		-	-	-
8.	Securities and Exchange Board of India		-	-	-
9.	Competition Commission of India		-	-	-
10.	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority.		-	-	-

31. Figures in brackets are of the previous year. To conform to current year's presentation previous year's figures are regrouped or rearranged wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

N. SARKAR & CO.
Chartered Accountants

(Dr. B. S. Kundu)
Partner

Membership No. 051221

(G. Mukhopadhyay)
Partner

Membership No. 010534

N. S. R. Chandraprasad
Jitendar Kumar Mehan
Bhaskar Sen
Kuldip Singh
A. V. Girija Kumar
Rina Madia

Chairman-cum-Managing Director
Director
Director
Director
Director
Dy. Company Secretary

Kolkata, the 26th day of May 2011

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

आईआरडीए के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफ एण्ड आई/सीआईआर/एफ एण्ड ए/012/01/2010 (परिशिष्ट III) दिनांक 28 जनवरी 2010 की परिभाषा के अनुसार

परिशिष्ट - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशतता फार्मूला	अनुपात/प्रतिशतता 2010-11	अनुपात/प्रतिशतता 2009-10
1.	सकल प्रीमियम वृद्धि दर	(चालू वर्ष का सकल प्रीमियम- विगत वर्ष का सकल प्रीमियम) x100/विगत वर्ष का सकल प्रीमियम	34.42	8.15
	क) अग्नि		33.31	8.47
	ख) समुद्री माल		19.08	3.97
	ग) समुद्री पोत		38.19	51.69
	घ) मोटर निजी क्षति		31.71	1.07
	च) मोटर तृतीय पक्ष		19.34	2.60
	छ) इंजीनियरिंग		31.76	12.59
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		36.45	14.76
	झ) जन देयता		25.85	16.74
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		26.83	25.40
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		55.86	20.22
	ड) उड्डयन		-24.13	-32.76
	ढ) विविध अन्य		31.89	10.35
2.	सकल प्रीमियम से शेयरधारकों के कोष का अनुपात	जीडीपीआई/शेयरहोल्डर्स फण्ड* *शेयरधारकों का कोष (शेयर कैपिटल रिजर्व एवं सरप्लस के (डेबिट) उचित मूल्य परिवर्तित लेखा) घटायें (विविध व्यय) लाभहानि लेखा के डेबिट बैलेन्स या शेयरधारकों का लेखा	64.14	48.49
3.	शेयरधारकों के कोष की वृद्धि दर	चालू तुलन-पत्र की तारीख को शेयर धारकों का कोष/विगत तुलन-पत्र की तारीख को शेयर-धारकों का कोष	1.61	91.28
4.	शुद्ध प्रति धारण अनुपात	शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम	86.30	85.61
	क) अग्नि		82.60	87.02
	ख) समुद्री माल		78.06	80.02
	ग) समुद्री पोत		25.18	16.73
	घ) मोटर निजी क्षति		89.71	89.58
	च) मोटर तृतीय पक्ष		96.12	93.64
	छ) इंजीनियरिंग		34.78	43.44
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		90.01	90.02
	झ) जन देयता		90.00	90.01
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		89.99	89.99
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		90.00	90.00
	ड) उड्डयन		8.12	-1.05
	ढ) विविध अन्य		95.94	87.74
5.	शुद्ध कमीशन अनुपात	शुद्ध प्रीमियम भुगतान जीडीपीआई	6.30	7.74
	क) अग्नि		5.98	6.50
	ख) समुद्री माल		11.24	11.39
	ग) समुद्री पोत		1.19	0.78

KEY ANALYTICAL RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDING ON 31.03.2011

as per the definitions given in the IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010
(Annexure III) dated January 28, 2010

Annexure - I

SL. NO.	PERFORMANCE RATIO	RATIO / PERCENTAGE FORMULA	RATIO / PERCENTAGE 2010-11	RATIO / PERCENTAGE 2009-10
1.	GROSS DIRECT PREMIUM GROWTH RATE	(Gross Premium for the current year - Gross Premium for the previous year)*100/ Gross Premium for the previous year)	34.42	8.15
	a) Fire		33.31	8.47
	b) Marine Cargo		19.08	3.97
	c) Marine Hull		38.19	51.69
	d) Motor Own Damage		31.71	1.07
	e) Motor Third Party		19.34	2.60
	f) Engineering		31.76	12.59
	g) Workmen's Compensation		36.45	14.76
	h) Public Liability		25.85	16.74
	i) Personal Accident		26.83	25.40
	j) Health Insurance		55.86	20.22
	k) Aviation		-24.13	-32.76
	l) Misc. Others		31.89	10.35
2.	GROSS DIRECT PREMIUM TO SHAREHOLDERS' FUND RATIO	GDPI/Shareholders' Funds* *Shareholders funds viz. (share capital, reserves and surplus, credit/(debit) fair value change account) less (miscellaneous expenditure, debit balance in profit and loss account or shareholders' account)	64.14	48.49
3.	GROWTH RATE OF SHAREHOLDERS' FUND	(Shareholders' Funds (CY)-shareholders funds (PY))/Shareholders' funds (PY)	1.61	91.28
4.	NET RETENTION RATIO	Net Premium / GDPI	86.30	85.61
	a) Fire		82.60	87.02
	b) Marine Cargo		78.06	80.02
	c) Marine Hull		25.18	16.73
	d) Motor Own Damage		89.71	89.58
	e) Motor Third Party		96.12	93.64
	f) Engineering		34.78	43.44
	g) Workmen's Compensation		90.01	90.02
	h) Public Liability		90.00	90.01
	i) Personal Accident		89.99	89.99
	j) Health Insurance		90.00	90.00
	k) Aviation		8.12	-1.05
	l) Misc. Others		95.94	87.74
5.	NET COMMISSION RATIO	Gross Commission Paid/GDPI	6.30	7.74
	a) Fire		5.98	6.50
	b) Marine Cargo		11.24	11.39
	c) Marine Hull		1.19	0.78

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए साधारण बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

परिशिष्ट - I

क्र. सं.	निष्पादन अनुपात	अनुपात/प्रतिशतता फार्मूला	अनुपात/प्रतिशतता 2010-11	अनुपात/प्रतिशतता 2009-10
	घ) मोटर निजी क्षति		7.63	9.71
	च) मोटर तृतीय पक्ष		0.00	-0.84
	छ) इंजीनियरिंग		6.76	5.67
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		10.60	9.72
	झ) जन देयता		11.46	9.90
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		12.79	11.47
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		8.92	10.51
	ड) उड्डयन		0.74	0.05
	ढ) विविध अन्य		2.41	13.15
6.	प्रबंधन खर्च से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात	(बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय+ प्रदत्त प्रत्यक्ष कमीशन)/जीडीपीआई	31.96	35.71
7.	संयुक्त अनुपात	(बीमा व्यवसाय से संबंधित भुगतान दावा + बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय + भुगतान प्रत्यक्ष कमीशन)/ जीडीपीआई	101.43	115.80
8.	तकनीकी आरक्षित से शुद्ध प्रीमियम अनुपात	(असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित + प्रीमियम कमी आरक्षित+ बकाया दावे के लिए आरक्षित)/शुद्ध प्रीमियम	142.70	155.49
9.	बीमालेखन अतिशेष अनुपात	(बीमा लेखन लाभ/हानि) शुद्ध प्रीमियम	-31.86	-24.15
	क) अग्नि		5.58	4.36
	ख) समुद्री माल		5.50	32.27
	ग) समुद्री पोत		-121.92	-67.63
	घ) मोटर निजी क्षति		-9.01	-0.80
	च) मोटर तृतीय पक्ष		-117.76	-65.31
	छ) इंजीनियरिंग		29.58	40.54
	ज) कर्मकार क्षतिपूर्ति		25.54	13.96
	झ) जन देयता		46.20	33.45
	ट) व्यक्तिगत दुर्घटना		-5.20	-109.43
	ठ) स्वास्थ्य बीमा		-37.22	-44.30
	ड) उड्डयन		16.67	4143.90
	ढ) विविध अन्य		21.51	8.30
10.	प्रचालन लाभ अनुपात	(बीमालेखन लाभ/हानि)+निवेश आय/शुद्ध प्रीमियम	1.91	9.75
11.	अस्थायी सम्पत्ति से देयताएं अनुपात	(बीमाकर्ता की अस्थायी सम्पत्ति/ पालिसी धारकों की देयताएं)	21.59	22.69
12.	शुद्ध अर्जन अनुपात	कर पश्चात लाभ/शुद्ध प्रीमियम	1.39	5.65
13.	शुद्ध सम्पत्ति पर आय	कर पश्चात लाभ/शुद्ध सम्पत्ति	0.77	2.35
14.	वांछित शोधन क्षमता के परिपेक्ष्य में वास्तविक शोधन क्षमता		1.34	1.60
15.	एनपीए अनुपात			
	सकल एनपीए अनुपात		3.65	5.26
	शुद्ध एनपीए अनुपात		0.38	1.20

RATIOS FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE YEAR ENDING ON 31.03.2011
Annexure - I

SL. NO.	PERFORMANCE RATIO	RATIO / PERCENTAGE FORMULA	RATIO / PERCENTAGE 2010-11	RATIO / PERCENTAGE 2009-10
	d) Motor Own Damage		7.63	9.71
	e) Motor Third Party		0.00	-0.84
	f) Engineering		6.76	5.67
	g) Workmen's Compensation		10.60	9.72
	h) Public Liability		11.46	9.90
	i) Personal Accident		12.79	11.47
	j) Health Insurance		8.92	10.51
	k) Aviation		0.74	0.05
	l) Misc. Others		2.41	13.15
6.	EXPENSES OF MANAGEMENT TO GROSS DIRECT PREMIUM RATIO	(Operating expenses related to insurance business plus direct commissions paid)/GDPI	31.96	35.71
7.	COMBINED RATIO	(Claims paid plus Operating expenses related to insurance business plus direct commissions paid)/GDPI	101.43	115.80
8.	TECHNICAL RESERVES TO NET PREMIUM RATIO	(Reserves for Unexpired Risk + Reserve for premium deficiency plus Reserve for Outstanding Claims) / Net Premium	142.70	155.49
9.	UNDERWRITING BALANCE RATIO	(Underwriting profit / loss) Net Premium	-31.86	-24.15
	a) Fire		5.58	4.36
	b) Marine Cargo		5.50	32.27
	c) Marine Hull		-121.92	-67.63
	d) Motor Own Damage		-9.01	-0.80
	e) Motor Third Party		-117.76	-65.31
	f) Engineering		29.58	40.54
	g) Workmen's Compensation		25.54	13.96
	h) Public Liability		46.20	33.45
	i) Personal Accident		-5.20	-109.43
	j) Health Insurance		-37.22	-44.30
	k) Aviation		16.67	4143.90
	l) Misc. Others		21.51	8.30
10.	OPERATING PROFIT RATIO	(Underwriting profit/loss) + Investment Income/ Net Premium	1.91	9.75
11.	LIQUID ASSETS TO LIABILITIES RATIO	Liquid Assets / Policyholders' Liabilities	21.59	22.69
12.	NET EARNING RATIO	Profit after tax / Net Premium	1.39	5.65
13.	RETURN ON NET WORTH	Profit after tax / Net Worth	0.77	2.35
14.	Actual Solvency Margin to Required Solvency Margin		1.34	1.60
15.	NPA ratio			
	Gross NPA ratio		3.65	5.26
	Net NPA ratio		0.38	1.20

परिशिष्ट - II

कार्य परिणाम :

पिछले पाँच वर्ष का कम्पनी का कार्य परिणाम निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
अ.	बीमा लेखन से आय	5389.71	3977.65	3653.63	3187.98	2855.36
ब.	असमाप्त जोखिम आरक्षित में वृद्धि/कमी	625.76	161.86	231.27	169.45	87.80
स.	बीमा लेखन पर उपगत दावा	4623.27	3245.36	3393.67	2838.84	2394.22
द.	बीमा लेखन पर शुद्ध कमीशन	255.44	231.41	218.17	203.89	114.04
य.	खर्च व अन्य व्यय	1605.64	1307.70	1015.37	989.17	867.51
र.	शुद्ध बीमा लेखन परिणाम	-1720.40	-968.68	-1204.85	-1013.37	-608.21
ल.	शुद्ध अन्य आय	1795.80	1237.27	1071.32	1185.43	1064.04
व.	कर पूर्व लाभ/हानि	75.40	268.59	-133.53	172.06	455.83
श.	कराधान का प्रावधान	0.51	43.73	5.15	8.75	37.76
स.	कर पश्चात लाभ/हानि	74.89	224.86	-138.68	163.31	418.07

कमीशन व्यय का विवरण :

(₹ हजार में)

व्यसाय की श्रेणी	वर्ष 2010-11 के लिए			वर्ष 2009-10 के लिए		
	अग्नि	मरीन	विविध	अग्नि	मरीन	विविध
एजेंट	163297	139604	2142960	146566	125453	1687361
ब्रोकर	94610	67150	556075	63941	46173	380916
निगमित एजेंसी	73200	1573	377165	65854	1682	501949
रिफरल फीस	2579	22	95871	-	-	275643
अन्य	6682	823	195009	5217	241	294923
योग	340368	209172	3367080	281578	173549	3140792

Annexure - II

Working Result :

The working Results of the Company for the last five years are given below :

(₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
a.	Income from Underwriting	5389.71	3977.65	3653.63	3187.98	2855.36
b.	Increase/Decrease in Unexpired Risk Reserve	625.76	161.86	231.27	169.45	87.80
c.	Incurred Claims on Underwriting	4623.27	3245.36	3393.67	2838.84	2394.22
d.	Net Commission on Underwriting	255.44	231.41	218.17	203.89	114.04
e.	Expenses & other Outgo	1605.64	1307.70	1015.37	989.17	867.51
f.	Net Underwriting Result	-1720.40	-968.68	-1204.85	-1013.37	-608.21
g.	Net of other Income (Investment etc.)	1795.80	1237.27	1071.32	1185.43	1064.04
h.	Profit/Loss before Tax	75.40	268.59	-133.53	172.06	455.83
i.	Provision for Taxation	0.51	43.73	5.15	8.75	37.76
j.	Profit/Loss after Tax	74.89	224.86	-138.68	163.31	418.07

Break up of Commission Expenses (In India) :

(₹ in Thousand)

CLASS OF BUSINESS	FOR THE YEAR 2010-11			FOR THE YEAR 2009-10		
	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS	FIRE	MARINE	MISCELLANEOUS
Agents	163297	139604	2142960	146566	125453	1687361
Brokers	94610	67150	556075	63941	46173	380916
Corporate Agents	73200	1573	377165	65854	1682	501949
Referral Fees	2579	22	95871	-	-	275643
Others	6682	823	195009	5217	241	294923
Total	340368	209172	3367080	281578	173549	3140792

**तुलन-पत्र के मुख्य अंश तथा कंपनी के साधारण व्यवसाय का संक्षेप
(कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 के भाग-iv के अनुसार प्रस्तुत विवरण)**

I. पंजीकरण व्यौरा :		कोष का नियोजन :	
पंजीकरण संख्या	: 1713	शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियां	: -262955
राज्य कूट	: 21	निवेश, ऋण (शुद्ध उचित मूल्य परिवर्तन)	: 18381784
तुलन-पत्र दिनांक	: 31.03.2011	शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां	: -17429145
		विविध खर्च	: 59190
II. वर्ष के दौरान बढ़ी पूंजी : (₹ हजार में)		संचित हानियां	: शून्य
सार्वजनिक निर्गम	: शून्य		
राइट निर्गम	: शून्य	IV. कंपनी का कार्यनिष्पादन : (₹ हजार में)	
बोनस निर्गम	: शून्य	टर्नओवर (शुद्ध प्रीमियम, निवेश तथा अन्य आय)	: 65954493
प्राइवेट नियोजन	: शून्य	कुल खर्च	: 65200518
III. कोष के व्यवस्थीकरण तथा अभिनियोजन की स्थिति : (₹ हजार में)		कर पूर्व लाभ/(हानि)	: 753975
कुल देयतायें (शेयर धारको के कोष सहित)	: 9,79,85,970	कर पश्चात लाभ/(हानि)	: 748874
कुल परिसम्पत्तियां	: 9,79,85,970	प्रति शेयर आय (रुपये में)	: 7.49
		लाभांश दर (%)	: —
कोष का स्रोत :		V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/ सेवाओं के सामान्य नाम : (वित्तीय नियमों के अनुसार)	
चुकता पूंजी	: शून्य	मदकूट संख्या	: लागू नहीं
आरक्षित तथा आधिक्य	: 7,48,874	उत्पाद विवरण	: साधारण बीमा
सुरक्षित ऋण	: शून्य		
असुरक्षित ऋण	: शून्य		

**BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S
GENERAL BUSINESS PROFILE**

(Statement pursuant to Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956)

I. REGISTRATION DETAILS :

Registration No.	:	1713
State Code	:	21
Balance Sheet Date	:	31.03.2011

APPLICATION OF FUNDS :

Net Fixed Assets	:	-262955
Investments, Loans (net of Fair Value Change)	:	18381784
Net Current Assets	:	-17429145
Misc. Expenditure	:	59190

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR :
(₹ in Thousand)

Public Issue	:	Nil
Right Issue	:	Nil
Bonus Issue	:	Nil
Private Placement	:	Nil

Accumulated Losses	:	Nil
--------------------	---	-----

IV. PERFORMANCE OF COMPANY :
(₹ in Thousand)

Turnover (Net Premium, Investment and Other Income)	:	65954493
Total Expenditure	:	65200518
Profit/(Loss) Before Tax	:	753975
Profit/(Loss) After Tax	:	748874
Earnings per share (in Rs.)	:	7.49
Dividend rate (%)	:	—

**III. POSITION OF MOBILISATION AND
DEPLOYMENT OF FUNDS :**
(₹ in Thousand)

Total Liabilities (including Shareholders' Funds)	:	9,79,85,970
Total Assets	:	9,79,85,970

SOURCES OF FUNDS :

Paid-up Share Capital	:	Nil
Reserves and Surplus	:	7,48,874
Secured Loans	:	Nil
Unsecured Loans	:	Nil

**V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL
PRODUCTS/SERVICES OF THE COMPANY :**

(AS PER MONETARY TERMS)

Item Code No.	:	Not Applicable
Product Description	:	General Insurance

NOTES